खण्ड—11, अंक—02
मंगलवार, 29 आषाढ़, शक संवत् 1926
(20 जुलाई, 2004 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

—: 0 :—

(अधिकृत विवरण)
(प्रथम विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2004)

(खण्ड 11 में 07 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय, (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2007

मूल्य :

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	क
प्रश्नोत्तर	1–52
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएँ	52
दिनांक 17–7–2004 को अतिवृष्टि से उर्गम घाटी के दर्जनों गाँवों में उत्पन्न खाद्यान्न संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	52–54
टिहरी के बालगंगा रेंज के आरगढ़ कम्पार्टमेन्ट में लगी आग से मृत मजदूरों एवं जानमाल की क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	54–55
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अगस्त्यमुनि में डाक्टरों एवं उपकरणों की कमी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	55
चमोली के गौचर के भटनगर गाँव में पम्पिंग सैट खराब होने के कारण उत्पन्न सिंचाई की स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	56
सेवानिवृत्त शिक्षकों को पंचम वेतन आयोग के अनुसार पेंशन देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	56
रोजिन फैक्ट्री चम्पावत के कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	56
जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के हापला क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त गाँवों के आवासीय भवनों के निर्माण एवं आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	57
नियम 300 के अन्तर्गत सूचनाएँ–	
हल्द्वानी के उत्तरांचल फोरेस्ट हास्पिटल ट्रस्ट के उद्घाटन के अवसर पर स्थापित शिला पर स्थानीय जनप्रतिनिधि का उल्लेख न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	57
श्री मदन कौशिक द्वारा सत्रावसान के पश्चात् स्वीकृत प्रश्नों के उत्तर प्राप्त न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	57–58
जनपद ऊधमसिंह नगर के दिनेशपुर कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) ...	58
जनपद ऊधमसिंह नगर की धीमरी ब्लाक मार्ग वाया लालपुरी लच्छी भटभोज से रेलवे फाटक तक मोटर मार्ग निर्माण करने के सम्बन्ध में याचिका (स्थापित)	58

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद ऊधमसिंह नगर के गूलर भोज मार्ग हरिपुरा (नहर पट्टी) द्वारा बरनपुर, श्यामनगर पुलिया तक पुनः मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	58
जनपद ऊधमसिंह नगर के 60 पंतनगर, गदरपुर नगरपालिका में बाईपास निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) ...	59
जनपद उत्तरकाशी के तहसील डुण्डा, ग्राम तल्ली नाकुली को पर्यटन ग्राम घोषित करने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) ...	59
विशेषाधिकार अवमानना की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी ...	59
प्रैस लाबी से पत्रकारों की अनुपस्थिति ...	60
उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2004 (पुरःस्थापित) ...	60
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाऐं	60–66
महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ...	66
जैनी प्रकरण में सी0बी0आई0 रिपोर्ट के बाद डा0 हरक सिंह रावत द्वारा व्यक्त विचार	66–79
महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ...	79–87
वित्तीय वर्ष 2004–05 के बजट का प्रस्तुतीकरण ...	87
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	87–88
नत्थियाँ	89–100

क

उपस्थिति

1–श्री अजय भट्ट
2–श्री अनिल नौटियाल
3–डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4–श्रीमती अमृता रावत
5–श्री अरविन्द पाण्डे
6–श्रीमती आशा देवी
7–श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
8–श्री [illegible] सिंह [illegible]
9–श्री काशी सिंह ऐरी
10–श्री किशोर उपाध्याय
11–श्री कैलाश शर्मा
12–श्री कौल दास
13–श्री गगन सिंह
14–श्री गणेश प्रसाद गोदियाल
15–श्री गोपाल सिंह
16–श्री गोविन्द लाल
17–श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
18–श्री चन्द्रशेखर
19–श्री जोत सिंह
20–श्री तसलीम अहमद
21–श्री तिलक राज बेहड़
22–श्री तेजपाल सिंह रावत
23–श्री दिनेश अग्रवाल
24–श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी
25–श्री नव प्रभात
26–श्री नारायण दत्त तिवारी
27–श्री नारायण पाल
28–श्री नारायण राम आर्य
29–श्री नारायण सिंह जंतवाल
30–काजी निजामुद्दीन
31–श्री प्रकाश पंत
32–कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
33–डा0 प्रताप बिष्ट
34–श्री प्रदीप टम्टा
35–श्री प्रीतम सिंह
36–श्री प्रीतम सिंह पंवार
37–श्री प्रेमानन्द महाजन
38–श्री पुष्पेश त्रिपाठी
39–श्री फूल सिंह बिष्ट
40–श्री बलवीर सिंह नेगी
41–श्री विजयपाल सिंह सजवाण
42–श्री बिशन सिंह चुफाल
43–श्री भगत सिंह कोश्यारी
44–श्री मदन कौशिक
45–श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
46–श्री महेन्द्र भट्ट
47–श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)
48–श्री मातबर सिंह
49–श्री माल चन्द
50–चौ0 यशवीर सिंह
51–श्री रणजीत सिंह
52–श्री रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
53–श्री राम प्रसाद टम्टा
54–श्रीमती विजय बड़थ्वाल
55–श्री शूरवीर सिंह
56–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
57–श्री सहजाद
58–श्री साधू राम
59–श्री सुबोध उनियाल
60–श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
61–श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
62–श्री सुरेश चन्द
63–डा0 हरक सिंह रावत
64–श्री हरबंस कपूर
65–श्री हरभजन सिंह चीमा
66–श्री हरीदास
67–श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
68–श्री हीरा सिंह बिष्ट
69–श्री हेमेश खर्कवाल
70–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई, 2004 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप देहरादून में 11.00 बजे पूर्वाह्न अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य जी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

राज्य में गन्ने की फसल से खरपतवार को समाप्त करने के उपाय

**1—"काजी" निजामुद्दीन—

क्या गन्ना मंत्री को जानकारी है कि राज्य में गन्ने की फसल में खरपतवार का भारी प्रकोप हो रहा है ?

यदि हाँ, तो खरपतवार को समाप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे है ?

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

गन्ने की फसल में खरपतवार के भारी प्रकोप के रूप में होने की कोई विशिष्ट सूचना नहीं है, अन्य फसलों की भाँति सामान्य रूप से गन्ने की फसल में भी खरपतवार देखे गये हैं,

खरपतवार की रोक—थाम के लिए विभाग द्वारा विभागीय अधिकारियों, कृषकों को समय—समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

"काजी" निजामुद्दीन—

मान्यवर, उत्तर देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माननीय मंत्री जी एवं अधिकारीगण गन्ने के खेतों में नहीं गये, बल्कि यह उन्होंने ड्राइंग रूम में लिखा है। मैं जानना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष प्रति है0 कुन्तल पैदावार कितनी थी तथा इस वर्ष प्रति है0 कुन्तल यह कितनी है ?

गन्ना मंत्री (श्री साधूराम)—

मान्यवर, माननीय सदस्य का प्रश्न खरपतवार से सम्बन्धित है, न कि पैदावार से।

"काजी" निजामुद्दीन—

मान्यवर, पिछले वर्ष गन्ने की पैदावार प्रति है0 40—50 कुन्तल थी इस वर्ष यह पैदावार 37—38 है0 प्रति कुन्तल हुई है। मैं जानना चाहता हूँ यह गिरावट क्यों आयी है। आज पूरे के पूरे खेत खरपतवार से भरे पड़े हैं, जिसको सामान्य रूप से मान लिया गया है।

श्री साधूराम—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि खरपतवार को दूर करने के लिए समय—समय पर क्षेत्रीय स्तर पर हमने अब तक 54 प्रशिक्षण कराये हैं। इसके लिए

हमने गोष्ठियाँ आयोजित की हैं, जिसके माध्यम से किसानों की समस्याओं को सुना जाता है, सुनने के बाद उनका निराकरण किया जाता है। मान्यवर, काशीपुर में स्थित गन्ना संस्थान में हमने 01 अप्रैल, 2003 से 30 जून, 2004 के मध्य 29 प्रशिक्षण कराये हैं। इस प्रशिक्षण में लगभग 2141 कृषकों तथा लगभग 1242 कर्मचारियों ने भाग लिया है। प्रशिक्षण में कृषकों एवं कर्मचारियों को साहित्य भी वितरित किया जाता है। मान्यवर, इससे सम्बन्धित साहित्य की प्रति एक–दो दिनों में आपको भी उपलब्ध करा दी जायेगी।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि किस स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, सन् 2002–2003 में कुल कितने प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये गये तथा इसमें कितने लाभार्थियों को लाभ हुआ है ?

श्री साधूराम–

मान्यवर, वर्ष 2003 में 30 जून तक 54 प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये गये और इसमें कमिश्नर स्तर के अधिकारी मौजूद थे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इसमें कुल कितने लोग लाभान्वित हुये हैं?

श्री साधूराम–

मान्यवर, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें 2141 लोग लाभान्वित हुये हैं। जिन्होंने ट्रेनिंग ली है उन्होंने किसानों को इसके बारे में बताया है।

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या खरपतवार का वर्गीकरण उनकी फैमिली के अनुसार हुआ है, अगर हुआ है तो पहले, दूसरे और इस वर्ष में कितना गन्ना हुआ है। मान्यवर, खरपतवार रोकने के लिए 2 तरीके बायोलॉजिकल और मेडिसिन कंट्रोल है, इसमें क्या किया गया है ?

श्री साधूराम–

मान्यवर, माननीय काज़ी निजामुद्दीन जी ने कहा कि ड्राइंग रूम में बैठकर जवाब तय किया गया है, तो मैं प्रार्थना करूँगा कि वे अपने [XXX] में से निकल कर देखें तब पता चलेगा कि किस प्रकार से खरपतवार का वर्गीकरण चाहते हैं। आप जानते हैं कि गन्ना मई में बोया जाता है, बुवाई के तुरन्त बाद पेट्राजेनिया का 20 किलोग्राम का सक्रिय घोल बनाकर और पेन्डीलिट का घोल बनाकर इस्तेमाल करें। जो खरपतवार है पहले इस पर छिड़काव हो जाना जरूरी है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।

नोट–[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

''काजी'' निजामुद्दीन–

मान्यवर, किताबों में बहुत अच्छी चीजें लिखी है। इस बारे में पंत नगर यूनिवर्सिटी से अच्छी–अच्छी इन्फारमेशन मिल जायेंगी, इसको किसानों तक पहुँचाने का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। हमें इसका उत्तर चाहिए कि जो खरपतवार है इसे समाप्त करने पर सरकार क्या विचार कर रही है। मान्यवर, खरपतवार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। माननीय कृषि मंत्री जी और माननीय गन्ना मंत्री जी भी इस पर ध्यान दे कि गाजर घास इतनी तेजी से बढ़ी रही है कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, चाहे हल चला लें, खुरपा चला लें वह नहीं खत्म हो रही है इसको खत्म करने के लिए सरकार क्या कार्य कर रही है ?

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, यह घास खेतों में भी है और खेतों के किनारे भी है अगर इस पर रसायन कीट का प्रयोग करें तो इससे खेती प्रभावित होती है। इसका एक उपाय है कि जहाँ पर खरपतवार है उसको उखाड़ दिया जाय।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, विषय बहुत महत्वपूर्ण है माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि राज्य में गन्ना फसल पर खरपतवार का भारी प्रकोप हो रहा है मगर सरकार ने इसकी दिशा ही बदलने की कोशिश की । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि विशिष्ट सूचना नहीं है। क्या सरकार माननीय सदस्य की बात का संज्ञान लेकर सम्पूर्ण गन्ना क्षेत्र में विशेष कार्य योजना के लिए जाँच दल तैयार करेगी? जाँच दल गठित होते हैं मगर उसकी रिपोर्ट 2–3 साल तक नहीं आती। क्या वह जाँच दल अपनी रिपोर्ट देगी और इसके सदस्य कौन–कौन होंगे ?

श्री साधूराम–

मान्यवर, आपके सुझाव पर सरकार गौर करेगी।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, क्या समय सीमा के अन्तर्गत जाँच दल गठित करेंगे और वह एक समय सीमा के अन्तर्गत अपनी रिपोर्ट देगी, दूसरा उस जाँच दल में कौन–कौन सदस्य होंगे?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जाँच दल में कौन–कौन होने चाहिए।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जाँच दल विधान सभा के सदस्यों की गठित हो।

''काजी'' निजामुद्दीन–

मान्यवर, कोई ऐसा उत्तर नहीं आया जो संतोषजनक हो।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, उन्होंने सुझाव पूछा।

श्री साधूराम–

मान्यवर, विधान सभा की समिति गठित हो यह मुश्किल है। पर सरकार इस पर विचार जरूर करेगी। आप अपना सुझाव दीजिए कि किस स्तर के अधिकारी होंगे।

"काजी" निजामुद्दीन–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी तो मेरी तकलीफ दूर कर दें।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यह सदन है। ठीक है कि माननीय गन्ना मंत्री जी कभी हँसा दे तो अच्छा लगता है लेकिन विषय की गम्भीरता को देखते हुए आपने जो कहा कि हम समिति गठित करेंगे तो आप कौन सी समिति गठित करेंगे ? उसमें कौन–कौन लोग होंगे, उसमें माननीय सदस्य होंगे कि अधिकारियों की समिति होगी। जो समिति गठित होनी है उसको बता दें तो अच्छा होता। मान्यवर, विषय को गम्भीरता से लेना चाहिए।

श्री साधूराम–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष के सुझाव स्वागत योग्य है। मान्यवर, इसमें वैज्ञानिकों को, गन्ना पर्यवेक्षकों को और बड़े किसानों को रखा जायेगा।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, इसमें गन्ना के अधिकारी तो पहले से ही काम कर रहे हैं। जो समिति गठित की जा रही है क्या उसमें माननीय मंत्री जी माननीय सदस्यों को रखेंगे या नहीं या सिर्फ अधिकारियों को ही रखेंगे यह स्पष्ट कर दें तो ठीक रहता।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इसमें गन्ना अनुसंधान के वैज्ञानिकों, पंत नगर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को और जनपद के बड़े किसानों को, जो सदन में सदस्य भी है उनको रखा जायेगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी द्वारा यह कहा गया कि विधायक [XXX] में रखे रहे हैं जबकि हम लोग छोटे–छोटे कमरों में रह रहे हैं। इसलिए इसको अगर कार्यवाही से हटा दिया जाए तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। इसको कार्यवाही से हटा दिया जायेगा।

(व्यवधान)

नोट– [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

तारांकित प्रश्न

*1–श्री मदन कौशिक, श्री अजय भट्ट, श्री बिशन सिंह चुफाल–

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

प्रदेश में गम्भीर पेयजल संकट के निवारण हेतु पम्पिंग पेयजल योजनायें

*2–श्री अजय भट्ट–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल की गम्भीर पेयजल संकट को देखते हुए क्या सरकार पम्पिंग पेयजल योजनाओं की स्वीकृति प्रदान कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत ऐसे क्षेत्रों की पम्पिंग पेयजल योजनायें स्वीकृत की जा रही हैं जहाँ के लिए कोई दूसरा विकल्प उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, पेयजल की समस्या ने गम्भीर रूप ले लिया है नीचे के लोग तो नदियों में बह रहे है और ऊपर के रहने वाले लोग प्यासे हैं। इसलिए यह प्रश्न पूछा गया और उत्तर आया कि राज्य के वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत ऐसे क्षेत्रों की पम्पिंग पेयजल योजनाएँ स्वीकृत की जा रही हैं जहाँ के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो क्या माननीय मंत्री जी ने उन स्थानों का सर्वे करा लिया है, जहाँ ग्रेविटी के स्रोत सूख गए हैं और सिर्फ पम्पिंग पेयजल योजना से पानी दिया जायेगा, तो उसका जिलेवार विवरण क्या है ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जहाँ तक पम्पिंग पेयजल योजना की बात है तो शासनादेश संख्या–2081 दिनांक 27 जुलाई, 2000 द्वारा इस विषय पर पूरी नीति स्पष्ट की जा चुकी है और जहाँ तक माननीय सदस्य द्वारा जिलेवार विवरण की बात है तो इस समय 8 योजनाएँ स्वीकृत की जा चुकी हैं।

मान्यवर, जनपद पौड़ी में दुगड्डा पम्पिंग पेयजल योजना, कड़ाकोट–कोट ग्राम समूह पम्पिंग योजना, कोटमल्ला ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना। देहरादून में बुरांस खण्ड पम्पिंग पेयजल योजना, मसूरी धोबीघाट पम्पिंग योजना की पुनरीक्षित स्वीकृति, देहरादून पेयजल योजना (बीजापुर कैनाल) बागेश्वर में बागेश्वर पुनर्गठन पम्पिंग पेयजल योजना। अल्मोड़ा में द्वाराहाट पुनर्गठन पम्पिंग पेयजल योजना। मान्यवर, इसके अतिरिक्त जनपद पौड़ी एवं टिहरी में सोलर पर आधारित पम्पिंग योजनाएँ निर्मित की जा सकेंगी जिसमें से जनपद पौड़ी में बुरासीखाल सोलर पम्पिंग पेयजल योजना, तिमली सोलर पम्पिंग पेयजल योजना, चौंडा सोलर पम्पिंग पेयजल योजना, आमडाँडा सोलर पम्पिंग पेयजल योजना एवं टिहरी जनपद में आराकोट सोलर पम्पिंग पेयजल योजना है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी सदन को अवगत कराया कि 8 पम्पिंग पेयजल योजनाओं की स्वीकृति मिल चुकी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आज ही मेरा एक अतारांकित प्रश्न संख्या–28 लगा है उसमें जो आपने विवरण दिया है वह 6 योजनाओं का दिया गया है। मान्यवर, एक ही दिन में एक ही प्रश्न के 2 उत्तर आये हैं।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, कृपया पहले पढ़ लें। अतारांकित प्रश्न में वर्ष 2002–2003–2004 में स्वीकृत योजनाओं का विवरण दिया गया है। जबकि तारांकित प्रश्न संख्या–2 में अब तक स्वीकृत सभी योजनाओं का विवरण दिया गया है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि..

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, आज तो जवाब देने वाले भी प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, टिहरी बाँध से दिल्ली की आधी आबादी को पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि नई टिहरी में पानी के गुरूत्व स्रोत नहीं हैं, वहाँ पम्पिंग योजनाओं के द्वारा पानी उपलब्ध करवाया जाता है। मान्यवर, आजकल हालत यह है कि 4 दिन में एक बार पीने का पानी वहाँ उपलब्ध हो पा रहा है। मेरा पहला सवाल है कि वहाँ के लोगों को पम्पिंग पेयजल योजनाओं द्वारा प्रतिदिन कितने घंटे पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। दूसरा सवाल है चम्बा, जाखनीखाल और प्रतापनगर में बड़ी भारी समस्या पैदा हो रही है। आपने माना है कि कोश्यार ताल, सारज्यूला तथा प्रतापनगर पम्पिंग तीनों योजनाओं का आगणन बन चुका है, इनकी कब तक स्वीकृति मिल जायेगी और लोगों को कब तक पीने का पानी उपलब्ध हो सकेगा ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जिनका आगणन प्राप्त हो चुका है, वे विचाराधीन हैं। और शीघ्र ही स्वीकृति प्रदान कर देंगे। जहाँ तक टिहरी परियोजना का प्रश्न है, मैं उसको दिखवा लूँगा।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री अजय भट्ट जी ने पहला भी पूरक प्रश्न पूछा था, माननीय मंत्री जी उसका उत्तर नहीं दे पाये, जैसा कि आपने माना कि जहाँ पर कोई और विकल्प पानी का नहीं है वहाँ पर पम्पिंग योजनायें बनाई जा रही है और सरकार के पास

संसाधन सीमित हैं। तो क्या सरकार ने ऐसा कोई सर्वे कराया है या करने जा रही है कि जिससे स्पष्ट हो सके कि जहाँ पर पेयजल उपलब्ध नहीं है और ग्रेविटी नहीं है या और कोई स्रोत उपलब्ध नहीं है, स्पष्ट स्थिति का पता लगाने के लिए सरकार क्या कोई सर्वे करा रही है ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, यह सर्वे वर्ष 2003 में किया जा चुका है और यह सर्वे कर केन्द्र सरकार को सहमति और स्वीकृति मिलने के लिए भेजा गया है। ऐसा गाँव जहाँ पानी उपलब्ध नहीं है उन्हें नान कवर्ड एवं पार्टली कवर्ड में पुनः चिन्हित कर दिया गया है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, जहाँ तक सर्वे की बात है तो जहाँ पर पानी के स्रोत नही है और पानी की उपलब्धता नहीं है, कई गाँव अनकवर्ड हैं, यह सर्वे में आ गया, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार उस सर्वे में यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि जहाँ पर स्रोत ही नही हैं या ग्रेविटी वाटर नहीं है, वहाँ पर पम्पिंग योजनाओं के प्रस्ताव किस तरह ले आयेंगे ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इसके लिए जनपद स्तर पर एक समिति गठित है, जो इस किस्त के औचित्य के ऊपर निर्णय लेती है, यह सी०डी०ओ० की अध्यक्षता में है, जनपद स्तर से ही यह आ पायेगी।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी अपने उत्तर में विभिन्न जनपदों के आगणन दिये हैं, उसमें खीरोघाटी योजना का भी उल्लेख है। वहाँ पर अभी भी 15–16 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है और यह योजना मेरे विधान सभा क्षेत्र की है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि खीरोघाटी योजना कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, अप्रैल माह में इसका स्टीमेट आया है। जैसे ही वन की स्वीकृति हो जायेगी इसे शुरू कर दिया जायेगा।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जैसा कि उन्होंने कहा कि जहाँ पर पानी का और कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है वहाँ पर पम्पिंग योजनायें बनायी जायेगी। तो क्या जनपद पौड़ी गढवाल के द्वारीखाल ब्लाक अन्तर्गत कढ़ूरखड़ा मे पेयजल योजना की ग्रेविटी नहीं है, वहाँ पर पानी का कोई स्रोत नहीं है। पूर्व में वहाँ पर टैंकरों से भी पानी उपलब्ध कराया गया था, उससे कुछ दिन काम चला था और आज वहाँ पर पानी की बहुत किल्लत हो गई है, महिलाओं को पैदल बहुत दूर तक जाकर सिर पर ढोकर पानी लाना पड़ रहा है, तो क्या माननीय मंत्री जी कढ़ूरखड़ा में ऐसी कोई योजना प्रारम्भ करने जा रही हैं ? क्या इस योजना का आगणन बनाया गया है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इसका आगणन तैयार नहीं है, मैं इसे दिखवा लूँगा।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, कब तक ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, माननीय सदस्यों को मैं बताना चाहूँगा कि वे इसे जिला समिति के माध्यम से लायें, पहले इसे जिले की समिति को दे दें।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो पम्पिंग योजनाओं की बात आई है तो मेरे विधान सभा क्षेत्र देव प्रयाग में पानी की बहुत समस्या है, तीन योजनायें वहाँ पर सरकार के विचाराधीन हैं, उसमें कोटेश्वर, डांडीधार, हडीम की धार कैलासीर लक्षमोली और मैलेया अकरी बारजूला कपरोली पम्पिंग योजनायें।

मान्यवर, इन योजनाओं के लिए पिछली बार जो कार्यवाही हुई थी, उसके अन्तर्गत नाबार्ड की स्वीकृति के लिए भेजा गया था लेकिन मेरे संज्ञान में आया है कि नाबार्ड ने इस पम्पिंग योजनाओं के लिए पैसा देने से मना कर दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि देवप्रयाग की पानी की जो समस्या है, उसका समाधान कब तक किया जायेगा ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि कोटेश्वर योजना का आगणन हमें प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से स्वजल–2 योजना का वार्ता चल रही है। इसके लिए 500 करोड़ रुपये की राशि हमने भेजी है। वार्ता पूरी होने के बाद सारी योजनाएं पूरी हो जाएंगी।

श्री कैलाश शर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि उक्त 8 योजनाओं के अलावा भी कई योजनाएं प्रस्तावित हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ये नयी योजनाएं कब तक स्वीकृत हो जाएंगी। मान्यवर, इनमें एक योजना मेरे विधान सभा क्षेत्र में कोसी कसारदेवी की है। इसके लिए वर्ष 2002–03 में 56 लाख रुपया टोकन मनी के रूप में पहुँच गया है, किन्तु अभी तक यह योजना स्वीकृत नहीं हो सकी है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह योजना कब तक पूरी हो जाएगी ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, कोसी कसारदेवी की सूचना अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं आपको बाद में सूचना उपलब्ध करा दूँगा।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तरांचल राज्य में 10 नदियाँ हैं, जिनका पूरे देश में नाम है। किन्तु मैं आज पढ़ता हूँ कि उत्तरांचल में 10 हजार गाँव ऐसे हैं, जो पानी के बिना प्यासे हैं। दूर–दराज के राज्यों के लोग यह महसूस करते होंगे कि यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पानी है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया प्रश्न करिए।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, मैं लम्बी बात नहीं करूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी को भी इस बात की जानकारी होगी कि हल्द्वानी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कई दशकों से पानी की समस्या है। मान्यवर, यहाँ पर इस बात का उल्लेख करना चाहता हूँ कि हल्द्वानी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों को पेयजल का मुख्य साधन गोला नदी का पानी है। मान्यवर, इसके किनारे कई अन्त्येष्टि स्थल हैं। मान्यवर, मेरा कहना है कि हल्द्वानी की जनता जो पानी पीती है उसको स्वच्छ करने के लिए तथा पानी को स्टोर करने के लिए सरकार क्या कोई कार्रवाही कर रही है ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है, वह स्वागत योग्य है। किन्तु यह मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है। लेकिन जहाँ पर भी इस तरह का प्रकरण सामने आएगा, उसको अवश्य सुधारा जाएगा।

श्री उम्मेद सिंह मांजिला–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन योजनाओं की घोषणा की है, जैसे बागेश्वर की बौडी पम्पिंग योजना की स्वीकृति की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बागेश्वर में जनवरी, 2004 में की थी। आपने अभी जो विवरण यहाँ पर प्रस्तुत किया, उसके अनुसार यह योजना अभी केवल प्रस्तावों में ही आयी है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वीकृत की गई योजना को प्रस्तावित माना जाए या स्वीकृत माना जाए ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इस्टीमेट बनाने की प्रक्रिया तो पूरी करनी ही पड़ेगी।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि जनपद नैनीताल और अल्मोड़ा जिले के गाँवों को संतृप्त करने के लिए आज से 15 साल पहले रीची थापल पेयजल योजना बनी थी उसके पम्प आज तक काला खेत में जंग खा रहे हैं किन्तु उस योजना का कार्य आज तक प्रारम्भ नहीं हो पाया। इसका क्या कारण है ? दूसरा

प्रश्न यह है कि रानीखेत में जो कैण्टोमेंट एरिया में जिन पाइप लाइनों द्वारा पानी पहुँचाया जाता है उसकी लाइफ खत्म हो गई है। टैक्नीकल एक्सपर्ट बता चुके है कि उसकी लाइफ खत्म हो चुकी है, उसका प्रस्ताव शासन स्तर पर लम्बित है तथा कोसीशोर पेयजल योजना के जो नार्म्स, है, वे पूरे है, किन्तु वह योजना भी लम्बित है। मान्यवर, मैं इन सब योजनाओं की अद्यतन स्थिति जानना चाहता हूँ।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, रीची थापर की सूचना इस समय मेरे पास नहीं है चूँकि यह योजना 15 साल पहले स्वीकृत हुई थी इसका कार्य क्यों नहीं हो पाया इसकी जानकारी मुझे नहीं है। हाँ, इतना जरूर कहूँगा 15 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी यह योजना प्रारम्भ नहीं हुई है, यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। मान्यवर, कैण्टोमेंट एरिया की पाइप लाइन कैंट बोर्ड की है।

श्री राम प्रसाद टम्टा–

मान्यवर, जनपद बागेश्वर में नगरीय क्षेत्र में जो पम्प स्कीम निर्माणाधीन है परन्तु वह धनाभाव के कारण मुझे जानकारी मिली है कि निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के बाद धनाभाव के कारण कार्य रोक दिया गया, मैं जानना चाहता हूँ कि कब तक नगरीय पेयजल योजना में धन उपलब्ध होगा तथा निर्माण कार्य कब से त्वरित गति से प्रारम्भ होगा। साथ ही जो पेयजल का संकट है वह कब तक दूर होगा। मान्यवर, बौड़ी के निवासी अपने यहाँ आये मेहमानों को दही तो पिला सकते हैं परन्तु पानी की समस्या के कारण पानी नहीं पिला सकते हैं। मान्यवर, वहाँ के स्थानीय निवासियों का जल संकट कब तक दूर होगा ?

प्रेस दीर्घा में पत्रकारों की अनुपस्थिति

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है सदन में जो दर्शक दीर्घा है और अधिकारियों की दीर्घा है और पत्रकारों की दीर्घा है वह सब माननीय अध्यक्ष जी आपके नियंत्रण में है, आपके अधीन हैं मान्यवर, आपको भी यह आभास हो रहा होगा कि प्रैस गैलरी है इसमें कोई भी पत्रकार उपस्थित नहीं है। पत्रकारों के पत्रकार दीर्घा में उपस्थित न रहने का क्या कारण है ? क्या पत्रकार ने बहिष्कार किया है अथवा कोई ऐसी घटना हुई है जिसके कारण उन्हें बहिष्कार करना पड़ा। बिना पत्रकारों के यह सदन की कार्यवाही चलना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। कृपया इस बारे में पूरे सदन को जानकारी दी जाए।

श्री अध्यक्ष–

पत्रकारों के उपस्थित न रहने का क्या कारण है इसको हम दिखवा रहे हैं।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बागेश्वर में धन के अभाव में जो बात कही है इस सम्बन्ध में मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इसमें धन का अभाव नहीं है, यह योजना धनाभाव के कारण नहीं रूकी है। मान्यवर, अन्य जिन योजनाओं की तरफ माननीय सदस्य ने जो ध्यान आकृष्ट किया, इन्हें हम प्राथमिकता के आधार पर पूरा करायेंगे।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण है, जो पेयजल से सम्बन्धित है इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें एक घंटे की चर्चा करायी जाय।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आज पानी के लिए त्राहि–त्राहि हो रही है, इस पर सत्तापक्ष के लोग भी बोलना चाहते हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि इस लोकमहत्व के विषय पर एक घंटे की चर्चा की अनुमति प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसको बाद में देख लेंगे।

जनपद चमोली के प्रमुख नगर गोपेश्वर, जोशीमठ, कर्णप्रयाग एवं बद्रीनाथ धाम में सीवरेज की व्यवस्था

*3–डा० अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

क्या ग्राम्य विकास एवं पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के प्रमुख नगर गोपेश्वर जोशीमठ, कर्णप्रयाग एवं बद्रीनाथ धाम में सीवरेज की व्यवस्था हेतु कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

जनपद चमोली के गोपेश्वर जोशीमठ, कर्णप्रयाग एवं बद्रीनाथ धाम में सीवरेज व्यवस्था के प्रस्ताव केन्द्र पोषित गंगा कार्य योजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत भारत सरकार को प्रेषित किए गये हैं। भारत सरकार से योजना की स्वीकृति एवं धनाबंटन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

उपरोक्तानुसार।

डा० अनुसूया प्रसाद मैखूरी–

मान्यवर, यह धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पर तीर्थ यात्रियों की संख्या हर वर्ष लगातार बढ़ रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस योजना के सापेक्ष अलग–अलग इसमें कितनी धनराशि का प्राविधान किया गया है तथा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या इसमें राज्यांश का भी कोई प्राविधान रखा गया है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, बद्रीनाथ के लिए आई० एण्ड डी० मद में 34.78 तथा एस०टी०पी० में 72.74 जोशीमठ के लिए एस०टी०पी० में 330.97 गोपेश्वर के लिए आई० एण्ड डी० 15.12 तथा एस०टी०पी० में 236.33 कर्णप्रयाग के लिए आई एण्ड डी० में 90.88 एस०टी०पी०

में 152.95 रूद्रप्रयाग के लिए आई0 एण्ड डी0 में 56.28 तथा एस0टी0पी0 140.89 पी0पी0 5.40 श्रीनगर के लिए एस0टी0पी0 में 262.65 पी0पी0 में 10.80 तथा देवप्रयाग के लिए आई0 एण्ड डी0 में 63.08 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, जहाँ तक राज्यांश का प्रश्न है। इसमें हमारा केन्द्र से थोड़ा विवाद है चूँकि 1994 में केन्द्र में कमेटी ने जो कॉस्ट निर्धारित की थी, इसमें और हमारे कॉस्ट में काफी भिन्नता है।

मान्यवर, बद्रीनाथ के डाइवर्जन के लिए 34 लाख 78 हजार की धनराशि की आवश्यकता है, पर कैबिनेट ने 227 हजार का प्राविधान किया है। मुझे विश्वास है कि जो प्रभावी कॉस्ट है वह जल्द ही प्रभावी हो जायेगी।

डा0 अनुसूया प्रसाद मैखूरी–

मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं यह जानना चाहता हूँ कि केदारनाथ, गंगोत्री, यमनोत्री जहाँ पर तीर्थ यात्रियों का आवागमन बहुत ज्यादा है, क्या इस कार्ययोजना के तहत ये स्थान भी रखे गये हैं ? इसी तरह ऋषिकेश हरिद्वार में भी प्रदूषण फैल रहा, क्या इसे भी कार्ययोजना में स्थान दिया गया है ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, यह सही है कि गंगोत्री, नन्दप्रयाग, मुनिकीरेती गंगा एक्शन प्लान से छूटे हैं। हमारा प्रयास है कि यह भी जल्द हो जाये।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने जवाब दिया कि जनपद चमोली के गोपेश्वर, जोशीमठ, कर्णप्रयाग एवं बद्रीनाथ धाम में सीवरेज व्यवस्था के प्रस्ताव केन्द्र पोषित गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत भारत सरकार को प्रेषित किए गये हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह कब प्रेषित किया गया। दूसरा भारत सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति के लिए धनावंटन अभी तक नहीं हो पाया, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी और तीसरा मैं यह जानना चाहता हूँ कि जोशीमठ, कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ, रूद्रप्रयाग की चर्चा की है, लेकिन नन्दप्रयाग को इस योजना से कैसे छोड़ दिया गया, अगर छूट गया तो क्या आप लेंगे ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, नन्दप्रयाग कैसे छूट गया, इसके लिए किसी पर आक्षेप करना उचित नहीं है। मान्यवर, गंगा एक्शन प्लान का प्रस्ताव मार्च, 2003 में भेजे गये, जी0ए0पी0 में प्रस्ताव भेजे गये, इसकी स्वीकृति में विलम्ब हो रहा है। नेशनल रिवर कन्जर्वेशन अथॉरिटी की मीटिंग 16 जून, 2003 में हुई थी, जिसमें यह बात राज्य की ओर से रखी गयी।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, क्या नन्दप्रयाग में राज्य में सेक्टर के अन्तर्गत सीवर की व्यवस्था हो जायेगी ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इन्टरसेप्सन और डाइवर्जन सीवर आन्तिरिक सीवरेज राज्य सेक्टर से ही करेंगी।

श्रीमती आशा देवी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या केदारनाथ को भी सीवर लाइन से जोड़ने का प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है, क्या कोई कार्य किया जा रहा है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, कार्यवाही की जा रही है पर प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है।

श्रीमती आशा देवी–

मान्यवर, मेरा दूसरा सवाल है कि केदारनाथ प्रसिद्ध यात्रा धाम है। राम बाड़ा प्रमुख पड़ाव है। क्या सरकार ने इन स्थानों पर कोई योजना बनाने जा रही है और कब तक बनायेगी ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, यहाँ गंगा एक्शन प्लान लागू है इसमें बहुत स्पष्ट स्थिति नहीं बनी है इसमें कुछ सुझाव हैं जो केन्द्र से सम्मिलित कराने हैं, जिस क्षेत्र का जिक्र है उसको सम्मिलित कराना है।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, यमुनोत्री प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है यहाँ पर सरकार सीवरेज व्यवस्था के लिए क्या करने जा रही है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, यह आवश्यक है इसे करा रहे हैं।

*4–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त

प्रसिद्ध तीर्थ स्थल केदारनाथ को मोटर मार्ग से जोड़ने की योजना

*5–श्रीमती आशा देवी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद रुद्रप्रयाग के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल केदारनाथ को मोटर मार्ग से जोड़ने के लिए सरकार कोई योजना बना रही है ?

यदि हाँ, तो इस कार्य योजना का स्वरूप क्या है?

क्या यह सत्य है कि प्रतिवर्ष गौरीकुण्ड से केदारनाथ तक पैदल मार्ग पर करोड़ो रुपये खर्च किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो सरकार तीर्थ यात्रियों व पर्यटकों की सुविधा हेतु उक्त तीर्थ स्थल को मोटर मार्ग से जोड़गी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

श्रीमती आशा देवी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीया मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि हमने जो प्रश्न पूछा था वह यह था कि क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेगी कि जनपद रुद्रप्रयाग के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल केदारनाथ को मोटर मार्ग से जोड़ने के लिए सरकार कोई योजना बना रही है ? तो माननीय मंत्री जी का उत्तर आया, जी नहीं। माननीया मंत्री जी, क्या जो प्रसिद्ध धाम मोटर मार्ग द्वारा विकास से जोड़ने की एक योजना बनायी जा रही है, यह शुरू कर दी गई है ?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मोटर मार्ग में कुछ कठिनाईयाँ आ रही है। जो 14 कि0मी0 पैदल मार्ग है वह कस्तूरी वन विहार आरक्षित वन भूमि में आ रही है उसको बनाने में कठिनाई आ रही है। इसमें सेंचुरी पड़ती है अतः सुप्रीम कोर्ट से पहले अनुमति लेनी होगी। जो पैदल मार्ग है उस पर कार्य हो रहा है, रैन सेन्टर बनाये गये, बेंच भी बनाये हैं, खड़ंजे भी बनाये हैं, शौचालय का निर्माण भी कराया गया।

श्रीमती आशा देवी–

मान्यवर, इसमें सरकार क्या प्रयास कर रही है अभी पिछली बार सदन में मुद्दा उठाया था और माननीय मंत्री जी ने कहा कि हिमांचल की तर्ज पर बनायेंगे, पता नहीं हिमांचल में किस प्रकार का मोटर मार्ग का प्रस्ताव है, मान्यवर, यह योजना कहाँ तक बनी है ?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मुख्यमंत्री जी ने रामबाड़ा और गौरीकुण्ड मोटर मार्ग की घोषणा की। मान्यवर, वह 24 कि0मी0 है इसमें 21 कि0मी0 गौरीकुण्ड वन और 3 कि0मी0 क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र में पड़ता है। इस कारण मार्ग निर्माण से पूर्व भारत सरकार और उच्च न्यायालय की अनुमति आवश्यक है। मान्यवर, इस मार्ग के लिए सुप्रीम कोर्ट की परमीशन लेनी पड़ेगी।

श्रीमती आशा देवी–

मान्यवर, इसमें माननीय मंत्री जी का जवाब आया कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से इसके लिए निर्माण के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी तो इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि सरकार को इस मार्ग को बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए क्योंकि यह उत्तरांचल का प्रसिद्ध धाम है। दूसरा मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार दूसरे विकल्प पर विचार कर रही है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

यह आपने ठीक सवाल पूछा है। पैदल मार्ग हम बना रहे हैं आपको मालूम है कि पैदल मार्ग बन रहा है। रोप–वे के बारे में यही कठिनाई आ रही है आरक्षित वन क्षेत्र एवं सैन्चुरी क्षेत्र। रोप–वे के बारे में विचार किया जा रहा है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि माननीया मंत्री जी जो सर्वे करायेंगी, तो जो रास्ता पहले से ही बना हुआ है। मैंने स्वयं मार्ग पर जाकर देखा है जोकि बहुत चौड़ा है, उसको मोटर मार्ग में परिवर्तित कर दें तो बहुत से तीर्थ यात्रियों को लाभ मिलेगा। उस मार्ग को बनाने की आवश्यकता है उसको मोटर मार्ग में परिणत कर सकते हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय नेता प्रपिक्ष इस बात से भिज्ञ है कि यह नीतिगत बिन्दु है। उसमें जनमत का भी विरोध हो रहा है। उस पैदल मार्ग को चौड़ा करना पड़ेगा अगर हम उसको मोटर मार्ग में तब्दील करते हैं।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, जो सडक पैदल मार्ग है उसको मोटर मार्ग में परिवर्तित कर सकते हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं वहाँ स्वयं गयी हूँ, स्वयं देखा है उस पैदल मार्ग को और चौड़ा करके ही मोटर मार्ग बनाया जा सकता है लेकिन इसमें भी वहीं दिक्कतें है जैसे वन आरक्षित क्षेत्र, सेन्चुरी क्षेत्र। इसलिए अभी पहले में ही कठिनाई आ रही है। उस मार्ग को मोटर मार्ग में तब्दील करने के लिए चौड़ा करना पड़ेगा क्योंकि बिना चौड़ा किए उस पर एक ही गाडी आ सकती है, दूसरी गाड़ी नहीं जा सकती है। इसका भारत सरकार से परमीशन नहीं मिल पा रहा है। दूसरे विकल्प के रूप में रोप–वे पर विचार किया जा रहा है। रोप–वे बनाया जाए इस पर विचार किया जायेगा। मान्यवर, यह सही है कि यह अत्यन्त प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। हजारों श्रद्धालु वहाँ जाते हैं। वहाँ पैदल चल पाना, आप तो चल सकते है लेकिन हमारे बस की बात नहीं है अब। वहाँ पर कार्य किया जा रहा है। शौचालय बनाए जा रहे हैं, खड़ण्जे बिछाए जा रहे हैं, शेड बनाए जा रहे हैं।

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि कुछ पैदल मार्ग–मोटर मार्ग सन् 1991 से लम्बित है, वन विभाग द्वारा आपत्ति दर्ज किए जाने के कारण। अब उन मार्गों की स्वीकृति मिल चुकी है तो क्या सरकार उन मार्गों को बनाने के लिए धन आवंटित कर रही है जहाँ पर वन विभाग का नियंत्रण है। मान्यवर, लेकिन वन विभाग का आज भी कहना है कि वह इन मोटर मार्ग को ठीक कराने की स्थिति में नहीं है। मान्यवर, इससे आगे के जो गाँव हैं उनको बहुत परेशानी हो रही है। मैंने जिला योजना में भी इसे प्रस्तावित किया था, लेकिन वन विभाग ने इस पर आपत्ति की थी। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे मार्ग जो वन विभाग के नियंत्रण में है, उनकी मरम्मत वन विभाग करायेगा या लोक निर्माण विभाग ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यद्यपि यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित है, फिर भी मैं बता देती हूँ। माननीय वन मंत्री जी बैठे हैं। मेरी और हमारे विभाग के अधिकारियों की वन विभाग के अधिकारियों से बातचीत हो रही है। हम 3 करोड़ रुपये एडवांस जमा कर रहे हैं। हमारा दायित्व है कि हमारे राज्य में आवागमन की सुविधा सभी क्षेत्रों में प्राप्त हो। वन विभाग का सहयोग और सहायता भी भारत सरकार से लगातार हमें मिल रही है।

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, मैं एक मोटर मार्ग के बारे में बताना चाहता हूँ कि माननीय वन मंत्री जी एवं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी के संज्ञान में यह बात ला चुका हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप इस मोटर मार्ग का नाम लिखकर दे दें या फिर किसी दिन चाय पर आ जाएं। मैं इसे दिखवा लूँगी।

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, जिन मार्गों पर वन विभाग की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, क्या उनके लिए आप धन की स्वीकृति देंगी ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, चाय पर।

श्रीमती आशा देवी–

मान्यवर, मैं जानना चाहती हूँ कि यह रोप–वे कब तक तैयार हो जायेगा ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सदन में यह प्रश्न आया है। मैंने अपने नोट में लिखा है कि विकल्प के रूप में रोप–वे पर विचार किया जाये। अभी तो इसका आगणन भी नहीं बना है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, हमें आपका संरक्षण चाहिए। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और सत्र के पांचवें सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या–4 में स्थानान्तरित कर दिया है। जबकि मान्यवर, सत्र 31 जुलाई तक है इस प्रकार पांचवां सोमवार इस बार सत्र में आयेगा ही नहीं। मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कृपया इसे दूसरे सोमवार के लिए स्थानान्तरित कर दें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। इसे दूसरे सोमवार के लिए स्थानान्तरित किया जाता है।

प्रश्नों का क्रम समाप्त हुआ।

नोट–तारा0 प्रश्न सं0–6 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

*6—श्री प्रकाश पंत—

पांचवें सोम0 के तारां0—4 में स्थाना0।

अतारांकित प्रश्न

जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत वि0ख0 चौखुटिया के ग्राम गड़सारी के तोक 'आगर' हेतु पेयजल योजना

1—श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विकास खण्ड चौखुटिया के ग्राम गड़सारी के तोके 'आगर' हेतु जलनिगम द्वारा निर्मित पेयजल योजना से ग्रामवासियों को पेयजल की सुविधा मिल रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आंशिक रूप से पेयजल सुविधा मिल रही है।

योजना की एस0सी0सी0/इंटेक चैम्बर तथा पाईप लाईन क्षतिग्रस्त हैं, जिनके मरम्मत हेतु प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। शीघ्रता किये जाने हेतु आदेश दिये गये हैं।

प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रों में मा0 विधायकों की संस्तुति पर इण्डिया मार्क हैण्डपम्प लगवाने पर विचार

2—श्री मदन कौशिक—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पेयजल समस्या के समाधान हेतु क्या सरकार प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में विधायकों की सहमति पर पचास--पचास इण्डिया मार्क हैण्डपम्प लगवायेगी।

यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विभिन्न निर्माणाधीन हल्के मोटर वाहन मार्गों का उच्चीकरण

3—श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

क्या लोक निर्माण मंत्री मिज्ञ है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के नाथूखाल—पोखरी, तिलधारखाल—मुखण्डी, रिगांलपाणी ग्वील, जाखणीखाल—व्यासघाट, धारकोट तिमल्याणी, देवीखेत—जामल निर्माणाधीन हल्का वाहन मार्ग है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इन सभी हल्का वाहन मार्गों का उच्चीकरण करेगी?

यदि हाँ, तो वित्तीय स्वीकृति कब तक जारी कर दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

धारकोट–तिमल्याणी हल्का वाहन मार्ग पूर्ण स्वीकृत लम्बाई में नहीं बना है, शेष सभी हल्का वाहन मार्ग स्वीकृत लम्बाई में निर्मित है।

उच्चीकरण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में पूर्णकालिक सूचना अधिकारी की तैनाती

4–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या सूचना मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी में जिला सूचना अधिकारी का पद रिक्त है ? यदि हाँ, तो कब तक पूर्णकालिक सूचना अधिकारी की तैनाती कर दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

वर्तमान में जिला सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी के पद पर तैनाती नहीं की जा सकी है। जिला सूचना अधिकारियों के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जा चुका है। आयोग से चयन हो जाने के उपरान्त इस रिक्त पद पर भी तैनाती किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के काडाखनीखाल–खेडा हल्का वाहन मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में

5–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल का काडाखनीखाल–खेडा हल्का वाहन मार्ग कब स्वीकृत हुआ था ?

इस हल्का वाहन मार्ग के निर्माण न होने के क्या कारण थे ?

क्या सरकार जनहित में इस मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने पर विचार करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

वर्ष 1999 में हल्का वाहन मार्ग स्वीकृत हुआ।

ग्रामीणों के अवरोध के कारण।

भविष्य में हल्का वाहन मार्ग निर्मित न किये जाने का शासन द्वारा नीतिगत निर्णय लिया गया है। जनहित में मोटर मार्ग का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मार्गों का निर्माण

6–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद पौड़ी में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत कितनी सड़कें किन–किन गाँवों के लिए वित्तीय वर्ष 2001–2002, 2002–2003 तथा 2003–2004 में स्वीकृत की गई ?

इनमें से कितनी सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगी कि एक हजार की जनसंख्या वाले सभी गाँवों को सड़क से जोड़ दिया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001–2002 तथा 2002–2003 में सम्मिलित रूप से कुल चार मार्ग क्रमशः ग्राम गडरी, बडेथ, टिकोलीखाल एवं व्यासाघाट के लिए स्वीकृत हुई हैं तथा वर्ष 2003–2004 हेतु कुल छः मार्ग क्रमशः ग्राम कैरसं, बोरकिन्डा, बजली, सुराडी मालाकोट एवं चरक हेतु स्वीकृत हुई है।

एक मार्ग का कार्य पूर्ण हो चुका है।

जी नहीं।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में एक हजार से अधिक की आबादी वाली दो बसावटें संयोजित होनी हैं जिसका कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

जनपद पौड़ी की परिन्दा पम्पिंग पेयजल योजना से निर्धारित आपूर्ति न होने पर कीम गधेरा पम्पिंग योजना का प्रसार

7–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या पेयजल मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल की परिन्दा पम्पिंग पेयजल योजना में सम्मिलित अधिकतर गाँवों तक पेयजल नहीं पहुँच पा रहा है ?

यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

क्या इन गाँवों के लिए पेयजल हेतु कीम गधेरा पम्पिंग योजना की कार्य योजना प्रस्तावित है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

परिन्दा पेयजल योजना में वर्तमान में जुड़ी 37 बस्तियों में से 2 बस्तियों में गुरुत्व योजना से पानी दिया जा रहा है। शेष 35 बस्तियों में से 8 बस्तियाँ जो कि योजना के अन्तिम छोर पर स्थित है, को छोड़कर 27 बस्तियों में पेयजल आपूर्ति विद्युत की उपलब्धता पर सुचारू रहती है।

इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के मानक के अनुसार पेयजल आपूर्ति दर 40 एल०पी०सी०डी० ली गयी है जबकि वास्तविक खपत इससे बहुत अधिक है। साथ ही योजना में 16 घण्टे पम्पिंग का प्राविधान है परन्तु विद्युत व्यवधान आदि के कारण निर्धारित अवधि तक पम्पिंग नहीं हो पाती है जिससे योजना के अन्तिम छोर पर पानी सुचारू रूप से नहीं पहुँच पाता है।

मकडाकीम गधेरे से पम्पिंग पेयजल योजना की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में प्रारम्भिक सर्वेक्षण कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उत्तरकाशी के वन क्षेत्र में वनाग्नि रोकने के उपाय एवं व्यय धनराशि

8–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इस ग्रीष्म काल में जनपद उत्तरकाशी के वनी क्षेत्र में आग लगने से कुल कितनी वन सम्पदा का नुकसान हुआ ?

सरकार द्वारा वनाग्नि रोकने के क्या–2 सुरक्षात्मक उपाय किए गये तथा वनाग्नि रोकने में कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी?

श्री नव प्रभात–

ग्रीष्म काल वर्ष 2004 में जनपद उत्तरकाशी के वन क्षेत्रों के अन्तर्गत वनाग्नि की घटनाओं के कारण रु0 1.07 लाख की वन सम्पदा की क्षति आंकलित की गयी है,

वनाग्नि के नियंत्रण के लिए फायर लाईनों का रख–रखाव, नियंत्रित दोहन, क्रू–स्टेशनों तथा वॉच टावरों का उपयोग एवं रख–रखाव किया गया तथा फायर वाचरों को कार्य पर लगाया गया, संयुक्त वन प्रबन्धन के अन्तर्गत ग्राम वन समितियों को फायर वाचर रखने, पैदल बटियों के किनारें झाडी सफाई करने फुकान आदि अनुरक्षण एवं सुरक्षात्मक कार्यों हेतु धनराशि आवंटित की गयी, वनाग्नि नियंत्रण हेतु रु0 13.57 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

जनपद पौड़ी के गैंडखाल–आमसैंण हल्का वाहन मार्ग के निर्माण की स्थिति

9–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद पौड़ी के गैंडखाल–आमसैंण हल्का वाहन मार्ग की स्वीकृति किस सन् में हुई थी ?

इस मार्ग का निर्माण पूर्ण न होने के क्या कारण हैं ?

क्या सरकार जनहित में इस मार्ग के निर्माण कार्य को पूरा करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

यह मार्ग वर्ष 1999 में स्वीकृत हुआ।

मार्ग निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उत्तरांचल गठन के बाद राजधानी में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवंटित सरकारी आवासों का ब्योरा

10–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि उत्तरांचल गठन के बाद राज्य सरकार द्वारा कितने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजधानी आवास आवंटित किये गये हैं।

तथा श्रेणीवार कितने कर्मचारी तथा अधिकारी हैं, जिन्हें सरकारी आवास की व्यवस्था की जानी है ?

शासन द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

सरकार द्वारा राजधानी में कर्मचारियों के लिए निर्मित आवास अभी तक आवंटित न किये जाने के क्या कारण हैं।

तथा ये आवास कब से रिक्त पड़े हैं ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

राज्य गठन के बाद राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा 59 अधिकारियों एवं 127 कर्मचारियों को राजधानी में आवास आवंटित किये गये हैं, शेष सम्बन्धित विभागों से सूचना अपेक्षित है।

कर्मचारियों एवं अधिकारियों के आवास आवंटन हेतु राज्य सम्पत्ति विभाग को अब तक कुल–354 आवेदन प्राप्त हुये हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है:–

श्रेणी	आवेदकों की संख्या
I	45
II	161
III	90
IV	58
कुल योग :	354

कर्मचारियों को एवं अधिकारियों को समुचित रूप से आवास उपलब्ध कराने हेतु इन्दिरापुरम् फेज–III मिलन विहार में एम0डी0डी0ए0 से 20 टाईप–iv के आवास क्रय किये गये हैं, जिनका कब्जा लेने की कार्यवाही प्रगति पर है, कब्जा प्राप्त होने के बाद अर्ह कार्मिकों को आवास आवंटित कर दिये जायेंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त श्रेणी–III के 100 आवासों के निर्माण के प्रकरण पर भी शासन स्तर पर विचार हो रहा है।

राज्य सम्पत्ति के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अब तक कब्जा प्राप्त आवासों को आवंटित किया जा चुका है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला हरिद्वार के साबरअली मजिस्द सुल्तानपुर इसमाइलपुर की सड़क सुदृढ़ीकरण के निर्माण कार्य की जाँच

11–श्री तसलीम अहमद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–अ 41187 दिनांक 15–12–2003 जो कि जिला हरिद्वार में जिला योजना के अन्तर्गत साबरअली मजिस्द सुल्तानपुर इसमाइलपुर की ओर सड़क सुदृढ़ीकरण निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जाँच के संदर्भ में उनको प्राप्त हुआ है ?

यदि हाँ, तो क्या उसकी जाँच कराई गई ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी के काण्डई फेड़वा जंगलात क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत

12–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के काण्डई फेड़वा जंगलात मार्ग लगभग 3 कि0मी0 तक क्षतिग्रस्त है ?

यदि हाँ, तो सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत कब तक करायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

जी हाँ,

मरम्मत की कार्यवाही वर्षाकाल के पश्चात् की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद पौड़ी के वि0ख0 यमकेश्वर में ग्राम माला, कोटा आदि हेतु पम्पिंग पेयजल योजना

13—श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

क्या पेयजल मंत्री के संज्ञान में है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के वि0ख0 यमकेश्वर के अन्तर्गत आने वाले ग्राम माला, कोटा पलेल गाँव ज्योग्पाणा आदि में पेयजल का भारी संकट है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इन गाँव के लिए पम्पिंग पेयजल योजना बनाये जाने पर विचार कर रही है तथा कब तक इस योजना के लिए वित्तीय स्वीकृति मिल जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हाँ।

इस क्षेत्र की पेयजल समस्या के समाधान हेतु भारत सरकार के त्वरित ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत कोटा माला ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना विरचित की गयी है जिसकी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 1241/उन्तीस/04–2 (30पे0)/2004 दिनांक 15 जुलाई, 2004 द्वारा प्रदान कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत निर्मित जाखणीखाल–व्यासघाट मार्ग पर यातायात के सम्बन्ध मे

14—श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत जाखणी–व्यासघाट मार्ग का 15 कि0मी0 तक निर्माण हो चुका है ?

यदि हाँ, तो इस मार्ग पर यातायात शुरू न होने के क्या कारण हैं ?

क्या सरकार कि0मी0 7 तक हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में बदलने के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

जी नहीं, यह मार्ग 14.50 कि0मी0 तक पूर्ण है।

मार्ग यातायात हेतु उपलब्ध है।

वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी के वि0स0 क्षेत्र यमकेश्वर के धारकोट अमोला एवं किमसार–मरोडा हल्का वाहन मार्गों का निर्माण

15–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल के धारकोट–अमोला एवं किमसार–मरोडा हल्का वाहन मार्ग किन कारणों से अधूरे हैं ?

क्या सरकार इन मार्गों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

शासन की हल्का वाहन मार्ग भविष्य में न बनाये जाने एवं अधूरे हल्का वाहन मार्गों को मोटर मार्गों में परिवर्तित किये जाने की नीति के क्रम में धारकोट अमोला हल्का वाहन मार्ग स्वीकृत दूरी तक पूर्ण नहीं हो पाया है। किमसार मरोडा मार्ग पूर्ण है।

जी नही।

वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत जाखणीखाल विकास खण्ड की स्थापना

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत जाखणीखाल विकास खण्ड के नाम से नये विकास खण्ड बनाये जाने की माँग काफी समय से की जा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जाखणीखाल विकास खण्ड की स्थापना किये जाने पर विचार करेंगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

जी नहीं।

योजना आयोग भारत सरकार द्वारा विकास खण्डों के सृजन हेतु कोई योजना एवं आर्थिक सहायता न दिये जाने के कारण वर्तमान समय में विकास खण्डों के सृजन के सम्बन्ध में विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद पौड़ी के वि0स0 क्षेत्र यमकेश्वर में मष्टखाल–नैल हल्का वाहन मार्ग का निर्माण

17–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत मष्टखाल–नैल हल्का वाहन मार्ग का निर्माण कब प्रारम्भ हुआ तथा अब कितने कि0मी0 सड़क का निर्माण हो चुका है ?

सरकार द्वारा शेष भाग का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मष्टखाल से नैल हल्का वाहन मार्ग स्वीकृत ही नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी में मरम्मत न होने के कारण बन्द पड़ी सड़कों की संख्या एवं मरम्मत हेतु आवंटित धनराशि में असमानता

18–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद पौड़ी गढ़वाल की कितनी सड़कें ऐसी हैं जो मरम्मत न होने के कारण बन्द पड़ी हैं ?

वर्ष 2002–03 में सड़कों के वार्षिक रख–रखाव तथा विशेष मरम्मत की मद में जनपदों को आवंटित धनराशि में असमानता के क्या कारण थे ?

क्या सरकार सभी जनपदों को सड़क मरम्मत हेतु आवश्यकतानुसार धनराशि का आवंटन सुनिश्चित करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

12 सड़कें।

आवंटन सड़कों की वर्तमान स्थिति तथा जनपद में मार्गों की श्रेणी एवं कुल लम्बाई के आधार के अनुसार किया जाता है।

जी हाँ। वित्तीय संसाधनों के अनुरूप।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के विकास विभाग को प्रधानमंत्री ग्रामोदय आवास योजना अन्तर्गत आवंटित धनराशि का ब्योरा

19–श्री प्रीतम सिंह पंवार

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2003–04 में जनपद उत्तरकाशी के विकास विभाग को प्रधानमंत्री ग्रामोदय आवास योजना के अन्तर्गत नये आवास निर्माण व स्तरोन्नयन हेतु कितनी धनराशि प्राप्त हुई है।

विकास खण्डवार नये आवास निर्माण व स्तरोनयन हेतु किन–किन परिवारों को लाभान्वित किया गया ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

संलग्न– परिशिष्ट "क"

श्री नारायण दत्त तिवारी–

वर्ष 2003–04 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय आवास योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी को नये आवासों के निर्माण हेतु रु0 15.05 लाख तथा स्तरोनयन हेतु रु0 3.76 लाख गत वर्ष की अवशेष सहित कुल रु0 18.81 लाख उपलब्ध थी।

विकास खण्डवार सूची परिशिष्ट "क" में है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ सं0 89–94 पर)

जनपद पौड़ी में फूलचट्टी से व्यासघाट तक मोटर मार्ग का निर्माण

20–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत फूलचट्टी से व्यासघाट मोटर मार्ग को बनाये जाने की सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है ?

यदि हाँ, तो उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कब तक कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

अल्मोड़ा जिले के वि0ख0 ताड़ीखेत अन्तर्गत गंगास से चिलियानौला तक पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण

21–श्री अजय भट्ट–

क्या पेयजल मंत्री को ज्ञात है कि अल्मोड़ा जिले के वि0ख0 ताड़ीखेत के अन्तर्गत चिलियानौला में पेयजल संकट को देखते हुए गंगास से चिलियानौला तक पम्पिंग पेयजल योजना बनाने हेतु आगणन शासन को प्रेषित कर दिया गया है ?

यदि हाँ, तो इसकी स्वीकृति कब तक जारी कर दी जायेगी।

यदि नहीं, तो क्यों ,

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ, चिलियानौला पम्पिंग पेयजल योजना हेतु रु0 1240.00 लाख का प्रारम्भिक आगणन प्राप्त हुआ है।

पम्पिंग पेयजल योजना की लागत एवं इस पर होने वाला विद्युत रखरखाव व्यय अत्यधिक होने के कारण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की स्थिति में ही योजना की स्वीकृति पर विचार किया जाना सम्भव है।

उपरोक्तानुसार।

जिला अल्मोड़ा के तहसील रानीखेत के अन्तर्गत कोशी–शेर पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण

22–श्री अजय भट्ट–

क्या पेयजल मंत्री को प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 278, दिनांक 27–12–2002 प्राप्त हुआ, जो कि जिला अल्मोड़ा के तहसील रानीखेत के अन्तर्गत कोशी–शेर पम्पिंग पेयजल योजना बनाने के सम्बन्ध में था ?

यदि हाँ, तो उस पर आज तक क्या कार्यवाही की गयी ?

क्या उक्त पम्पिंग पेयजल योजना का आगणन बना लिया गया है ?

यदि हाँ, तो योजना की स्वीकृति कब तक कर दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

उत्तरांचल पेयजल निगम को आगणन तैयार करने के लिए निर्देश दिये गये।

जी हाँ, कोशी–शेर पम्पिंग योजना का आगणन अनु0 लागत रु0 477.00 लाख बनाया गया है।

पम्पिंग योजना की लागत एवं उस पर होने वाला विद्युत/रखरखाव व्यय अत्यधिक होने के कारण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की स्थिति में ही योजना की स्वीकृति पर विचार किया जाना सम्भव है।

उपरोक्तानुसार।

नैनीताल तथा अल्मोड़ा जिले के गाँवों के लिए रीची–थापल पेयजल योजना के पुनः चालू करने के सम्बन्ध में

23–श्री अजय भट्ट–

क्या पेयजल मंत्री के संज्ञान में है कि नैनीताल एवं अल्मोड़ा जिले के धूराफाट पट्टी के कुछ गाँवों की गम्भीर पेयजल समस्या को देखते हुए शासन द्वारा पूर्व में रीची–थापल योजना की स्वीकृति दी गयी थी ?

क्या इस योजना से सम्बन्धित एक पम्प आज भी कालाखेत नामक स्थान पर बन्द है ?

यदि हाँ, तो इस योजना का निर्माण न होने के क्या कारण है ?

क्या सरकार नैनीताल एवं अल्मोड़ा जिले के गाँवों के लिए उक्त पेयजल को पुनः चालू करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक उक्त योजना की स्वीकृति मिल जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

जी हाँ।

स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा स्रोत पर विवाद उत्पन्न करने के कारण निर्माण कार्य बन्द करा दिये गये थे।

योजना के स्रोत पर विवाद समाप्त न होने के कारण योजना में सम्मिलित ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कोसी नदी से पम्पिंग पेयजल योजना का उल्लेख किया गया है।

पम्पिंग पेयजल योजना का प्राक्कलन विरचित किया जा रहा है। प्राक्कलन प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार स्वीकृति की कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

अल्मोड़ा जिले के वि0ख0 ताड़ीखेत के ग्राम गुढ़ोली अतिवृष्टि से ध्वस्त पेयजल योजना की मरम्मत

24–श्री अजय भट्ट–

क्या पेयजल मंत्री को जानकारी है कि अल्मोड़ा जिले के वि0ख0 ताड़ीखेत के ग्राम गुढ़ोली की पेयजल योजना जो कि जल संस्थान रानीखेत की देख–रेख में चल रही है, दो साल पूर्व अतिवृष्टि से ध्वस्त हो गयी थी ?

यदि हाँ, तो इस योजना को ठीक करने में सरकार द्वारा आज तक क्या कारगर कदम उठाये गये एवं कब तक उक्त योजना सुचारु रूप से ठीक कर दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

योजना को चालू किये जाने हेतु वर्ष 2001–02 में मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य कराये गये, जिसमें रु0 03.279 लाख की धनराशि व्यय की गई थी, किन्तु ग्रीष्म ऋतु में स्रोत के स्राव में कमी के कारण सुचारु पेयजल आपूर्ति में कठिनाई होती है। पर्याप्त तथा सुचारू जलापूर्ति हेतु योजना को नये स्रोत से जोड़ने का मामला विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

अल्मोड़ा जिले के वि0ख0 ताड़ीखेत अन्तर्गत गंगास से चमड़खान तक पम्पिंग पेयजल योजना की स्वीकृति

25—श्री अजय भट्ट—

क्या पेयजल मंत्री को यह ज्ञात है कि अल्मोड़ा जिले के वि0ख0 ताड़ीखेत के अन्तर्गत चमड़खान क्षेत्र में गम्भीर पेयजल संकट बना हुआ है एवं क्षेत्र के लोग कई बार आन्दोलन कर चुके हैं ?

क्या यह सही है कि विभाग द्वारा गंगास से चमड़खान तक पम्पिंग पेयजल योजना बनाने हेतु आगणन शासन को प्रेषित किया है ?

यदि हाँ, तो कब तक उक्त योजना की स्वीकृति प्रदान की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हाँ।

जी नहीं।

आगणन प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की स्थिति में ही स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

दिवारी—खोल गडथ मोटर मार्ग निर्माण हेतु श्री तारासिंह की अधिग्रहित की गई भूमि के मुआवजे का भुगतान

26—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा के तृतीय सत्र 2003 के प्रथम मंगलवार को प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या—45 के उत्तर के अनुसार दिवारी—खोल गडथ मोटर मार्ग निर्माण हेतु तारासिंह की 2 नाली 12 मुट्ठी भूमि अधिग्रहित की गई ?

क्या सरकार बतायेगी कि भूमि कब अधिग्रहीत की गई तथा उक्त का कुल कितना मुआवजा आंकलन किया गया ?

मुआवजे का भुगतान कब तक कर लिया जायेगा ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश—

जी हाँ।

वर्ष 2002 में अधिग्रहीत की गई। मुआवजा 1,00,248.00 आंकलित किया गया।

इस वित्तीय वर्ष में।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के वि0 खण्ड चिन्याली सौड के अन्तर्गत सुनारगाँव पेयजल योजना से उखाड़े गये कम व्यास की पाइप लाइनों का उपयोग

27—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

विधान सभा के तृतीय सत्र 2003 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 51 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सुनारगाँव पेयजल योजना के कम व्यास की पाइप लाईनों को उखाड़कर पाइपों का किस योजना पर उपयोग किया गया ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सुनारगाँव पेयजल योजना से उखाड़े गये 1700 मीटर पाईपों में से 859 मीटर पाईप इसी योजना की वितरण प्रणाली एवं 305 मीटर पाईप हटियारी पेयजल योजना पर उपयोग में लाये गये। शेष 536 मीटर पाईप टूटे—फूटे एवं मुड़े होने के कारण अनुपयोगी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल में वर्ष 2002—03—04 में स्वीकृत पम्पिंग पेयजल योजनाओं का विवरण

28—श्री अजय भट्ट—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में वर्ष 2002—2003—2004 में कुल कितनी पेयजल पम्पिंग योजनाऐं स्वीकृत हुई हैं।

क्या सरकार इनका जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उत्तरांचल में वर्ष 2002—2003—2004 में कुल 6 (छः) पम्पिंग पेयजल योजनायें स्वीकृत हुई हैं।

जी हाँ, जिलेवार विवरण संलग्न हैं

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ सं0 95 पर)

उत्तरांचल के ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपम्प लगाने पर विचार

29—श्री तसलीम अहमद—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के शहरी क्षेत्रों की भाँति ग्रामीण क्षेत्रों में भी पीने के पानी हेतु हैण्डपम्प लगाये जायेंगे ?

यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

उत्तरांचल के शहरी एवं ग्रामीण समस्याग्रस्त क्षेत्रों में जहाँ हैण्डपम्प लगाया जाना सम्भव है, में विगत वर्षों से हैण्डपम्प लगाये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में बढ़ती आबादी के दृष्टिगत पेयजल योजना

30–डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर की बढ़ती हुई आबादी को मध्य नजर रखते हुए पेयजल समस्या के निदान हेतु सम्भावित पेयजल योजना का प्राक्कलन, शासन द्वारा पेयजल विभाग से माँगा गया है ?

यदि हाँ, तो इसकी स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

गोपेश्वर नगर पुनर्गठन पेयजल योजना का वित्त पोषण भारत सरकार के त्वरित नागर कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है। योजना की तकनीकी/वित्तीय जाँच कराई जा रही है। प्राक्कलन तैयार होने तथा भारत सरकार के अनुमोदन के उपरान्त ही योजना की स्वीकृति दी जानी सम्भव है।

उत्तरकाशी में ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा वर्ष 2003–04 में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम अन्तर्गत महिला कॉम्पलैक्सों का निर्माण

31–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम्य विकास अभिकरण उत्तरकाशी द्वारा वर्ष 2003–04 में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्डवार किन–किन ग्रामों में महिला कॉम्पलैक्सों का निर्माण कराया गया ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के तत्वाधान में ऐसी कोई योजना संचालित नहीं है।

जनपद चमोली के वि0ख0 पोखरी में उडामाडा पाटयू चोपड़ा मोटर मार्ग का निर्माण एवं भू–स्वामियों को मुआवजा

32–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में उडामाडा पाटयू चोपाड़ा मोटर मार्ग का निर्माण कितने कि0मी0 तक हो चुका है, तथा भू–स्वामियों को मुआवजा दे दिया गया है ?

क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा अधिग्रहित भूमि पर जिला पंचायत द्वारा मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो विभाग द्वारा उक्त मार्ग के निर्माण की अनुमति जिला पंचायत को दे दी गई है ?

यदि नहीं, तो सरकार उक्त संदर्भ में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

2.00 कि0मी0 का कार्य पूर्ण है। सिनाऊ ग्राम के भू–स्वामियों को नाप भूमि का मुआवजा भुगतान कर दिया गया है।

जी नहीं। इस मार्ग के कि0मी0 3 पर लगभग 750 मीटर लम्बाई में पहाड़ कटान का कार्य जिला पंचायत चमोली द्वारा किया गया, यह भूमि लोक निर्माण विभाग को अभी हस्तान्तरित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रानीखेत छावनी परिषद् को नगर पालिका बनाने हेतु कार्यवाही

33–श्री अजय भट्ट–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उनको सम्बोधित प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या–मैमों / सभा स0आ0समिति / 04, दिनांक 18–02–2004 जो रानीखेत छावनी परिषद् को नगर पालिका बनाने के सम्बन्ध में था, पर क्या कार्यवाही हुई है ?

यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

रानीखेत छावनी परिषद् को नगर पालिका परिषद् बनाने के सम्बन्ध में रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से उनकी सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त किये जाने के लिए पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त पत्र का उत्तर प्राप्त होने पर तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के ग्राम अठाली वि0ख0 भटवाड़ी में पेयजल लाईन का व्यास बढ़ाने पर विचार

34–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या पेयजल मंत्री को जानकारी है कि ग्राम अठाली विकास खण्ड भटवाड़ी जनपद उत्तरकाशी में जल संयोजनों में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण गाँव के ऊपरी हिस्से में पेयजल आपूर्ति बन्द रहती है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार पेयजल लाईन का व्यास बढ़ाये जाने पर विचार करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

ग्राम अठाली की जनसंख्या में वृद्धि होने तथा निजी जल संयोजन अधिक होने के कारण ग्राम के ऊपरी क्षेत्र में जाने वाली पाईप लाईन में ग्रीष्म ऋतु में कम दाब रहने के कारण सीमित समय के लिए जलापूर्ति की जाती है।

अठाली पेयजल योजना के जीर्णोद्धार का प्राक्कलन विरचित किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चमोली के वि०ख० पोखरी की बंगथल पेयजल योजना

35–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी की बंगथल पेयजल योजना की स्वीकृति किस सन् में दी गयी थी ?

योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा योजना का लाभ ग्रामीण जनता को मिल रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी की बंगथल पेयजल योजना वर्ष 2001 में स्वीकृत की गयी थी।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के वि०ख० पोखरी अन्तर्गत ग्राम सभा सरियाना में मुलेठा तोक पेयजल योजना का निर्माण

36–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत ग्राम सभा सरियाना में मुलेठा तोक पेयजल योजना बनकर तैयार हो गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या उक्त योजना का हस्तान्तरण ग्राम सभा को कर दिया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी की मुलेथा तोक समूह पेयजल योजना अभी निर्माणाधीन है।

जी नहीं।

योजना के निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् ही योजना हस्तान्तरित की जाती है।

जनपद पिथौरागढ़ में बेरीनाग पुरानाथल मोटर मार्ग पर तड़ीगाँव के पास मोटर पुल का निर्माण

37–श्री विशन सिंह चुफाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ में बेरीनाग पुरानाथल तड़ीगाँव मोटर मार्ग का निर्माण पूर्ण हो गया है

क्या यह सत्य है कि रामगंगा नदी में तड़ीगाँव के पास मोटर पुल न बनने के कारण मुख्य मोटर मार्ग नहीं जुड़ पा रहा है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के बारातोली बोरागाँव पेयजल योजना का पुनर्गठन

38–श्री विशन सिंह चुफाल–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ में बारातोली बोरागाँव पेयजल योजना, जिसका कि निर्माण वर्ष 1971 में किया गया था, का लाभ गाँव की जनता को नहीं मिल पा रहा है।

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पेयजल योजना के पुनर्गठन की स्वीकृति प्रदान करेगी ?

यदि नहीं, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

जनपद पिथौरागढ़ में बारातोली गोरागाँव के लिए निर्मित भैंसकोट प्रथम एवं द्वितीय पेयजल योजना के जीर्णोद्धार का कार्य वर्ष 2003–04 की जिला योजना में स्वीकृत है।

योजना की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है जिसे इसी वर्ष पूर्ण करके योजना में सम्मिलित 11 ग्रामों एवं 4 तोकों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी।

जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 1965 में बनी उड़ियारी पेयजल योजना का पुनर्गठन

39—श्री बिशन सिंह चुफाल—

क्या पेयजल मंत्री को जानकारी है कि जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 1965 में उड़ियारी पेयजल योजना का निर्माण कराया गया था ?

यदि हाँ, तो क्या उक्त योजना से उड़ियारी के पूरे गाँव को पेयजल की सुविधा मिल रही है ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार पुनर्गठन योजना की स्वीकृति प्रदान करायेंगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह निर्माण वर्ष 1967—68 में कराया गया था।

योजना के तीन स्रोतों में से दो स्रोत ग्रीष्म ऋतु में सूख जाने के कारण आंशिक रूप से जलापूर्ति की जा रही है।

योजना के पुनर्गठन का प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार, विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पिथौरागढ़ में क्षतिग्रस्त डीडीहाट दूनाकोट मोटर मार्ग का डामरीकरण

40—श्री बिशन सिंह चुफाल—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में डीडीहाट दूनाकोट मोटर मार्ग पाँच से तेरह कि0मी0 तक जगह—जगह क्षतिग्रस्त हो गया है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में दूनाकोट मोटर मार्ग का डामरीकरण करायेंगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

जी हाँ, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है।

जी नहीं। मात्र क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत करायी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

स्थानीय निकाय कर्मचारियों के पेंशन सम्बन्धी शासनादेश में संशोधन

41—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या नगर विकास मंत्री जी को जानकारी है कि स्थानीय निकाय कर्मचारियों से 600.00 रु0 मासिक कटौती पेंशन अंशदान के रूप में काटी जा रही है जबकि कर्मचारियों को मात्र 1000.00 रु0 पेंशन दस वर्ष तक दी जाती है ?

यदि हाँ, तो पेंशन सम्बन्धी शासनादेश में संशोधन कर विसंगति को कब तक दूर कर लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

जी नहीं। स्थानीय निकाय के नियमित कर्मचारियों के मूल वेतन के 12 प्रतिशत की दर से पेंशन अंशदान की कटौती की जाती है। पेंशन धनराशि की गणना सूत्रानुसार की जाती है जिसकी अधिकतम सीमा रु0 1000/– प्रतिमाह है। कार्मिकों को पेंशन भुगतान आजीवन किया जाता है।

प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

42–श्री महेन्द्र भट्ट–

द्वितीय गुरूवार अता0 42 में स्थाना0

जनपद चमोली के वि0ख0 पोखरी से ब्लॉक मुख्यालय तक मोटर मार्ग की स्वीकृति

43–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी से ब्लॉक मुख्यालय के लिए मोटर मार्ग कब स्वीकृत किया गया था ?

क्या वर्तमान में उक्त मार्ग पर वाहनों का आवागमन हो रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मात्र हल्का वाहन मार्ग दो चरणों में वर्ष 1999 में स्वीकृत हुआ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

44–श्री बिशन सिंह चुफाल–

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त

जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्रामों में निवास करने वाले बुक्सा व थारू जनजाति को जलौनी लकड़ी की व्यवस्था

45–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पूर्व की भाँति जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्रामों में रहने वाले बुक्सा व थारू जनजाति के लोगों को ईंधन के रूप में जंगल से जलौनी लकड़ी उपलब्ध कराने की सरकार द्वारा कोई व्यवस्था की गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

जी हाँ।

बुक्सा व थारू जनजाति के लोगों को जलौनी लकड़ी रियायत के रूप में एवं उपलब्धता के आधार देने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट अन्तर्गत ग्राम सभा बुरा को जोड़ने हेतु सड़क निर्माण

46–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट के अन्तर्गत ग्राम सभा बुरा को जोड़ने के लिए कुल कितने किमी0 सड़क की स्वीकृति प्रदान की गई है ?

कितने किमी0 सड़क बनकर तैयार हो गई है ?

शेष कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जिला योजना के अन्तर्गत 2.00 किमी0 मार्ग स्वीकृत था।

स्वीकृति के अनुरूप 2.00 किमी0 मार्ग निर्मित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वि0स0 क्षेत्र केदारनाथ में जिला एवं राज्य योजना के अधीन स्वीकृत विभिन्न मोटर मार्गों पर निर्माण कार्य की स्थिति

47–श्रीमती आशा देवी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में जिला एवं राज्य योजना के अधीन स्वीकृत मोटर मार्गों (कुणझाण काण्डई दशज्यूला, कोटखाल, जाख, सनू बैण्ड हरेटीखाल, कमसाल गणेशनगर घुत्तू तुलंगा, वष्टी डासिंगी) पर विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ?

यदि हाँ, तो कब और कार्य कब तक पूर्ण किये जाने की योजना है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

कुणझाण–काण्डई, दशज्यूला एवं कोटखाल जाख मोटर मार्ग निर्माण का सर्वेक्षण कार्य कर लिया गया है। सनबैण्ड हडेटीखाल, हल्का वाहन मार्ग के रूप में स्वीकृत था जिसे शासन की वर्तमान नीतियों के अधीन निर्मित नहीं किया जा सकता है। घुत्तु तुलंगा मार्ग में काश्तकारों के विरोध के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है तथा वष्टी डासिंगी कमसाल गणेशपुर मोटर मार्ग पर निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में मनेरी भाली परियोजना द्वितीय चरण धरासू में डम्पिंग क्षेत्र की भूमि का स्थानान्तरण

48–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में मनेरी भाली परियोजना द्वितीय चरण धरासू में डम्पिंग क्षेत्र की भूमि स्थानान्तरित की जा चुकी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

जी हाँ, भूमि हस्तान्तरण के आदेश जारी किया जा चुके हैं,

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ मुख्यालय तथा निकटवर्ती गाँवों हेतु पेयजल समस्या

49–श्री प्रकाश पंत–

क्या पेयजल मंत्री को जानकारी है कि जनपद पिथौरागढ़ मुख्यालय तथा निकटवर्ती गाँववासी विगत मार्च, 2004 से पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा पेयजल की समस्या से निबटने हेतु कोई कार्य योजना बनाई गई है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं। ग्रीष्म ऋतु में पिथौरागढ़ नगर की ऐंचोली, सरस्वती बिहार कालोनी एवं निकटवर्ती ग्राम मसपाटी में ही पेयजल समस्या उत्पन्न हुई।

जी हाँ।

पिथौरागढ़ नगर के उपरोक्त दोनों मोहल्लों में वितरण प्रणाली एवं जलाशय पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत नई पाईप लाईन डालकर पेयजल समस्या का समाधान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त ग्राम मसपाटी में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु एक योजना वर्ष 2004–05 की जिला योजना में प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ की छेड़ा–कुम्याचौड, सुकोली–चमाली आदि मोटर मार्गों के निर्माण कार्य की स्थिति

50–श्री प्रकाश पंत–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद पिथौरागढ़ की छेड़ा–कुम्याचौड, सुकोली–चमाली, कफलडुगरी–बास्ते, रई–मड–रोडीपाली, वड्डा–लेलू, सैनी–देवत–कुण्डार,

जाख–रावलगाँव, विषाण–कुचा, अशोक नगर–माटीगाँव, अडकीनी–जलतूरी, बडारी–काटेबोरा गाँव, छेडा–छाना–भूरमुनी, चन्द्राक–धारी, मोटर मार्ग निर्माणाधीन हैं ?

यदि हाँ, तो निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

प्रश्न में इंगित 13 मार्गों में से छेडा–कुम्याचौड मोटर मार्ग, सुकोली–चमाली मोटर मार्ग तथा बडारी–काटेबोरा गाँव मोटर मार्ग वर्तमान में स्वीकृत नहीं है। शेष 10 स्वीकृत मार्गों में निर्धारित प्रारम्भिक कार्यवाही गतिमान है।

वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के वि०ख० ताड़ीखेत में, पूर्व में स्वीकृत ''ऐरी गधेरा रूमा–बजीना'' पेयजल योजना का निर्माण

51–श्री अजय भट्ट–

क्या पेयजल मंत्री मिज्ञ हैं कि जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड ताड़ीखेत में पूर्व में स्वीकृत ''ऐरी गधेरा रूमा–बजीना'' पेयजल योजना का निर्माण अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है ?

क्या सरकार इस पेयजल योजना का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराएगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

स्रोत विवाद के कारण रूमा–बजीना पेयजल योजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका।

स्रोत विवाद हल होने अथवा नया स्रोत उपलब्ध होने पर ही योजना का निर्माण कराया जाना सम्भव है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद ऊधमसिंह नगर के खटीमा में ओवर हैड टैंक का निर्माण

52–श्री गोपाल सिंह राणा–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के खटीमा शहर में ओवर हैड टैंक का निर्माण कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद ऊधमसिंह नगर के खटीमा शहर में 1000 कि०ली० क्षमता का ओवर हैड टैंक का निर्माण कार्य 70 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है एवं शेष सभी कार्य माह नवम्बर, 2004 तक पूर्ण कराये जाने प्रस्तावित हैं।

थारू जनजाति के किसानों को हक–हकूक माफी में इमारती एवं जलौनी लकड़ी को पुनः दिये जाने की योजना

53–श्री गोपाल सिंह राणा–

क्या वन मंत्री अवगत है कि थारू जनजाति के किसानों को वन विभाग के हक–हकूक माफी में इमारती एवं जलौनी लकड़ी दी जाती थी, परन्तु अब कुछ वर्षों से हक–हकूक माफी की लकड़ी देना बन्द कर दिया गया है तो क्या थारू जनजाति के किसानों को हक–हकूक माफी की इमारती एवं जलौनी लकड़ी पुनः दिये जाने की कोई योजना है?

यदि है तो कब से यह सुविधा अनुमन्य होगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

वन बन्दोबस्त के तहत खण्ड कक्षवार प्रत्येक गाँव के हक–हकूक निर्धारित है, वस्तु आदेश के आधार पर हक–हकूक दिये जाते हैं, थारू जनजाति के किसान भी उसमें सम्मिलित हैं,

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ऊधमसिंह नगर में गदरपुर बाईपास मार्ग का निर्माण

54–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत मुख्यमंत्री द्वारा घोषित गदरपुर बाईपास मार्ग का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

वित्तीय वर्ष 2004–2005 में।

प्रश्न नहीं उठता।

55–श्री नारायण पाल–

प्रथम सोम0 के अता0 111 में स्थाना0।

56–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

द्वितीय बुधवार के अता0 30 में स्थाना0।

जनपद पिथौरागढ़ में पांखू–कोटगाड़ी मार्ग के मध्य पड़ने वाले मोटर पुल का निर्माण

57–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत है कि जनपद पिथौरागढ़ में पांखू–कोटगाड़ी तक 02 कि0मी0 सड़क बनी हुई है ?

क्या यह सत्य है कि उक्त मार्ग के मध्य पड़ने वाले मोटर पुल का निर्माण न होने से सड़क का लाभ क्षेत्रीय जनता को नहीं मिल पा रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में उक्त पुल का निर्माण कब तक करायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

निर्मित सड़क का लाभ जनता को प्राप्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पिथौरागढ में अलगड़ा पेयजल योजना का पुनर्गठन

58–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 1975–76 में अलगड़ा पेयजल योजना का निर्माण किया गया था ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पेयजल योजना का पुनर्गठन करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ,

अलगड़ा पेयजल योजना पुनर्गठन हेतु आगामी जिला योजना में प्रस्तावित की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

59–श्री बिशन सिंह चुफाल–

प्रथम सोम के अता0 114 में स्थाना0

जनपद अल्मोड़ा की तहसील रानीखेत के अन्तर्गत, दिगोरी बग्वाली पोखर मोटर मार्ग का निर्माण

60–श्री अजय भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा की तहसील रानीखेत के अन्तर्गत दिगोटी–बग्वालीपोखर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ?

उक्त मोटर मार्ग का कार्य कई वर्षों से बाधित रहने के क्या कारण रहे ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

प्रश्नगत नाम से कोई मार्ग स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के वि0ख0 ताड़ीखेत अन्तर्गत गाँव जाल, चमड़ोली एवं वामन चमड़ोली में पेयजल संकट

61— श्री अजय भट्ट—

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड ताड़ीखेत के अन्तर्गत, गाँव जाल, चमड़ोली एवं वामन चमड़ोली में गम्भीर पेयजल संकट बना हुआ है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त समस्या के निराकरण के लिये जन गधेरे से बनाई हेतु प्रस्तावित पेयजल योजना को कब तक स्वीकृति प्रदान कर देगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हाँ।

योजना का प्राक्कलन विचाराधीन है। तकनीकी रूप से ठीक पाये जाने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी।

वर्ष 2003—04 तथा अप्रैल, 2004 से 31 मई, 2004 तक विभिन्न समाचार पत्रों में दिये गये विज्ञापनों पर व्यय

62—श्री प्रकाश पन्त—

क्या सूचना मंत्री बतायेंगे कि वर्ष 2003—04 तथा अप्रैल, 2004 से 31 मई, 2004 तक विभिन्न समाचार पत्रों में दिये गये विज्ञापनों पर कुल कितना व्यय किया गया ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

इस अवधि में विभिन्न समाचार पत्रों में दिये गये विज्ञापनों पर कुल रु0 5,95,21,812 (पाँच करोड़ पिच्चानवें लाख इक्कीस हजार आठ सौ बारह मात्र) का व्यय किया गया।

जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत क्षतिग्रस्त नाचनी—मस्कोट मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण

63—श्री बिशन सिंह चुफाल—

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत नाचनी—मस्कोट मोटर मार्ग वर्ष 2002 से यातायात हेतु बन्द है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क को यातायात हेतु चालू करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

जी हाँ, 10.00 किमी0 लम्बाई में स्वीकृत इस मार्ग के विरूद्ध 4.00 किमी0 मार्ग निर्मित हुआ था, जो भूस्खलन व अतिवृष्टि के कारण भारी मात्रा में क्षतिग्रस्त हो गया है।

अत्यधिक व्यय शामिल होने के कारण पुनर्निर्माण वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अल्मोड़ा के वि0ख0 ताड़ीखेत के काकड़ीघाट–शीतलाखेत मोटर मार्ग का निर्माण

64—श्री अजय भट्ट—

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड ताड़ीखेत के काकड़ीघाट–शीतलाखेत मोटर मार्ग का निर्माण किस सन् में किया गया ?

आज तक कुल कितने कि0मी0 सड़क का निर्माण हो चुका है तथा शीतलाखेत पहुँचने के लिए कितनी कि0मी0 सड़क की आवश्यकता है ?

क्या सरकार जनहित में उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

मार्ग का निर्माण कार्य वर्ष 1994 में किया गया।

अब तक कुल 15.85 कि0मी0 मार्ग का निर्माण किया जा चुका है। शीतलाखेत पहुँचने के लिए 8.00 किमी0 मार्ग की स्वीकृति की और आवश्यकता होगी।

अवशेष मार्ग की स्वीकृति एवं निर्माण वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत रानीखेत तहसील में नैनी–जाना मोटर मार्ग का निर्माण

65—श्री अजय भट्ट—

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत है कि अल्मोड़ा जिले के अन्तर्गत रानीखेत तहसील में नैनी–जाना मोटर मार्ग का निर्माण 2 किमी0 लम्बाई तक स्वीकृत हो चुका है?

यदि हाँ, तो इस सडक के शेष भाग का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

जी हाँ।

2 कि0मी0 लम्बाई का उपरोक्त स्वीकृत कार्य का अवशेष भाग आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जायेगा।

जनपद उत्तरकाशी के ब्लाक नौगाँव के ओडगाँव में 'स्वजल' द्वारा कतिपय परिवारों को शौचालय निर्माण हेतु अनुदान राशि का भुगतान

66—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के ब्लाक नौगाँव के ओडगाँव में 'स्वजल' द्वारा 22 परिवारों का शौचालय निर्माण हेतु चयन किया गया था?

क्या सभी 22 परिवारों द्वारा शौचालय बनाये गये है ?

क्या यह सत्य है कि 22 परिवारों में 05 परिवारों को शौचालय निर्माण हेतु दी जा रही अनुदान राशि का भुगतान नहीं किया गया है ?

यदि हाँ, तो इन 05 परिवारों को देय अनुदान राशि का कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हाँ।

जी हाँ।

शौचालय अनुदान राशि का भुगतान कुछ परिवारों को नहीं प्राप्त होने की शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा प्रकरण की जाँच करायी गयी थी। जाँच के उपरान्त यह स्पष्ट हुआ था कि 4 परिवारों को ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति तथा सहयोगी संस्था द्वारा शौचालय की अनुदान राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति के दोषी पदाधिकारियों तथा सहयोगी संस्था से वसूली जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। वसूली की धनराशि स्वजल परियोजना को वापिस मिलने पर सम्बन्धित परिवारों को भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

लागू नहीं।

जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय से जुड़े गाँव सिल्याण जसपुर व निराकोट को पुरा योजना में शामिल करने की माँग

67—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत है कि जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय से जुड़े गाँव सिल्याण, जसपुर व निराकोट को पुरा योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है ?

यदि हाँ, तो क्या अति निकटस्थ उपरोक्त गाँवों को पुरा योजना में शामिल कर लाभान्वित किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं। सम्बन्धित सभी गाँव जो कि ग्राम सभा जसपुर के अन्तर्गत हैं, "पुरा" योजना में सम्मिलित हैं।

भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली अन्तिम स्वीकृति उपरान्त ही सम्बन्धित ग्रामों को लाभान्वित किया जा सकेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजनान्तर्गत ऐंचोली–बड़ाबे, गुरना–गोगना आदि मोटर मार्गों का निर्माण

68–श्री प्रकाश पंत–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत है कि जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजनान्तर्गत ऐंचोली–बड़ाबे, गुरना–गोगना, हरकान्डे–सल्ला, रई–मड़–शेडीपाली तथा छेड़ा–छाना–मुरमुनी मोटर मार्गों के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है ?

यदि हाँ, तो निर्माण कार्य की प्रगति क्या है तथा निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में ऐंचोली–बड़ाबे तथा गुरना–गोगिना मार्ग स्वीकृत हैं,

ऐंचोली–बड़ाबे मार्ग 90 प्रतिशत पूर्ण तथा गुरना–गोगिना मार्ग का 30 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा मार्ग शीघ्र पूर्ण हो जायेंगे।

जनपद उत्तरकाशी के वि0ख0 चिन्यालीसौड अन्तर्गत चिन्यालीसौड से कोटबागी तक मोटर मार्ग का निर्माण

69–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत है कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड अन्तर्गत चिन्यालीसौड से कोटबागी तक मोटर मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री द्वारा कोई घोषणा दिनांक 10–2–2004 मनेरी उत्तरकाशी में की गई थी ?

यदि हाँ, तो उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई तथा सड़क का निर्माण कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ?

और कब तक सड़क बनकर तैयार हो जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

आय–व्ययक पारित होने पर।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी की तहसील डुण्डा के ग्राम मालना में आदमखोर बाघ द्वारा घायल, पीड़िता को मुआवजे का भुगतान

70–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी की तहसील डुण्डा अन्तर्गत ग्राम मालना निवासी फिंचरलाल की पुत्री प्रभा को आदमखोर बाघ द्वारा 15–01–2004 को घायल किया गया था ?

क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा पीड़िता को मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है ?

यदि हाँ, तो पीड़िता को कब तक मुआवजा दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नियमानुसार देय मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है।

जनपद हरिद्वार में वि0ख0 क्षेत्र लालढांग के गैन्डीखत्ता लालढांग–कोटद्वार सम्पर्क मोटर मार्ग का सुदृढ़ीकरण

71–श्री तसलीम अहमद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लालढांग के हरिद्वार नजीबाबाद मुख्य मार्ग से गैन्डीखत्ता लालढांग–कोटद्वार सम्पर्क मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

वन भूमि हस्तान्तरण के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लालढांग में हरिद्वार–लक्सर रोड़ से भोगपुर मार्ग का सुदृढ़ीकरण

72—श्री तसलीम अहमद—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लालढांग में हरिद्वार लक्सर रोड़ से भोगपुर भिक्कमपुर, रायसी, बाला वाली मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं।

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत भीमताल शहरी पेयजल योजना की स्वीकृति

73—श्री नारायण सिंह जन्तवाल—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत भीमताल शहरी पेयजल योजना को पूर्ण करने की कोई समयावधि निश्चित की गयी है?

यदि हाँ, तो उक्त योजना हेतु कब तक धनराशि अवमुक्त कर दी जायेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं। भीमताल पुनर्गठन फेज–1 के कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं तथा फेज–2 के कार्यों हेतु अभी स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध ढंग से योजना कार्यान्वित की जा सकेगी।

जनपद चमोली के वि0ख0 घाट के ग्राम सभा सेतीकाली में पेयजल आपूर्ति

74—श्री महेन्द्र भट्ट—

क्या पेयजल मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट के ग्राम सभा सेतीकाली में निर्मित पेयजल योजना से पेयजल आपूर्ति हो रही है?

यदि नहीं, तो क्यो तथा उक्त गाँव को कब तक पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कर ली जायेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सेती फाली पेयजल योजना क्षतिग्रस्त होने के कारण ग्राम सेती में जलापूर्ति बन्द है तथा ग्राम फाली में अस्थाई रूप से जलापूर्ति चालू है।

ग्राम सेती एवं फाली में सुचारू पेयजल व्यवस्था हेतु सेतीफाली पेयजल योजना के जीर्णोद्धार/पुनर्गठन कार्य वर्ष 2004–05 की जिला योजना में प्रस्तावित है।

नगर पालिका अकेन्द्रीयत कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समान पेंशन व अन्य सुविधाये

75–श्री प्रकाश पंत–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नगरपालिका अकेन्द्रीयत कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समान पेंशन व अन्य सुविधायें दिये जाने के सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

नगर निकाय अकेन्द्रीयत सेवा कर्मचारियों की सेवा नियमावली तथा अन्य सुविधायें देने का प्रकरण शासन में विचाराधीन है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला ऊधमसिंह नगर के काशीपुर वि0स0 क्षेत्र में वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजनान्तर्गत गरीब परिवारों को उपलब्ध करायी गयी आवासीय सुविधा का विवरण

76–श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने का करेंगे कि जिला ऊधमसिंह नगर को काशीपुर विधान सभा क्षेत्र में वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत गरीब परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई गयी है ?

यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री नव प्रभात–

जी हाँ।

वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत हडको से अप्रैल माह 2004 में रु0 46.40 लाख धनराशि प्राप्त हुई है, जिससे नगरपालिका क्षेत्र काशीपुर में 205 तथा महुआखेड़ागंज में 27 मकान बनाये जाने प्रस्तावित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

77–श्री हरभजन सिंह चीमा–

प्रथम सोम0 के अता0 112 में स्थाना0

जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र काशीपुर में वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत गरीब परिवारों को उपलब्ध कराये गये आवासों का ब्योरा

78–श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कितने परिवारों को जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र काशीपुर के अन्तर्गत आवास उपलब्ध कराये गये हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

आवास उपलब्ध कराये जाने प्रस्तावित हैं।

हडको के माध्यम से अप्रैल, 2004 में रु0 46.40 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है जिससे 232 मकान बनाये जाने प्रस्तावित है।

केन्द्र सरकार से वर्ष 2002–03 में देहरादून नगर की मलिन बस्तियों के विकास हेतु प्राप्त धनराशि तथा कार्यों का विवरण

79–श्री हरबंस कपूर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि केन्द्र सरकार से वर्ष 2002–03 में देहरादून नगर निगम के अन्तर्गत मलिन बस्तियों के विकास कार्यों के लिए कोई धनराशि प्राप्त हुई ?

यदि हाँ, तो कितनी ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस धन से किन–किन मलिन बस्तियों में विकास कार्य कराये गये है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

जी हाँ।

जिला नगरीय विकास अभिकरण देहरादून को राष्ट्रीय मलिन बस्तियों सुधार योजनान्तर्गत वर्ष 2002–2003 में देहरादून नगर निगम के अन्तर्गत मलिन बस्तियों के विकास कार्यों के लिए रु0 58.55 लाख की धनराशि केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई है।

प्राप्त धनराशि के सापेक्ष कुल रु0 48.40 लाख की धनराशि के निर्माण कार्य विभिन्न मलिन बस्तियों में कराये जा रहे हैं। विवरण संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ संख्या 96 पर)

जनपद हरिद्वार में सूचीबद्ध किए गये गम्भीर पेयजल संकट वाले क्षेत्रों का विवरण

80–श्री तसलीम अहमद–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा उत्तरांचल में गम्भीर पेयजल संकट वाले क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है ?

यदि हाँ, तो जनपद हरिद्वार के कितने और कौन–कौन से क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है तथा इन क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

सैक्टर रिफार्म पाइलेट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्रथम बैच में जनपद हरिद्वार के संलग्न सूची के अनुसार 94 ग्राम पंचायतों को चयनित किया गया है। इन ग्राम पंचायतों में पेयजल योजना तथा पर्यावरणीय स्वच्छता का कार्य 106 उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता समितियों तथा सहयोगी संस्थाओं के सहयोग से ग्रामवासियों द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ सं0 97–100 पर)

जनपद हरिद्वार में जनवरी 2003 से अब तक जंगली जानवरों द्वारा मारे गये/घायल व्यक्तियों को मुआवजा

81–श्री तसलीम अहमद–

क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में जनवरी, 2003 से अब तक जंगली जानवरों द्वारा कितने व्यक्तियों की मृत्यु तथा कितने घायल हुए है ?

क्या सभी दुर्घटना प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा दे दिया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

जनपद हरिद्वार में जनवरी, 2003 से अब तक कुल 4 व्यक्तियों की जंगली जानवरों के द्वारा मृत्यु हुई है और 7 व्यक्ति घायल हुए हैं।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता है।

82–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

अस्पष्टता के आधार पर निरस्त।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत टिकोली बैंड बघाड़ सड़क निर्माण हेतु वन विभाग की अनुमति

83–श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के टिकोली बैंड बघाड़ सड़क के निर्माण हेतु वन विभाग द्वारा अनुमति प्रदान की जा चुकी है ?

यदि नहीं, तो अनुमति हेतु क्या प्रयास किये गये हैं ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल के विभिन्न जनपदों में विगत वर्ष में अवैध रूप से पातित वृक्ष एवं दर्ज मामलों का विवरण

84–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या वन मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में जनपदवार विगत वर्ष कुल कितने वृक्षों का अवैध कटान हुआ है ? उक्त अवधि में अवैध कटान के कितने मामले दर्ज हुए ?

क्या दोषी व्यक्तियों को पकड़ लिया गया है ?

यदि हाँ, तो उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री नव प्रभात–

उत्तरांचल के आरक्षित वन क्षेत्र में विगत वर्ष के दौरान अवैध रूप से पातित वृक्षों तथा दर्ज मामलों का जनपदवार विवरण निम्नवत् है :–

क्र0सं0	जनपद का नाम	पातित वृक्षों की संख्या	दर्ज मामलों की संख्या
1.	चमोली	84	43
2.	रुद्रप्रयाग	38	16
3.	गढ़वाल	164	77
4.	उत्तरकाशी	646	227
5.	टेहरी	189	64
6.	देहरादून	306	192
7.	हरिद्वार	470	162
8.	नैनीताल	735	300
9.	अल्मोड़ा	398	169
10.	पिथौरागढ़	43	41
11.	बागेश्वर	148	69
12.	चम्पावत	118	65
13.	ऊधमसिंह नगर	400	276
	योग :–	3739	1701

जी हाँ।

दर्ज किये गये कुल 1701 मामलों में से 1587 मामलों में रु0 46.92 लाख अर्थदण्ड के रूप में वसूल किये गये हैं , 29 मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं तथा 85 मामलों में विभागीय स्तर पर जाँच चल रही है।

जनपद रुद्रप्रयाग के ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली भालू तथा सुअरों द्वारा फसल को पहुँचाये गये नुकसान का मुआवजा

85–श्रीमती आशा देवी–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली भालू तथा सुअरों द्वारा किसानों की फसल को नुकसान से बचाने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना बनाई जा रही है ?

क्या जंगली सुअरों द्वारा किए गये नुकसान का मुआवजा किसानों को दिया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या मानक निर्धारित है ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

जंगली सुअरों द्वारा ग्रामीणों की फसलों को पहुँचाये जाने वाले नुकसान की प्रतिपूर्ति हेतु अनुग्रह राशि की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रतिपूर्ति अनुग्रह राशि विचाराधीन है।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएँ

आज नियम 301 के अन्तर्गत निम्न सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, श्री बलबीर सिंह नेगी, श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी, श्री हेमेश खर्कवाल, श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री प्रकाश पंत, श्रीमती आशा नौटियाल, श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री अनिल नौटियाल, कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" तथा श्री मदन कौशिक की कुल 14 सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी, श्री बलबीर सिंह नेगी, श्रीमती आशा नौटियाल, श्री अनिल नौटियाल, कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", श्री हेमेश खर्कवाल तथा श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट की सूचनाओं को स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएँ अस्वीकार की गयी।

दिनांक 17–7–2004 को अतिवृष्टि से उर्गम घाटी के दर्जनों गाँवों में उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

मान्यवर, विगत दिनांक 17–07–2004 की रात्रि को अतिवृष्टि के कारण उर्गम घाटी के दर्जनों गाँव उर्गम, ढींग किमाणा, जखोला.....

(व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैखुरी जी, कृपया आप एक मिनट बैठ जायें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जो प्रश्न माननीय सदस्यगण यहाँ पर पूछते हैं वे सब लोक महत्व के होते हैं, फिर क्या कारण है कि इसे विस्तीर्णता के कारण निरस्त कर दिया गया। मान्यवर, नियमावली में नियम 38 को देख लें। उसमें स्पष्ट लिखा है कि "किसी प्रश्न का उत्तर उस तिथि को दिया जायेगा जिसके लिए वह सूचीबद्ध हो"।

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, सरकार प्रश्न को स्वीकृत या अस्वीकृत नहीं करती, उसे आप द्वारा किया जाता है। (व्यवधान)

माननीय सदस्य, बात को तो सुन लें।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय सदस्य की आपत्ति उचित है, प्रश्नों को निरस्त किये जाने का कारण पूछना भी माननीय सदस्य का अधिकार है, उनकी पूरी बात सुन ली जाय, इस तरह से [XXX] नहीं चलेगी।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, यह सदन की व्यवस्था का प्रश्न है, यह कोई [XXX] नहीं है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, कई प्रश्न स्वीकार किये जाते हैं और जो स्वीकार होते हैं, उनका उत्तर यहाँ पर सरकार को देना चाहिए। मैं नियम 38 का जिक्र कर रहा था, उसमें है कि किस प्रश्न का उत्तर उस तिथि को दिया जायेगा जिसके लिए वह सूचीबद्ध किया गया हो। यदि सदस्य द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध न हो तो मंत्री तद्नुसार स्थिति बतायेंगे और अध्यक्ष इतना अधिक समय, जिसे वे परिस्थितियों को देखते हुए उपयुक्त समझें, दे सकेंगे तथा उत्तर के लिए कोई तिथि नियत करेंगे। मान्यवर, आज तो हाईटेक, ई–मेल, कम्प्यूटर का जमाना है तो वह विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त करने का आधार क्या है? यह प्रश्न दो माह पहले दिया गया था। दो महीने में सरकार इसका जवाब नहीं दे रही है, इसे अगले सोमवार में ले लिया जाये या अगले मंगलवार मे ले लिया जाय। कोई तिथि आप निश्चित कर दें, यह मेरा आपसे आग्रह है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, आप स्वयं ही इस प्रश्न का आंकलन कर लें और विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त करने का प्राविधान नियमावली में है।

नोट– [XXX] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया।

श्री अजय भट्ट—

मान्यवर, हमें इस पर आपका संरक्षण चाहिए और विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि आखिर क्या प्रॉब्लम थी कि इसे निरस्त कर दिया गया, इस पर मेरे अलावा 2 अन्य माननीय सदस्य के नाम हैं। मेरा अनुरोध है कि इसे अगले सोमवार के लिए कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

सरकार की कुछ व्यवहारिक कठिनाईयाँ होती हैं, जिसकी वजह से कभी—कभी प्रश्न स्थगित किये जाते हैं और निरस्त भी किये जाते हैं।

(व्यवधान)

श्री मदन कौशिक—

मान्यवर, इसे निरस्त कर दिया गया है ...।

श्री नव प्रभात—

मान्यवर, नियमावली के अध्याय—7 के नियम 28 के भाग 11 की ओर मैं माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी—

मान्यवर, विगत दिनांक 17—07—2004 को अतिवृष्टि के कारण उर्गम घाटी के दर्जनों गाँव उर्गम, डौंग, तपोण किमाणा, जखोला, पल्ला, पिलखी, भर्की, बड़कण्डा, सलना, ल्यारी ह्यूणा, पोखनी, डुमक, कलगोट, लंगसी, गणाई, मोल्टा, पाताल गंगा, गुलाबकोटी, पाखी, टंगणी प्रभावित हो गये हैं। गाँव के सम्पर्क मार्ग व कई पुल ध्वस्त हो गये हैं, जिससे कि खाद्यान्न संकट पैदा हो गया है।

प्राप्त सूचना के अनुसार 22 आवासीय मकान व कई गौशालायें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 2 मवेशी भी मर गये हैं तथा 3 घायल हैं और 18 मकान आंशिक क्षतिग्रस्त है। इसके साथ ही पिलखी—बड़कण्डा के बीच लगभग 1 किलोमीटर की झील बन गई है।

किसानों की खरीफ की फसल धान, राजमा, सोयाबीन, सेब आदि की फसल नष्ट हो गई है। विद्युत और संचार व्यवस्था ठप्प हो गई है। इससे क्षेत्र की जनता में दहशत फैल गई है।

यह अति अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। अतः मेरा सदन के माध्यम से प्रभावी कार्यवाही किये जाने का पुरजोर अनुरोध है।

टिहरी के बालगंगा रेंज के आरगढ़ कम्पार्टमेन्ट में लगी आग से मृत मजदूरों एवं जानमाल की क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बलबीर सिंह नेगी—

मान्यवर, दिनांक 20—05—2003 को जनपद टिहरी गढ़वाल के बालगंगा रेंज के आरगढ़ कम्पार्टमेन्ट में लीसा कूप संख्या 13 में श्री उम्मेद सिंह नाम के ठेकेदार के

नेपाली मजदूर लीसा दोहन का कार्य कर रहे थे। आस–पास के जंगल में भयंकर आग लगी थी। आग को नजदीक आते देखकर कूप तथा अपने को बचाने व निकाले गये लीसा कनस्तरों को बचाने के लिए नेपाली मजदूर फायर लाइन देने लगे, लेकिन इस बीच ये लोग आग की चपेट में आ गये। इस भयानक हादसे में राम बहादुर पुत्र श्री भगत बहादुर उम्र 37 वर्ष व श्रीमती जुन कुमारी पत्नी श्री मन बहादुर उम्र 27 वर्ष के बुरी तरह से झुलसने से मौके पर ही मौत हो गयी , जबकि श्री डाउन उम्र 76 वर्ष, श्री राम सिंह 30 वर्ष, श्रीमती विष्णु पत्नी श्री राम सिंह और रेतु पुत्र श्री मन बहादुर उम्र 7 वर्ष गम्भीर रूप से घायल हो गये। उम्मेद सिंह ठेकेदार के तीन दर्जन से भी अधिक लीसा के कनस्तर, कपड़े, बिस्तर व राशन इत्यादि जलकर राख हो गये जिसके कारण हजारों रुपये की क्षति हुई। इस वीभत्स दुर्घटना से उम्मेद सिंह ठेकेदार के समक्ष आजीविका का गम्भीर संकट पैदा हो गया। अभी तक शासन–प्रशासन की ओर से पीड़ित व्यक्तियों को कोई मुआवजा/राहत राशि न मिलने से जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। उक्त दुर्घटना से पीड़ित परिवार को अविलम्ब मुआवजा एवं राहत राशि दिये जाने की प्रभावी कार्यवाही की माँग करता हूँ।

अतः अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय, तात्कालिक एवं लोकमहत्व की सूचना को संज्ञान में लेते हुए सरकार को आवश्यक निर्देश देने की कृपा करें।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अगस्त्यमुनि में डाक्टरों एवं उपकरणों की कमी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती आशा देवी–

महोदय, मैं आपके माध्यम से जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अगस्त्यमुनि में डॉक्टरों की कमी एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य उपकरणों के न होने से क्षेत्रीय जनता एवं यात्रा पर आये यात्रियों को उपचार में हो रही परेशानियों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। महोदय वर्तमान में उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में मात्र 02 डॉक्टर कार्यरत हैं, जबकि 04 डॉक्टरों के पद रिक्त चल रहे हैं।

क्षेत्रीय जनता की समस्याओं एवं यात्रा सीजन के चलते डॉक्टरों की कमी के कारण भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त चिकित्सालय में स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक अन्य उपकरण एवं अल्ट्रासाउण्ड जैसी सुविधा भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उक्त क्षेत्र में ग्रामीण एवं पहाड़ी के साथ–साथ भू–स्खलन की दृष्टि से अति संवेदनशील होने के कारण आये दिन कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है। वर्तमान में उक्त क्षेत्र में डाइरिया जैसी भयंकर बीमारी का प्रकोप होने के कारण क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण उक्त चिकित्सालय में रिक्त चल रहे डॉक्टरों की नियुक्ति एवं चिकित्सा उपचार सम्बन्धित आवश्यक उपकरण तत्काल उपलब्ध कराये जाने की माँग जनता लम्बे समय से करती आ रही है लेकिन उक्त प्रकरण पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। स्थानीय जनता में डॉक्टरों की नियुक्ति न किये जाने के आक्रोश व्याप्त है तथा कभी भी जन आन्दोलन का रूप ले सकता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर जनहित में अविलम्ब कार्यवाही करने की माँग करती हूँ।

चमोली के गौचर के भट्नगर गाँव में पम्पिंग सैट खराब होने के कारण उत्पन्न सिंचाई की स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, जनपद चमोली के गौचर नामक स्थान पर भट्नगर गाँव के नीचे की ओर खेतों की सिंचाई हेतु पम्पिंग सेट लगाये गये हैं जिससे कि लगभग 300–400 नाली भूमि की सिंचाई की जाती है किन्तु पम्पिंग सेट के खराब होने के खेतों की सिंचाई नहीं हो पा रही है। नहरें भी कई स्थानों पर टूट गयी हैं। नलकूप विभाग को शिकायत करने के बाद भी अभी तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हो पायी है। काश्तकारों के खेत सूखे पड़े हैं, जिससे काश्तकारों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया है जो कभी भी आन्दोलन का रूप ले सकता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की माँग करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी एक निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा नियम 301 के अन्तर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर सरकार द्वारा एक माह के अन्दर जवाब देना होता है। चूँकि यह काश्तकारों एवं किसानों से जुड़ा हुआ मसला है। मैं चाहूँगा कि आप सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें कि वह आज या फिर एक दो दिन में इस समस्या का निराकरण कर दें।

सेवानिवृत्त शिक्षकों को पंचम वेतन आयोग के अनुसार पेंशन देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, पंचम वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर प्रदेश के समस्त शिक्षकों को 1 जनवरी, 1996 से नवीन वेतनमान का लाभ मिला है। परन्तु जो शिक्षक 1996 से 2001 के मध्य सेवा निवृत्त हुए हैं वे सभी उक्त लाभ से वंचित रह गये हैं और पुराने वेतनमान के आधार पर ही पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। उक्त परिप्रेक्ष्य में 30 अक्टूबर 2002 को शिक्षामंत्री द्वारा दिये गये आवश्वासन के बावजूद अभी तक इस संदर्भ में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वैसे सन् 2000 तक सेवा निवृत्त हुए शिक्षकों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन का भुगतान किया जा रहा है जबकि यह अध्यापकगण, उत्तरांचल के ही निवासी हैं। अतः जनहित में इन शिक्षकों को उत्तरांचल सरकार द्वारा ही पेंशन का भुगतान किया जाना श्रेयस्कर होगा। लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए प्रभावी कार्यवाही की माँग करता हूँ।

रोजिन फैक्ट्री चम्पावत के कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हेमेश खर्कवाल–

मान्यवर, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के उपक्रम रोजिन फैक्ट्री, चम्पावत के समस्त कर्मचारी विगत एक माह से हड़ताल पर हैं। इससे जहाँ कर्मचारियों के सम्मुख रोजी–रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है, वहीं सरकार को भी नुकसान हो रहा है। अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर तत्काल कार्यवाही की मैं माँग करता हूँ।

जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के हापला क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के हापला क्षेत्र में विगत दिनों हुई भारी वर्षा एवम् अतिवृष्टि के कारण क्षेत्र में दर्जनों गाँवों में आवासी मकानों, गौशालाओं के साथ–साथ कृषि योग्य भूमि बह जाने पर सरकारी स्तर पर इन गाँवों की अनदेखी से जनता में व्याप्त जनाक्रोश की ओर दिलाना चाहता हूँ। महोदय इस वर्षा के कारण ग्राम सभा कलसीर, डाडो, डांडागेर से लोगों की कृषि भूमि आवासीय मकान एवं गौशालायें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। महोदय ग्राम सभा डाडो–कलसीर के सैन सिंह, बलवन्त सिंह, सुरेन्द्र सिंह, रजपाल सिंह, कृपाल सिंह, शेर सिंह तथा डांडागेर के राजेन्द्र लाल के आवासीय मकान पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गये हैं। सीर नामक तोक में भूस्खलन से 15 परिवारों को खतरा बना हुआ है। अतः महोदय इस क्षेत्र के सम्पूर्ण सर्वे सहित प्रवाजित लोगों को तत्काल आर्थिक सहायता के साथ–साथ क्षतिग्रस्त आवासीय भवनों के नवनिर्माण के लिए सरकार से आवश्यक कार्यवाही की माँग करता हूँ।

नियम 300 के अन्तर्गत सूचनाऐं

हल्द्वानी के उत्तरांचल फोरेस्ट हास्पिटल ट्रस्ट के उद्घाटन अवसर पर तथा स्थापित शिला पर स्थानीय जनप्रतिनिधि का उल्लेख न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 300 के अन्तर्गत पहली सूचना माननीय सदस्य डा0 नारायण सिंह जन्तवाल ने दी है जो उत्तरांचल फोरेस्ट हॉस्पिटल ट्रस्ट, हल्द्वानी के 27 जून 2004 को उद्घाटन के अवसर पर विभिन्न समाचार पत्रों में दिये गये विज्ञापन तथा इस अवसर पर स्थापित शिला पर उनके नाम का उल्लेख न होने के सम्बन्ध में है। पूर्व में भी ठीक से इस प्रकार के निर्देश दिये गये हैं कि इस प्रकार सरकारी आयोजन के अवसरों पर प्रतिनिधित्व करने वाले स्थानीय माननीय सदस्यों को अनिवार्य रूप से समुचित सम्मान दिया जाए। इस सम्बन्ध में दलीय आधार पर भेदभाव न हो। इस प्रश्न को औचित्य के प्रश्न के रूप में अग्राह्य करता हूँ।

श्री मदन कौशिक द्वारा सत्रावसान के पश्चात् स्वीकृत प्रश्नों के उत्तर प्राप्त न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत दूसरी सूचना माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक ने सत्रावसान के पश्चात् स्वीकृत प्रश्नों के उत्तर न प्राप्त होने के सम्बन्ध में दी है। प्रक्रिया

सम्बन्धी नियमावली के निदेश के नियम 26(1) में यह व्यवस्था की गई है कि माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्न जो सत्र के दौरान उत्तरित नहीं हो सके उनका लिखित उत्तर माननीय सदस्यों को मिल जाये। इस सुव्यवस्था के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना शासन के लिए सुविधाजनक होगा तथा प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य भी संतुष्ट हो सकेंगे। मैं अपेक्षा करूंगा कि शासन इस सम्बन्ध में यथोचित कार्यवाही करे ताकि माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये प्रश्नों का अधिकाधिक निस्तारण हो सकें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, आपका विनिश्चय आ जाय इससे पहले माननीय सदस्य नियम 300 की अपनी सूचना पर कुछ कहना चाहते है वह भी सदन के संज्ञान में आ जाए।

श्री अध्यक्ष–

मैं नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न की सूचना को उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

जनपद ऊधमसिंह नगर के दिनेशपुर कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से " जनपद ऊधमसिंह नगर के दिनेशपुर कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में" श्री विरंचीपद राय एवं अन्य निवासीगण, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद ऊधमसिंह नगर की धीमरी ब्लॉक मार्ग वाया लालपुरी लच्छी भटभोज से रेलवे फाटक तक मोटर मार्ग निर्माण करने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद ऊधमसिंह नगर के धीमरी ब्लॉक मार्ग वाया लालपुरी लच्छी भटभोज से रेलवे फाटक तक मोटर मार्ग निर्माण करने के सम्बन्ध में "श्री विरंचीपद राय एवं अन्य निवासीगण, जनपद ऊधमसिंह नगर हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद ऊधमसिंह नगर के गुलर भोज मार्ग हरिपुरा (नहर पट्टी) वाया चरनपुर, श्यामनगर पुलिया तक पुनः मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से " जनपद ऊधमसिंह नगर के गुलर भोज मार्ग हरिपुरा (नहर पट्टी) वाया चरनपुर, श्यामनगर पुलिया एवं अन्य निवासीगण, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद ऊधमसिंह नगर के 60 पंतनगर, गदरपुर नगरपालिका में बाईपास निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से 60 पन्तनगर गदरपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत गदरपुर नगरपालिका में बाईपास निर्माण के सम्बन्ध में डा0 विरंचीपद राय एवं अन्य निवासीगण, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद उत्तरकाशी के तहसील डुण्डा, ग्राम तल्ली नाकुली को पर्यटन ग्राम घोषित करने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद उत्तरकाशी के तहसील डुण्डा, ग्राम तल्ली नाकुरी को पर्यटन ग्राम घोषित करने के सम्बन्ध में" श्री दलवीर सिंह नेगी एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

विशेषाधिकार अवमानना की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी

श्री रणजीत सिंह रावत–

मान्यवर, इसमें दि0 31–12–2003 को मेरे द्वारा नियम 63 की सूचना थी। कृपया इस पर विनिश्चय देने की कृपा करें। यह मेरे क्षेत्र की सूचना है, जिसका उल्लेख मैं पूर्व में भी कर चुका हूँ। मान्यवर, यदि इस पर आपका विनिश्चय नहीं आता है तो मेरा इस सदन में बैठने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप बैठ जाइये, इसको हम देख रहे हैं। इसमें जल्द ही निर्णय आ जायेगा।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, इस नियम के अन्तर्गत दि0 17–03–2003 की मेरी सूचना थी। इसमें भी कृपया अपना विनिश्चय देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना पर माननीय मंत्री जी का उत्तर आ गया है।

*कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, इस नियम के तहत मेरी भी सूचना थी, कृपया इस पर भी अपना विनिश्चय देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

इसमें भी उत्तर आ चुका है, इस पर हम अपना निर्णय दे देंगे।

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या 12 पुकारे जाने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रेस लाबी से पत्रकारों की अनुपस्थिति

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था जो प्रेस से सम्बन्धित था। इस समय प्रेस आ गयी है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ ? प्रेस के माध्यम से जनता को अतिमहत्वपूर्ण सूचना मिलती है, जिससे जनता कुछ समय के लिए वंचित हो गयी है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का सेट प्रेस को उपलब्ध न होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है, इसका ध्यान रखा जायेगा कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो।

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 (तृतीय संशोधन) विधेयक 2004

कृषि मंत्री (श्री महेन्द्र सिंह महरा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति) (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री महेन्द्र सिंह महरा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर पदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति) (अल्पकालिक व्यवस्था), 1972) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करता हूँ।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 56 में कुल 11 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से मैं श्री कैलाश शर्मा, श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, श्री भगत सिंह कोश्यारी तथा विशन सिंह चुफाल जी को ग्राहयता पर सुन रहा हूँ।

(श्री कैलाश शर्मा का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे)

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, दिनांक 8–6–2004 को सांय 5 बजे चौखुटिया–तहसील अन्तर्गत तड़ागताल क्षेत्र में बादल फटने से क्षेत्र की ग्राम पंचायत कोट्टड़ा, मैसियागाड़ व ढनाण में भारी क्षति हुई है तथा दो आवासीय भवनों सहित जलसंस्थान की एक पेयजल योजना, भूमि संरक्षण विभाग की 7 योजनायें, स्वजल परियोजना की एक योजना तथा 19 पशु अतिवृष्टि से मर गये हैं। तीनों ग्रामों की लगभग 500 नाली भूमि में खड़ी फसल मलबे में दबकर पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। सिंचाई विभाग की 5 नहरों के हैड टूटकर बर्बाद हो गये हैं तथा एक नहर की पुलिया टूटने की स्थिति में है। मान्यवर, इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आवेदन किया और उन्होंने कहा कि राहत कार्य शुरू किया जाए। मान्यवर, जिलाधिकारी सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करने के बावजूद अतिवृष्टि/और बादल फटने से हुई भारी क्षति को रोकने के कोई प्रयास नहीं किये गये हैं। जिससे क्षेत्र की लगभग 5 हजार आबादी बुरी तरह प्रभावित है तथा निकट भविष्य में और बारिश होने से जानमाल के भारी नुकसान होने का खतरा बढ़ गया है। मान्यवर, मुआवजे का 1 करोड़ 16 लाख रुपये का स्टीमेट विभागों को भेजा गया है। लेकिन एक भी कार्य उस क्षेत्र में नहीं हो पाया है, आपदा प्रबन्धन विभाग की गाईड लाइन में कोई व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, अनटाइड के रूप में पहले जिलाधिकारियों के पास पैसा होता था पर आज कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं हैं। मान्यवर, विधायकों की विधायक निधि पहले ही खत्म हो चुकी है इसलिए विधायक भी कुछ नहीं कर सकते हैं, आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा एवं प्रशासनिक स्तर पर अतिवृष्टि से हुई क्षति को रोकने का कोई प्रयास न होने से समूचे क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश व्यापा है।

मान्यवर, उनका कहना है कि 5 हजार की आबादी को रातों–रात उठा दीजिए। इससे जनता का सरकार के ऊपर पूरा रोष है और मैं इस पर सदन की आज की पूरी कार्यवाही रोक कर चर्चा कराये जाने की माँग करता हूँ।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, माननीय सदस्य तब से आपदा प्रबन्धन पर बोल रहे हैं और सत्ता पक्ष को पता ही नहीं कि यह विभाग किसके पास है.... (व्यवधान)।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, सरकार अपनी आपदा प्रबन्धन में लगी हुई है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, इसके बारे में कार्यवाही की जा रही है जो आक्रोश व्याप्त है उसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी को आदेशित कर दिया है, शीघ्र ही इसका समाधान कर दिया जायेगा। जिलाधिकारी के पास आपदा प्रबन्ध का पैसा होता है, तत्काल राहत कार्य क्यों नहीं हुए सवाल पूछा जा रहा है, उनके पास आपदा का पर्याप्त बजट होता है, करीब एक करोड़ रुपये होता है और यदि बजट समाप्त हो जाये तो माँग करनी चाहिए थी, उनसे जवाब पूछा गया है कि क्यों नहीं पूरा कर रहे है।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं समझता हूँ यह तो वही बात हो गयी है कि जैसा पूर्व में कहा गया सचिव तत्काल कार्यवाही करें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, डी0एम0 से बात की..।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, जिलाधिकारी से हमने बार–बार बात की और उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। जहाँ तक मुझे याद है कि प्रत्येक जनपद को इसके लिए दो–दो करोड़ रुपये दिये गये। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभी तक इसका एक पैसा भी नहीं आया। मान्यवर, पूरे गाँव में नाले टूट गये इसके लिए भारत सरकार की गाइड लाइन में कोई व्यवधान नहीं है। मान्यवर, इसमें जिलाधिकारी या तो गलत बयानी कर रहे है कि पैसा नहीं है। या माननीय मंत्री जी सही बात कह नहीं रही हैं कि आपदा प्रबन्धन में पर्याप्त पैसा है। मान्यवर, यह अत्यन्त गम्भीर मामला है इसे इतने हल्के ढंग से लिया जा रहा है। मान्यवर, जो भारत सरकार की गाइड लाइन है उसमें संशोधन किया जाना चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आज तक तो जो सूचना है उसके हिसाब से वर्ष 2000–05 में दैवीय आपदा राहत कार्य हेतु जनपद अल्मोड़ा को अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान हेतु रु0 14 लाख विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु रु0 29.50 लाख, पेयजल मद हेतु रु0 21.50 लाख तथा अन्य मद में रु0 10.00 लाख कुल 50.00 लाख धनराशि आपदा राहत कोष से आवंटित की जा चुकी है। दो आवासीय भवनों हेतु रु0 12,000/, गृह अनुदान एवं 19 पशुओं की मृत्यु पर रु0 14,900/ अनुग्रह अनुदान वितरित कर दिया गया है।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है हमारे यहाँ एक कहावत है कि सब धान बाईस पसेरी नहीं होना चाहिए। मान्यवर, जहाँ आपदा है उस क्षेत्र को बजट दिया जाना चाहिए और जहाँ पर आपदा नहीं है वहाँ बजट नहीं दिया जाना चाहिए। मान्यवर, अभी सोमेश्वर में भयकर आपदा आयी है। मैंने उसके बारे में फैक्स मंगाया है जिसके माध्यम से हम सदन को उसकी जानकारी देंगे, वहाँ पर आपदा का बजट कार्य खर्च होना चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जहाँ–जहाँ दैवीय आपदा है उसके लिए धनराशि मांगी जाती है जैसे अभी हमने 14 करोड़ रु0 केन्द्र सरकार से मांगे और उसको खर्च किया जा रहा है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, अभी आया कि अन–टाइड फण्ड जोकि जिलाधिकारी के पास रहता है उसमें संशोधन कर दिया जाए क्योंकि अब यह नहीं है। मान्यवर, चूँकि मैं आपदा प्रबन्धन मंत्रालय को देख चुका हूँ इसलिए जो 50–50 लाख रु0 हर जिलाधिकारी के पास रहता था, क्या सरकार पुनः जिलाधिकारियों को देगी ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जो परम्परा आपने डाली है पहले उसी को यहाँ निभाया जा रहा है। अन–टाइड फण्ड समाप्त कर दिया गया है और रहा 50–50 लाख रु0 का सवाल तो प्रत्येक जिलाधिकारी के पास 25 लाख रु0 की पहली किस्त पहुँच चुकी है।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, माननीय अजय भट्ट द्वारा दिया गया सुझाव ठीक है और मेरा आपके माध्यम से एक निवेदन है कि जो धनराशि–आपदा प्रबन्धन के नाम पर जिलाधिकारी को दिया जाता है। उसी तर्ज पर प्रत्येक विधायक को आपदा–प्रबन्धन के नाम पर 25 लाख रु0 दिया जाए तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष–

जिनकी सूचनाऐं है उन्हीं को सुना जायेगा:

माननीय सदस्य एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, उत्तरांचल के अन्दर या जब हम उत्तर प्रदेश में थे। सन् 1996 में या उससे भी पहले..

(व्यवधान)

*वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, पहले सूचना तो पढ़ दें।

(व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आप इसे ग्राह्य करें या नहीं यह आपका अधिकार है।

*श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बात कही है कि सूचना प्रस्तुत करें। मान्यवर, नियम 56 में जो व्यवस्था है और जो परम्परा है कि माननीय अध्यक्ष जी जिस समय बुलाते हैं तो माननीय सदस्य केवल ग्राह्यता पर अपने विचार रखते हैं। माननीय मंत्री जी इतने विद्वान और अनुभवी हैं, फिर भी टोका–टाकी कर रहे हैं।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि उत्तरांचल में मेडिकल कालेज होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में तत्कालीन सरकारों ने इसके लिए प्रयास भी किया। चूँकि उस समय यहाँ कोई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेडिकल फैसलिटी नहीं थीं इसलिए हल्द्वानी में वन विभाग की जमीन के अन्दर एक ट्रस्ट बनाया गया था, यह सरकारी ट्रस्ट था। पिछली सरकार ने, हमारी सरकार ने इसे मेडिकल कालेज बनाने के कार्य को आगे बढ़ाया। मेरा अनुरोध है कि [XXX]

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं माननीय कोश्यारी जी की बात को बल देता हूँ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। [XXX]

मान्यवर, माननीय उच्च न्यायालय में केस चल रहा है, अगर वहाँ डिसीजन हो जाता है तो....

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इस केस को विड्रा कर देंगे। (व्यवधान)

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, हमें आपका संरक्षण चाहिए। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, न्यायालय में जाने का मुख्य कारण यह था कि सरकार ने इस पर निर्णय नहीं लिया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूँ यह इस सदन की परम्पराओं के खिलाफ है। मान्यवर, कार्य प्रक्रिया संचालन नियमावली का नियम 59 देखने की कृपा करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मामला कोर्ट में विचाराधीन है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैंने यह कहा "यद्यपि यह मामला अदालत में विचाराधीन है"।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

माननीय अध्यक्ष जी, अवमानना का सवाल नहीं है, यह सरकार जनहित के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहती है। मान्यवर, सरकार हमें नहीं सुनना चाहती है इसलिए हम सभी सदन का बहिष्कार करते हैं। (घोर व्यवधान)

नोट– [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यों ने सदन का बहिष्कार किया।)

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीडर ऑफ पार्लियामेन्ट नाम पुस्तक के पृष्ठ संख्या 511 में उल्लिखित है कि ऑलदो इट में बि दि युनेनिमस डिजायर ऑफ दि हाउस टु डिस्कस आ मैटर विह्च इज सब ज्युडिस, दि स्पीकर इज बाउँड टु फॉरबिड इट। नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ दि प्रिस्क्राइब्ड लीगल प्रोसीड्योर इन आ कैस बिफोर दि कोर्ट कैननॉट बी रेज्ड–डूँ ऐन एडजर्नमेन्ट मोशन।

आ मैटर इज नॉट सब ज्युडिस अनटिल दि लीगल प्रोसीडिंग्स एक्चुएली स्टार्ट, बट द मूमेण्ट आ कम्प्लेन्ट इज फाइल्ड ऑर आ पिटीशन इज लॉन्च्ड इनवालविंग ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एनी ऑफ दि कोर्टस इन इण्डिया, दि कोर्ट इज सीज्ड ऑफ दि मैटर एण्ड टु दैट एक्सटेण्ट दि ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दि हाउस टु डिस्कस दि मैटर इज बार्ड। मान्यवर, इसलिए मैं आपका संरक्षण माँग रहा था इसलिए सबसे पहले माननीय नेता विरोधी दल को सूचना देनी चाहिए थी कि हमने रिट दायर कर दी, पर उन्होंने यह छुपाया यह अवमानना है। मान्यवर, पहले सदन में आना चाहिए था फिर कोर्ट में जाना चाहिए था, पर उन्होंने सदन की अवमानना की। मान्यवर, इस सदन को अवमानना से बचाना आपका दायित्व है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जिन्होंने प्रश्न उठाया वे सदन में नहीं हैं, माननीय मंत्री जी ने जो नियमों का हवाला दिया है उससे भी मैं सहमत हूँ। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं माननीय मंत्री जी के इस बात से सहमत नहीं हूँ कि कोई एक सदस्य जो इस मामले को लेकर माननीय न्यायालय में यदि वहीं सदस्य इस सदन में प्रस्तुत करता तो हम यह मानकर चलते कि ऐसा विषय यहाँ पर उपस्थित नहीं करना चाहिए था। मान्यवर, प्रश्न उपस्थित करने वाले माननीय सदस्य अलग हैं और माननीय न्यायालय में दिये जाने वाले सदस्य अलग हैं और माननीय न्यायालय में दिये जाने वाले सदस्य अलग हैं।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी के दस्तखत हैं। मान्यवर, संसदीय परम्पराओं की रक्षा होनी चाहिए। यह बात उनके सदस्य के संज्ञान में भी था। यह बहुत गम्भीर चीज है। मान्यनर, प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेन्ट के पेज नं0 511 के फस्ट पैरा में स्पष्ट लिखा है कि "ए मैटर इज नॉट सब–जूडिस अनटिल द लीगल प्रोसीडिंगस एक्चवली स्टार्ट, बट द मूमेन्ट ए कॉम्प्लेट इज फाइल्ड और ए पीटीशन इज लॉन्चड इन्वाल्विंग जूरिसडिक्शन ऑफ एनी ऑफ द कोर्टस इन इन्डिया, द कोर्ट इज सीज्ड ऑफ द मैटर एण्ड टू दैट एक्स्टेंट द जूरिसडिक्शन ऑफ द हाउस टू डिस्कस द मैटर इज बार्रड"। मान्यवर, इस प्रकरण पर एक सदस्य ने एक रिट याचिका दायर की

और उनको सुनवायी का पता था और काउन्टर दाखिल होने का भी पता है। इस सदन में आदरणीय कोश्यारी जी ने जब बोलना शुरू किया था। हमारे सब के अधिकार बंटे हुए हैं। राजनीतिकरण के लिए कोई भी मुद्दा सदन को अवमानना का प्रश्न बनता है। आप जो यह प्रस्ताव लाये यह जानबूझकर लाये। मान्यवर, सदन में एक स्वास्थ्य परम्परा लायेंगे और सदन के अधिकारों की रक्षा करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

श्री कोश्यारी जी और अजय भट्ट जी की मेडिकल कॉलेज के सम्बन्ध में जो सूचना प्राप्त हुई थी और अजय भट्ट जी ने अपने विचारों में इस बात का उल्लेख किया। यह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, इस विषय को यहाँ पर उन्हें नहीं रखना चाहिए था। मेडिकल कॉलेज के बारे में माननीय भगत सिंह कोश्यारी और श्री अजय भट्ट तथा अन्य माननीय सदस्यों ने जो भावनायें व्यक्त की, वह कार्यवाही के अंग नहीं बनेंगे।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

(श्री अध्यक्ष जी द्वारा मद संख्या 15 पर माननीय सदस्य श्री शूरवीर सिंह सजवाण का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

श्री अध्यक्ष--

अब हम 3.00 बजे अपराह्न तक के लिए उठते हैं।

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 3.00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

नेता प्रतिपक्ष-- (श्री मातबर सिंह)--

मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि आपने जो विनिश्चय मेडिकल कालेज के बारे में दिया इसमें कोई एतराज नहीं है। मैं आपका विनिश्चय स्वीकार करता हूँ। लेकिन मेरा यह कहना है कि इस मेडिकल कालेज में कौन--कौन लोग है, इसका खर्चा कहाँ से आयेगा।

जैनी प्रकरण में सी0बी0आई0 रिपोर्ट के बाद डा0 हरक सिंह रावत द्वारा व्यक्त विचार

*डा0 हरक सिंह रावत--

मान्यवर, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

आप नियम के तहत आए, मैं आपकी बात सुन लूँगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)--

मान्यवर, माननीय हरक जी सदन में आए हैं, इनकी बात को सुन लिया जाए।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखित रूप में दे मैं इसको कल सुन लूँगा।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ और शायद विपक्ष के लोग भी इस पर एतराज नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखित रूप में दे मैं आपकी बात कल सुन लूँगा। आप लिखकर दें।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, अगर आपकी कृपा हो तो उन्हें दो मिनट का समय दे दिया जाए।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह गम्भीर मसला है हम किसी क्षेत्र से चुनकर आये हैं तमाम लोगों की भावनाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैं कल आपकी बात सुन लूँगा।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मेरी बात को सुनने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। जिस दिन मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था उस दिन पूरे दिन मेरी बात सुनी गयी।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं आपको समझ रहा हूँ कल आपको सुन लिया जायेगा।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आज मैं सदन में आया हूँ मेरी बात को सुन लिया जाए। प्रतिपक्ष के लोगों को भी एतराज नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा कहिए। आप कहिए।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, एक वर्ष एक महीने पूर्व 18 जून को इसी सदन में राजस्व मंत्री के रूप में मैंने अपनी बात को रखा था। उस दिन मैंने कहा था कि हिन्दुस्तान में

नेताओं पर आरोप लगे लेकिन हिन्दुस्तान के नेताओं में बार-बार यह बात उठती रही कि जब तक चार्ज सीट दाखिल न हो जाए और अगर चार्ज सीट दाखिल हो गयी, जब तब जब तक न्यायालय से सजा न मिल जाय तब तक वह अपने पद से परित्याग नहीं करेगा।

मान्यवर, मेरी हमेशा से मान्यता रही है और जिन लोगों को लोकतंत्र में विश्वास होगा, जिन्हें मर्यादाओं पर विश्वास होगा, नैतिकता पर विश्वास होगा शायद उनकी भी यही मान्यता होगी, यही अवधारणा होगी क्योंकि लाखों-करोड़ों लोगों का विश्वास लेकर हम इस सदन में आते हैं। पूरे प्रदेश की जनता बड़ी गम्भीरता के साथ, बड़ी गहराई के साथ पग-पग पर हमारा आंकलन करती है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, हमारा चरित्र, हमारा विश्वास दर्पण की तरह होना चाहिए, गंगा नदी की तरह पवित्र और स्वच्छ होना चाहिए। अगर कोई अशंका उठती है, कोई उंगली उठती है तो निश्चित रूप से अपने अधिकारों का दुरूपयोग करके हम यह तो कह सकते हैं कि हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा? अहम हो सकता है। इसी तरह रावण को अहम हुआ था कि मैं लंकेश्वर हूँ वानरों की सेना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। हमसे से कुछ लोगों का यह वहम हो सकता है कि जब हम किसी पद पर पहुँचे तो पद का दुरूपयोग करके अपने खिलाफ उठने वाली उंगली को हम समाप्त कर सकते हैं। मैंने उस दिन कहा कि व्यक्ति को ईमानदार होना ही नहीं चाहिए। ईमानदार दिखना भी चाहिए, व्यक्ति को चरित्रवान होना ही नहीं चाहिए, चरित्रवान दिखना भी चाहिए। एक उंगली मेरी तरफ भी उठी। मुझे नहीं मालूम था, मैं इनोसेन्ट था। मैं तो अपने कक्ष में जिलाधिकारी हरिद्वार एवं प्रमुख सचिव, राजस्व के साथ बैठक ले रहा था। मुझे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का स्टाफ बुलाने आया। मुझसे कहा गया कि आपने मुझे याद किया है। मैं आपके कक्ष में आया तो मुझे आपने और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया कि कोई प्रतिपक्ष की समिति गई थी, वह समिति 20 नम्बर कक्ष में रिपोर्ट कर रही है। उसने बताया कि कोई नारी निकेतन की लड़की ने मेरा नाम लिया है। मान्यवर, विचार-विमर्श करने के बाद जब यह तय हुआ और मैंने स्वयं भी कहा कि अगर आज नैतिकता का सवाल है, हरक सिंह रावत को अग्नि परीक्षा से गुजरना है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। मान्यवर, आप स्वयं भिज्ञ है कि बिना विलम्ब किये हुए, बिना किसी संकोच के, मंत्री पद पर पहुँचने के लिए लोग बहुत संकोच करते हैं और मुझे सौभाग्य है माननीय अध्यक्ष जी, कि जिस उम्र में लोग प्रधान नहीं बन पाते हैं, जिस आयु में लोग छात्र संघ की राजनीति करते हैं। उस आयु में मैं उत्तर प्रदेश में 100 के मंत्रि मण्डल में नहीं 44 के मंत्रि मण्डल में मंत्री रहा हूँ।

यह पद तो आते और जाते हैं, सरकारें आती और जाती हैं, अगर कोई जीवित रहता है तो अपने संस्कारों और अपनी संकल्पशक्ति के बल पर रहता है। मैंने बिना विलम्ब करते हुए अपने पद का परित्याग कर दिया और सदन में उस दिन स्वयं यह कहना कि हिन्दुस्तान में कितने ऐसे नेता है, कई नेता हैं जिन पर आरोप लगते रहे है, चाहे वे प्रतिपक्ष में बैठे हमारे साथी हों या उनके नेता हो या फिर हमारे सत्ता पक्ष के लोग हों, राजनीतिक व्यक्तियों पर आरोप लगते हैं। लेकिन सी0बी0आई0 और डी0एन0ए0

टेस्ट की माँग स्वयं कितने करते हैं। ऐसा साहस हिन्दुस्तान के राजनीति में बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन मान्यवर, मैंने स्वयं यह बात इस सदन के अन्दर कहीं है। मैं इस शक्ति के लिए अपने पूर्वजो को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपने साथी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके सहयोग और आशीर्वाद से मुझ जैसे तुच्छ इंसान ने इतनी हिम्मत दिखाई और इतना साहस कर पाया। माननीय अध्यक्ष जी, आज डी0एन0ए0 और सी0बी0आई0 की रिपोर्ट हमारे पक्ष में आई है, जिन कल्पनाकारों ने जिन लोगों ने साजिश रची है, यह साजिश कैबिनेट मंत्री के खिलाफ रची गई है। सी0बी0आई0 ने आज मुझे बरी कर दिया है, यदि यह रिपोर्ट मेरे पक्ष में नहीं आती तो मैं दुनिया के सामने मुँह दिखाने लायक नहीं था, लेकिन मुझ में साहस था, सच्चाई की शक्ति थी। मैं सी0बी0आई0 के डाइरेक्टर से मिलने गया था मेरे साथ एक पत्रकार भी थे, मैंने डाइरेक्टर साहब को आड़े हाथों लिया और आधे घंटे बाद उन्होंने मुझसे कहा कि रावत जी आप मेरे आफिस में आकर मुझे ही हड़का रहे हैं। उसकी कोशिश कर रहे हैं तो मैंने उनसे कहा कि आपने बड़े-बड़े नेताओं को जेल में भेजा होगा, बड़े-बड़े उद्योगपतियों को भेजा होगा लेकिन उनके साथ सच्चाई की ताकत नहीं होगी, लेकिन हरक सिंह रावत के साथ उसकी सच्चाई है, यदि मैंने आपके साथ ऊँची आवाज में बात की है तो यह मेरी सच्चाई की आवाज है। इसी सच्चाई की वजह से मैं डी0एन0ए0 और सी0बी0आई0 की जाँच का साहस कर पाया हूँ। मान्यवर, जब-जब इस प्रदेश का इतिहास लिखा जायेगा, तब-तब इतिहास के पन्नों में इस विधान सभा के पन्नों को, इस विधान सभा की कार्यवाही के पन्नों को पलटा जायेगा तो मान्यवर, यह लिखा जायेगा कि इस विधान सभा के सदस्य ने स्वयं डी0एन0ए0 और सी0बी0आई0 की जाँच की माँग कर इस सदन को गौरवान्वित किया हैं। इसका मस्तक ऊँचा किया है। इसके सदस्य ने अंगुली उठने मात्र से, आरोप लगने मात्र से अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया और इतना बड़ा संकल्प लिया।

मान्यवर, मैं [XXX] कोई आरोप नहीं लगाना चाहता। यह मेरी हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए। यह एक सदस्य की गरिमा भी नहीं है। यह एक सदस्य को अपनी सीमाएं ज्ञात होती हैं। क्योंकि मैं पहली बार इस सदन में चुन कर नहीं आया हूँ, जैसा मैंने पहले भी कहा कि मैं तीसरी बार सदन का सदस्य चुन कर आया हूँ, सरकार का अंग रहा हूँ। लेकिन सभ्य भाषा में शालीनता के साथ कहना चाहता हूँ कि आप इस सदन में सर्वोच्च पीठ पर बैठे हैं, एक गार्जियन के रूप में। मान्यवर, गलती किसी से भी हो सकती है, चाहे कितना भी अधिकार सम्पन्न क्यों न हो। हमारा हिन्दुस्तान संविधान के अन्तर्गत चलता है। संविधान सर्वोच्च है। संविधान के नियमों तथा अनुच्छेदों के तहत हमारी पार्लियामेंट, हमारी विधान सभा, हमारी सरकार, हमारा प्रशासन और हमारा न्यायालय काम करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे इस बात की पीड़ा है, व्यक्तिगत रूप से तो मैं हमेशा आपसे सन्तुष्ट रहा हूँ। आज भले ही आप इस सर्वोच्च पीठ पर बैठे हों, किन्तु उत्तर प्रदेश में हम साथ-साथ सदस्य रहे हैं। आप कांग्रेस के सदस्य थे और मैं

नोट- [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था लेकिन हम दो भाईयों के बीच कभी राजनीतिक दल दीवार नहीं बन पाए। आपके व्यक्तिगत रूप से मेरी कोई नाराजगी नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है लेकिन मान्यवर, मैं यह जरूर कहना चाहता हूँ, मैं नैचुरल जस्टिस की बात कहना चाहता हूँ। मान्यवर [XXX] कोई निर्णय और कोई नजीर नहीं चाहता। लेकिन मान्यवर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का 50 साल का संसदीय जीवन का अनुभव रहा है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का 24 साल का संसदीय जीवन का अनुभव रहा है, माननीय नेता प्रतिपक्ष का भी लम्बा संसदीय अनुभव रहा है। बहुत सारे माननीय सदस्य यहाँ पर बैठे हैं, जिनको संसदीय परम्पराओं और नियमों का बहुत अच्छा अनुभव है। लेकिन मान्यवर, मैं स्वयं महसूस करता हूँ मैंने माननीय नेता सदन से भी कहा है मेरी कोई नाराजगी नहीं है, एकान्त के क्षणों में जब आप स्वयं बिस्तर पर लेटे हों, मान्यवर, दुनिया की कोई अदालत, दुनिया का कोई समाज, दुनिया का कोई नियम व्यक्ति को अन्दर से कटघरे में खड़ा नहीं कर सकता है। मैंने दिन भर कौन सा अच्छा काम किया है, जब से मैंने होश संभाला है, मेरे जीवन में कौन सी अच्छी घटना घटित हुई है, मेरी आत्मा सब जानती है। मेरी आत्मा खुद दर्पण है, वह अपना एनालिसिस स्वयं करती है। मान्यवर, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा, माननीय कोश्यारी जी, उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, इनसे भी स्वयं मिल कर कहा। [XXX] हमारा काम नारियों का सम्मान करना है और मैंने हमेशा नारियों का सम्मान किया है और नैतिकता के मूल्यों की रक्षा की है। लेकिन हम भी संविधान के नियमों से बंधे हैं। हम भी परम्पराओं से बंधे हैं मान्यवर, बिना गहराई में गये ही जब समाचार पत्रों में छपी खबर के आधार पर विधान सभा में सवाल उठाया जाता है उन लोगों को आत्ममंथन करना चाहिए कुछ देर के लिए वे भले ही खुश हो जाए प्रतिद्वन्द्विता के कारण अपने आपको संतुष्ट कर लें। किन्तु कभी वह यह भी सोंचे कि माननीय अध्यक्ष जी अगर उनके साथ यह हादसा हुआ होता तो उनकी स्थिति ऐसे में क्या होती। माननीय अध्यक्ष जी एक समिति जाती है और कुछ पूछ के लाती है और वह रिपोर्ट आपको सौंप दी जाती है। मान्यवर, मैं भी उस वक्त कैबिनेट मंत्री था। मेरा भी कुछ विशेषाधिकार है एक सदस्य होने के नाते। नियमावली में हर सदस्य के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे याद है उत्तर प्रदेश विधान सभा का वह कार्यकाल जब किसी माननीय सदस्य के ऊपर कोई व्यक्तिगत आक्षेप लगता था तो सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष एकजुट होकर इस बात का विरोध करते थे सभी सदस्य उनकी गम्भीरता को समझते थे और व्यक्तिगत आक्षेप को गम्भीरता से लेते थे। वहाँ पर भावना रहती थी कि यह हमला पूरी संसदीय प्रणाली पर है [XXX] मेरे आँखों के आँसू को क्रोकोडाइल टियर्स के रूप में कहा गया। मैं मनोविज्ञान का शिक्षक भी हूँ। मैं उस दिन जब यहाँ पर रोते-रोते अपना भाषण दे रहा था तो मुझे आज भी याद है, बहुत से सम्मानित सदस्यों के चेहरे जहाँ पूरा सदन गमगीन माहौल में था, हताशा और निराशा की स्थिति में गमगीन था।

नोट– [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मान्यवर, वहीं उस दिन यहाँ पर कुछ माननीय सदस्य एक दूसरे पर कोहिनी मार रहे थे। मैं यहाँ पर उन सदस्यों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। वे यह प्रदर्शित कर रहे थे कि हमने डा0 हरक सिंह रावत जैसे बहादुर नेता के आँख में खून के आँसू दे दिये हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे घिनौनी हरकत करके कोई भी आदमी किसी को भी आँसू दे सकता है। मैं इस बात का उल्लेख यहाँ पर इसलिए करना चाहता हूँ कि जिन सदस्यों ने इस तरह की हरकतें की हैं वह आज इस सदन में बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ उन सदस्यों से मेरा कोई दूराग्रह नहीं है। मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब मैं पौड़ी में बस स्टेशन के पास उत्तराखण्ड आंदोलन के समय एक सभा को सम्बोधित कर रहा था तो पीछे से एक कार्यकर्ता ने मेरे खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया। मान्यवर, छः माह बाद जब उस व्यक्ति का कोई काम पड़ा तो उसने किसी व्यक्ति से कहा कि "रावत जी से मेरा काम है, उनके अलावा यह काम कोई नहीं कर सकता है।" मैंने उस आदमी से कहा जाओ उनको बुला दो, जब वह मेरे पास आया तो उसने कहा "मैंने हमेशा आपका विरोध किया है," लेकिन मान्यवर, मैंने उस आदमी का काम करा दिया, आज तक वह आदमी मुझे याद करता है। मान्यवर, मैं एक दूसरा उदाहरण देना चाहता हूँ, जब मैं बी0ए0 प्रथम वर्ष की क्लास ले रहा था, एक उदण्ड प्रवृति का छात्र क्लास रूम के दरवाजे पर आया, उसने अन्दर आने की अनुमति माँगी, मैंने उसको अनुमति दी। मान्यवर, कुछ देर बाद मैंने उस छात्र को देखा तो वह अपनी सीट पर नहीं बैठा था, मैंने उसे सीट पर बैठने को कहा, लेकिन वह नहीं बैठा। तब मैं उसको मारते–मारते आर्टस फैकल्टी के बाहर तक ले गया। वह किसी अधिकारी/रजिस्ट्रार का मुंह लगा हुआ था। मान्यवर, प्रेक्टिकल फैकल्टी का इंचार्ज मैं था, उस छात्र का भी प्रेक्टिकल था, उसने अपना प्रेक्टिकल चेंज कराना चाहा लेकिन मैंने ऐसा होने नहीं दिया। मान्यवर, इस लड़के के साथ उसी क्लास में मेरी साली भी पढ़ती थी, यह लड़का हमेशा उससे कहता था , आपके जीजा जी मुझे पास नहीं करेंगे। मान्यवर, जब परीक्षाफल आया तो वह मिठाई लेकर मेरे पैरों में पड़ा उसने कहा "आप महान हैं" आपने मुझे 30 में से 28 नम्बर दिये हैं।" मान्यवर, मैंने उसे कहा मैंने ये नम्बर आपको नहीं बल्कि आपकी शिक्षा को दिये हैं।

पर मैंने कहा कि एक छात्र के नाते तुमने जो काम किया था, मैंने उसके लिए अंक दिये हैं। मान्यवर, मैं अपने बड़प्पन में कोई पंक्तियाँ नहीं कह रहा हूँ, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो लोग सोचते होंगे कि हरक सिंह रावत को अपमानित करके कोई जंग जीत ली होगी, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जंग में न कोई जीता है और न कोई हारा है। मान्यवर, वे सोचते हैं कि इस नैतिकता की जंग में वे जीते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि यह मेरा सौभाग्य है और उनका दुर्भाग्य है इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, उसके प्रति मेरा मन में कोई दुराभाव नहीं है। मान्यवर, मैं आपकी पीठ से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो सदन में पहली बार आये हैं, कुछ करने के लिए आये हैं, हम लोग सामाजिक कार्य के लिए आये हैं कोई तन्ख्वाह के लिए नहीं आये हैं, वेतन भत्तों के लिए

नहीं आये हैं। मान्यवर, मुझे जितना वेतन मिलता था उससे कम वेतन विधायक के रूप में मिलता है, हम कुछ करने के लिए यहाँ आये हैं, हमें समाज के लिए कुछ करना है, हमें सामाजिक कार्य करने का कीड़ा कह सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

रावत जी, आपने जो भावना व्यक्त की, ऐसा लगता है कि इससे पूर्व आप पीठ पर कुछ कह रहे हैं, आप अपने शब्दों को प्रोसीडिंग में देखें, आपने कुछ कहा है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आप हमारे गार्जियन हैं, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा, पर हो सकता है कुछ निकल गया हो। मान्यवर, नियमों का अध्ययन करके अपने क्षेत्र के लिए किस प्रकार काम कर सकते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि यह सदन की गरिमा का विषय होगा। माननीय अध्यक्ष जी, जाँच में एक साल लगा आपके आशीर्वाद से, आपकी पीठ के आशीर्वाद से, इस प्रदेश की जन भावनाओं के आशीर्वाद से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से हमने लड़ाई जीती है। डी0एन0ए0 रिपोर्ट हमारे पक्ष इसलिए आया क्योंकि हमारे साथ सच्चाई थी, सी0बी0आई0 रिपोर्ट हमारे पक्ष में आयी क्योंकि हमारे साथ सच्चाई थी।

मान्यवर, खून तो हुए है लेकिन साक्ष्यों के अभाव में केश को क्लोज किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे गर्व है सदन के सामने कहते हुए कि साक्ष्यों के अभाव में हरक सिंह को क्लीन चिट नहीं मिली है और हर आरोप को झूठा पाया, आज मैं संकल्प को पूरा करने में कामयाब हुआ हूँ। जो संकल्प मैंने इस सदन में रखा था कि हरक सिंह रावत को जब तक सी0बी0आई0 और डी0एन0ए0 से क्लीन चिट नहीं मिल जाती तब तक सदन में कदम नहीं रखूँगा। आज मैं अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैंने जो देश की जनता से वायदा किया था उसको मैंने पूरा किया है। मान्यवर, रामायण में सीता को वनवास हुआ था बल्कि सीता को वनवास नहीं हुआ था वह तो राम को हुआ था, सीता की गलती इतनी थी कि वह राम की अर्धांग्नि थी। सीता 14 वर्षों तक वनों में भटकती रही केवल वनों में ही नहीं भटकी बल्कि दुष्ट रावण उसे उठा के ले गया। राम कुटिया में बैठे रहे और सीता राक्षसों के बीच में रही। जब 14 वर्षों बाद राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या लौटे तो पूरे अयोध्या में खुशी का वातावरण था लेकिन सीता माता के लिए अयोध्या लौटना शुभ नहीं था क्योंकि किसी व्यक्ति ने कहा कि सीता तो राक्षसों के बीच में रही है इसलिए उन्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। इसका अन्त यहीं नहीं होता है कि अग्नि परीक्षा देने के बाद भी सीता माता को राम ने जंगल में छोड दिया। उन्हें भी इतने संकटों से गुजरना पड़ा। मेरे पर जो आरोप थे वह सी0बी0आई0 डी0एन0ए0 जाँच से मुझे क्लीन चिट मिल गई। मान्यवर, मेरा साथ भी सीता माता की तरह ही हुआ है इस कसौटी पर खरा उतरने के बाद भी मेरी दिक्कतों का अन्त नहीं

हुआ। मैं यह बात इस लिए कहना चाहता हूँ कि जब [XXX] पर मैंने विश्वास व्यक्त किया और अपनी इस पीड़ा को सदन में रखना चाहता हूँ तो [XXX] विश्वास मुझे है मैंने कब कह दिया कि मुझे विश्वास नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, एक साल में जो मानसिक पीड़ा मुझे हुई है। मेरी बहन पौड़ी में सर्विस करती है जब वह आफिस जा रही थी तो बीच में किसी लड़के ने कहा कि हम तो देहरादून में नामकरण में जा रहे हैं। मान्यवर, मेरी लड़की वैलहम स्कूल में कक्षा 6 में पढ़ती है।

मान्यवर, जिस दिन मैंने इस्तीफा दिया था उस दिन से लेकर आज तक मैं अपनी लड़की से मिलने स्कूल नहीं गया। मेरी पत्नी सामने बैठी है। मेरी बच्ची पूछती है कि मम्मी सबके पापा आते हैं मेरे पापा क्यों नहीं आते। मान्यवर, इसका क्या जवाब है ? मान्यवर, इस मानसिक पीड़ा को न तो यह सदन और न ही दुनिया की कोई अदालत दूर कर सकती है। मान्यवर, मेरी बच्ची से उसके किसी क्लास फैलों ने पूछा कि आपके पापा का क्या नाम है उसने होशियारी से बताया कि एच0एस0 रावत। उसने कहा क्या हरक सिंह रावत, जो जैनी सेक्स काण्ड में फंसे हुए है। मान्यवर, इसकी भरपाई कौन कर सकता है। मान्यवर, इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है।

मान्यवर, एक जन प्रतिनिधि के रूप में, एक विधायक के रूप में लोगों के ऊपर आरोप लगे होते हैं यह भी कोई अच्छी बात नहीं है लेकिन मैं विधायक के साथ–साथ एक शिक्षक भी हूँ। बीस साल से शिक्षक रहा हूँ। मेरे अण्डर में गर्ल्स हॉस्टल रहे हैं। मैं हॉस्टल का वार्डन रहा हूँ। बहुत सी छात्राओं ने मेरे अण्डर में पी0एच0डी0 ली है उस समय मेरे ऊपर कोई कीचड़ नहीं उछली। मान्यवर, जब मैं सुबह अखबार पढ़ता हूँ तो उसमें एक या दो बलात्कार की घटना का उल्लेख आए दिन रहता है, उसको पढ़कर मुझे ऐसी पीड़ा होती है कि मैं जाकर अपने पीछे वाले ऑफिस में रोता हूँ। मान्यवर, जो घाव मुझे मिले है। मान्यवर, दूसरे घावों में तो मरहम लगाया जा सकता है लेकिन जो मुझे घाव मिले उसकी कोई दवा नहीं है। यह घाव कभी नहीं ठीक हो सकता अगर ठीक हो सकता है तब वह भी मेरी अर्थी के साथ। मुझे तकलीफ है कि हरक सिंह रावत के साथ ऐसा हुआ।

मान्यवर, मैं छात्र राजनीति से आया हूँ इसलिए संघर्ष करने की क्षमता मेरे अन्दर है जिस कारण मैं इसको झेल गया। [XXX] मान्यवर, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी पीड़ा किसी के ऊपर न आए। मुझे जो दर्द मिला है खुदा करे वह किसी को न मिले। मान्यवर, पत्रकार लोग पूछते है कि आप मंत्री पद के लिए लालायित हैं। मान्यवर, इस बात से मुझे दुःख होता है कि हरक सिंह रावत को अभी भी लोग समझ नहीं पाए। मान्यवर, प्रदेश के हित में और प्रदेश की जनता के हित में जब कभी ऐसा समय आयेगा हरक सिंह रावत अपना पद त्याग देगा। मान्यवर, जब पटवारी प्रकरण के लिए मेरे ऊपर उँगली उठायी गयी तब अगर संसदीय कार्य मंत्री जी हमें उस समय बोलने देती तो हरक सिंह रावत उसी दिन अपना इस्तीफा फेंक देता।

नोट– [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मान्यवर, 20 साल तक मंत्री रहने का मुझे शौक नहीं है। मेरा विश्वास इसमें है कि कोई प्रशासन, कोई सरकार शायद कम समय चले, कोई व्यक्ति कम समय पद को धारण करें, लेकिन अगर वह जनहित में काम करता है तो यह अच्छा है। लम्बे समय तक किसी सरकार का चलना उसकी अच्छाई की कसौटी नहीं है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूँ। आपने मुझे सुनने के लिए समय दिया इसलिए मैं कोई ऐसी बात इस सदन में नहीं उठाना चाहता हूँ जिससे आपको भी तकलीफ हो, प्रतिपक्ष के लोगों को भी तकलीफ हो और सत्ता पक्ष के लोगों को भी तकलीफ हो। अनेक अवसर आयेंगे जब मैं अपनी बात को रखूँगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरे खिलाफ जो आरोप है, उसकी तो जाँच होगी, लेकिन जिन लोगों पर मैंने आरोप लगाये थे उसकी जाँच होनी शेष है।

मुझे विश्वास है कि चाहे आपकी पीठ के माध्यम से या माननीय नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री जी क्योंकि पूरे प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है कि अगर इतना बड़ा राजनीतिक षडयंत्र हुआ है तो जिन्होंने षडयंत्र किया है उसके नाम सामने आने चाहिए। पूरे देश की पूरे प्रदेश की जनता के सामने आने चाहिए। हमारा उत्तराखण्ड नया प्रदेश है यदि यहाँ ऐसी गलत पराम्पराएं पड़ेंगी तो यह प्रदेश आगे के बजाय पीछे चला जायेगा और आज यह स्थिति आ गई है कि हम जब जनता के बीच जाते है तो जनता कहती है कि हमने उत्तराखण्ड गलती से बना दिया। हम उत्तर प्रदेश में ज्यादा अच्छे थे। यह भावना नहीं पनपनी चाहिए। इतने संघर्षों के बाद यह राज्य हमें मिला है। हम जो लोग यहाँ बैठे हैं यह पूरा उत्तराखण्ड नहीं है। जिन्हें अधिक मत मिले वे जीत कर यहाँ आ गये। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मुझे विश्वास है हमारा यह सदन गरिमामय, उच्च परम्पराओं, नैतिक मूल्यों, लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनप्रतिनिधियों के प्रति जनता का विश्वास कायम हो, यह सदन आपकी अध्यक्षता में आगे बढ़ता जाये इन्हीं शब्दों के साथ क्योंकि आज आपने मुझे कहने का अवसर दिया। [XXX] जरूर थोड़ी पीड़ा होगी। अगर मेरे शब्दों से [XXX] पीड़ा हुई तो मैं अपने शब्द वापस लेने के लिए तैयार हूँ। यदि कोई व्यक्ति गलत है और उसे महसूस हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

स्पष्ट कर दें कि अपराधी कौन है, गुनहगार कौन है? जब आपने इतनी बात कह दी है तो सारी बातें स्पष्ट कर दें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आशय है आपकी पीठ के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, जो आरोप लगे हैं, उनकी जाँच हुई है, लेकिन जिन लोगों ने मेरे खिलाफ इतना बड़ा षडयन्त्र किया उसकी जाँच नहीं हुई है। मैं वही गलती नहीं दोहराना चाहता हूँ कि किसी लड़की के बयान या अखबारों में छपी बातों पर अनर्गल बातों के आधार पर किसी के खिलाफ कुछ भी कह दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

रावत जी, एक समिति बनी, समिति की रिपोर्ट सदन में आने से पहले ही आपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

नोट– [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, ... ।

श्री अध्यक्ष–

रावत जी, मेरा अनुरोध है कि आप पूरी बात सुन लें, एक समिति बनी थी और समिति अपनी रिपोर्ट को सदन में रखना चाहती थी। लेकिन उससे पहले ही आपने त्यागपत्र दे दिया।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, इससे फिर बहस शुरू हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

यह बहस का मुद्दा नहीं है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं फिर उस बात के पीछे नहीं जाना चाहता। उस बात की मंशा पीठ के लिए नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

आपने कहा कि पीठ के लिए उचित नहीं है, बार–बार आप यह बात कर रहे हैं।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, यदि रावत सहमत हों तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने भावनाओं में आकर निश्चित रूप से सांकेतिक भाषा में बहुत सारी बातें कहीं है। जिस पर आरोप लगते हैं वह भावनाओं में आ जाता है। अभी बहस का समय नहीं है। [XXX] पर यदि कोई भी बात आती है, तो जो भी बात [XXX] पर आई है या उनसे कोई भी ऐसा अभिप्राय निकलता है कि [XXX] भी इसके लिए जिम्मेदार है, तो मेरा अनुरोध है कि उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैंने तो यह पहले ही कहा है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जैसा कि रावत जी के पूरे सदन के सामने बयान से स्पष्ट हुआ और उन्होंने भावनाओं में जो बात कही है, उनकी मंशा संभवतः ऐसी नहीं रही। लेकिन यह निश्चित रूप से परम्पराओं के खिलाफ होगा कि [XXX] पर कोई आक्षेप लगे। माननीय रावत जी ने जिस भावनाओं में बात कही उससे पूरे सदन को दोषी करार दिया, उन्होंने सदन के सदस्यों को आपेक्षित किया है जिससे सदन की मर्यादा को ठेस पहुँची है उसमें ऐसी बात आई है तो उसे कार्यवाही से हटा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

अगर पीठ पर आक्षेप लगता है तो इस पर बैठने का कोई औचित्य नहीं है।

नोट– [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, इस पर मैं भी अपने विचार रखना चाहता हूँ, मैं भी माननीय रावत जी की पीड़ा से अपने को संबद्ध करता हूँ, जो शब्दावली उन्होंने यहाँ पर कही है, उससे भावनायें आहत हुई हैं, उसमें जो शब्द उन्होंने कहे है कि [XXX] और माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि इस सदन में वह सदस्य उपस्थित हैं जिन्होंने उनको यह पीड़ा पहुँचाई है,

मान्यवर, माननीय सदस्य को उसका नाम उजागर करना चाहिए नहीं तो हम सब इसमें अपने आप को दोषी समझेंगे।

चौ० यशवीर सिंह–

मान्यवर, माननीय सदन में जो वक्तव्य दिए गये हैं और [XXX] पर जो आक्षेप लगाए गये हैं, मान्यवर मैं भी उस कमेटी में गया था। निश्चित रूप से [XXX] वही जानकारी उपलब्ध करायी गयी जो जैनी ने अपने बयान में कहा था। हमने इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं बताई जो जैनी द्वारा हमसे न कही गयी हो। मैं भगवान को साक्षी मान कर कहता हूँ कि जैनी ने हमसे जो कहा हमने वही सब अपनी रिपोर्ट में कहा। ये हमारे भाई हैं, हम इनके साथ हैं और ये हमारे साथ हैं। हमने कोई बात अपनी तरफ से नहीं कही, जो सही बात थी वही हमने कही। हम कोई गलत काम कर भी नहीं सकते थे।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, इस गम्भीर मामले पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हरक सिंह रावत जी ने अपनी पीड़ा यहाँ पर रखी, आखिरकार [XXX] यह आरोप किसने लगाया। डा० हरक सिंह रावत जी ने कहा कि इस सदन में कुछ माननीय सदस्य हैं, जो हास्यास्पद बात कह रहे थे। मेरा निवेदन है कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हमने कहा था कि यह मामला हरक सिंह रावत का नहीं है। माननीय हरक सिंह रावत जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। हमारे सभी माननीय सदस्यों ने यही कहा कि हरक सिंह रावत जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। यह मामला कांग्रेस का है, कांग्रेस द्वारा बनाया गया है। इसमें विपक्ष का कोई रोल नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि वास्तव में जो मामला घटित हुआ है, उसकी जाँच होनी चाहिए और निर्दोष व्यक्ति को दण्डित नहीं किया जाना चाहिए।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, हमें बेहद खुशी है कि माननीय हरक सिंह रावत जी पर लगे आरोप में वह बरी हुए हैं। निश्चय ही हर जन प्रतिनिधि पर आरोप लगते हैं, परन्तु उसका चरित्र नीट एण्ड क्लीन होना चाहिए। कुछ बातें ऐसी आयी हैं कि हर सदस्य अपने अन्दर गिल्टी महसूस कर रहा है कि कहीं मुझसे तो गलती नहीं हुई है ? कुछ बातों से लग रहा था कि [XXX] पर आरोप लग रहे हैं। मैं काशी सिंह ऐरी जी की बात से अपने को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसी कोई बात आयी है तो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय। हरक सिंह जी की अन्तर्वेदना में हम उनके साथ हैं।

नोट– [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मान्यवर, हरक सिंह रावत जी तो हमारे पूर्व साथी भी हैं। हमें तो पीड़ा है कि जो बात आयी, वह कैसे आयी। यह दुर्भाग्य था या कभी–कभी भाग्य भी होता है, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सदन में एक शब्द भी हरक सिंह रावत जी के खिलाफ नहीं कहा है कि पिछली प्रोसीडिंग 17 जून,2003 में आया हैं कि "एक मंत्री पर आरोप लगा है, इसमें कितनी वास्तविकता है, सरकार से जानना चाहते हैं।" जो कमेटी बनी थी, इसे हमारा दुर्भाग्य कह लीजिए कि हमें भी 5 लोगों में मा0 अध्यक्ष जी आप द्वारा रख दिया गया। सारे के सारे 5 लोग वहाँ पर गए, 4 शब्द लिखे हैं या अध्यक्ष जी के पत्र में 4 शब्द लिखे थे वह आज सबके सामने बोलने आवश्यक हो गए हैं।

काशी सिंह ऐरी, चौ0 यशवीर सिंह, अजय भट्ट, श्रीमती आशा नौटियाल तथा श्रीमती विजय बड़थ्वाल, जैनी ने जिन शब्दों को अपने बयान में बोले, उन्हीं शब्दों को यहाँ पर बताएं, यह हमारा दायित्व था। किन्तु अपनी रिपोर्ट देने से पहले ही हमें लग रहा था कि हरक सिंह रावत जी इस्तीफा देने वाले हैं। तो मान्यवर, ऐसी कौन सी एजेन्सी काम कर रही थी, जो सब कुछ पहले से ही जानती थी।

मान्यवर, बहुत गोपनीय मुद्दा था हमारे और आपके बीच का। ऐसी आज्ञा आपने पत्र में दी थी। कहीं भी किसी को फंसाने की बात नहीं थी और न ही किसी भी व्यक्ति से दुश्मनी की बात थी। किन्तु यदि आज जगह–जगह कोई ऐसा कहे कि फलाने को ऐसा फँसायेंगे कि वह याद करेगा। उसके लिए [XXX] का प्रबन्ध भी करेंगे फिर देखते हैं कैसे बचता है यदि ऐसी भावनाओं होंगी तो यहाँ पर श्री हरक सिंह रावत जी का मात्र एक ढकोसला होगा। मान्यवर, आज तो हम बेहद खुश है, उन्होंने अपने आपको निष्कलंक बताया था और जाँच के बाद निष्कलंक साबित हुए। ईश्वर का भी हाथ होता है तथा व्यक्ति पर कुछ दशायें भी ऐसी हो जाती है जिसके कारण व्यक्ति कभी–कभी जीवन में इतना परेशान हो जाता है। मान्यवर, मेरे ऊपर तो 10 साल बहुत खराब दशा रहीं। मैं इस अन्तरवेदना को अच्छी तरह से समझता हूँ। इस अवसर पर मैं इतना ही कहना श्री रावत जी धैर्य धारण करते हुए संयम करते एवं ईश्वर का स्मरण कर उसके द्वारा दिया फल मानते हुए यह ध्येय वाक्य याद रखे "जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए" मान्यवर, हमारी किसी के साथ कोई न तो दुश्मनी है न जाति बिरादरी का कोई झगड़ा है और न ही कोई राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता हैं। हमें कितना दायित्व आपने दिया था उसे हमने पूर्ण किया।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

माननी अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री हरक सिंह रावत जी ने काफी विश्वास के साथ सारी बातें सदन के सामने रखी। मैं माननीय काशी सिंह ऐरी तथा अन्य सम्मानित सदस्यों की बात से सहमत हूँ कि अगर [XXX] के खिलाफ कोई बात कही गई तो निश्चित रूप से उसे कार्यवाही से निकाल देना चाहिए। लेकिन मैं रावत जी की इस बात से सहमत हूँ कि अगर उनके संज्ञान में कोई भी सदन का सदस्य जिसने उनका चरित्र हनन का प्रयास किया या ऐसा सदस्य जो इस तरीके की राजनीति करता है तो उनका भी पर्दाफाश होना चाहिए। जिस प्रकार माननीय हरक सिंह रावत जी की जाँच की गई उसी प्रकार से उन षडयंत्रकारियों की भी जाँच होनी चाहिए। इतना मैं जरूर कहूँगा। हमें सस्ती राजनीति को तिलांजलि देनी चाहिए।

नोट– [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, चूँकि माननीय हरक सिंह रावत जी काफी वेदना के बाद, मैं समझती हूँ कि लगभग एक वर्ष के बाद सदन में आए उन पर चरित्र हनन के आरोप लगे। सी०बी०आई० जाँच हुई और डी०एन०ए० टेस्ट भी हुआ। उन आरोपों से वे तथा उनका परिवार, उनके इष्ट मित्र और हम सभी लोग काफी प्रभावित हुए। मान्यवर, सदन कल से चल रहा है और वे कल से अनशन पर बैठे हुए थे। सदन में उनकी भागीदारी नहीं हो रही थी। हमारे सदस्यों ने काफी प्रयास किया कि वे सदन में आये उनकी भागीदारी बजट सत्र में काफी महत्वपूर्ण हैं मुझे खुशी है कि हमारे साथियों के प्रयासों से वे इस बजट सत्र में आज उपस्थित हुए। उन्होंने अपने अन्दर की जो वेदना थी उसको सदन के सामने रखा। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ वे काफी भावुक प्रकृति के इंसान हैं। मान्यवर, माननीय रावत जी पुराने सदस्य हैं नये नहीं है, उन्हें मालूम है कि [XXX] पर आक्षेप नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा भी है कि यदि [XXX] पर मेरे द्वारा कोई आक्षेप लगाया गया हो तो क्षमा चाहता हूँ। फिर भी यदि [XXX] पर कोई आक्षेप लगा है तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में से सदन की कार्यवाही से निकाल सकते है और मैं भी यदि कोई आक्षेप [XXX] पर लगा है तो क्षमा याचना करती हूँ। वे काफी वेदना के बाद और 48 घण्टे अनशन में बैठने के बाद सदन में आये वे बहुत ही भावुक हैं। वह दिन बहुत खराब था जिस दिन उन पर चरित्र हनन का आरोप लगा और आज यह दिन बहुत ही अच्छा दिन है मैं कहूँगी वे सदन में सभी आरोपों से मुक्त होने के बाद यहाँ पर आये। मैं सरकार की तरफ से इतना जरूर कहूँगी कि यदि किसी षडयंत्रकारी के बारे में उनके व मन में कोई बात है तो सरकार को बतायें। उसी एजेंसी से जाँच करवायी जायेगी, जिसे वे कहेंगे।

मान्यवर, मैं सरकार की तरफ से आश्वासन देती हूँ कि जिस जाँच एजेंसी की तरफ माननीय सदस्य इंगित करेंगे, उसी जाँच एजेंसी द्वारा जाँच करायी जायेगी।

श्री रणजीत सिंह रावत–

मान्यवर, इस सदन के माननीय सदस्य यह दावा करते हैं कि हम 84 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि हम अपने साथी सदस्य की भावनाओं को समझ नहीं रहे हैं। जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा कि वे उनकी पुत्री से मिलने स्कूल नहीं जा पाये, उनकी बहन अपने कार्य पर नहीं जा पाई मैं समझता हूँ कि उनकी भावनाओं का आदर करते हुए माननीय काशी सिंह ऐरी जी ने जो प्रस्ताव किया है तथा रावत जी ने खेद प्रकट किया है कि [XXX] के खिलाफ आक्षेप लगाने का उनका कोई इरादा नहीं था। मान्यवर, पीठ के खिलाफ अनजाने में जो शब्द निकले हैं उन्हें कार्यवाही से निकाल दिया जाय। मान्यवर, शब्दों का पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि उन शब्दों को कार्यवाही से निकाल दिया जाय, जिनका इशारा रावत जी की तरफ से हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

[XXX] को किसी व्यक्ति विशेष से नहीं जोड़ा जा सकता है। यदि [XXX] पर आक्षेप हुआ है तो उन शब्दों को कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

नोट– [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव सरकार की तरह से आना था इसके लिए आप द्वारा प्रस्ताव रखने हेतु पुकारा भी गया परन्तु सरकार की तरफ से कोई भी सदस्य धन्यवाद प्रस्ताव के लिए यहाँ पर उपस्थित नहीं है। यह बड़े खेद की बात है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अनावश्यक रूप से कभी–कभी यहाँ पर मुद्दों को गम्भीर बता दिया जाता है। सरकार की ओर से माननीय शूरवीर सिंह सजवाण को प्रस्ताव करना था, लेकिन उन्होंने फोन पर मुझे अवगत कराया कि उनकी तबियत खराब है। मान्यवर, इसलिए वे यहाँ पर नहीं हैं।

(माननीय सदस्य श्री शूरवीर सिंह सजवाण के आने पर।)

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

*श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "यह सदन श्री राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2004 को दिये गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।"

मान्यवर, इस प्रदेश के निर्माण के लिए बड़े आन्दोलनों के बाद उत्तराखण्ड की जनता ने गाँव–गाँव में अलख जलाई, तब नया राज्य बना, और न उत्तराखण्ड में बल्कि उत्तराखण्डवासी जिन–जिन प्रदेशों–देशों में रहते हैं, वहाँ इसकी अलख जलाई गयी। उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण के समय जब इस प्रदेश की जनता को यह लगा कि हमको नजदीक से देखने वाले कई सदस्य होंगे, तो 22 की जगह 70 विधान सभा क्षेत्रों का निर्माण हुआ और इस नई सरकार में 70 विधान सभा क्षेत्रों के प्रतिनिधि चुनकर आये, एक नामित प्रतिनिधि भी सदन में आये, तो पूरे देश की जनता देखती है कि इस नये राज्य में क्या होने वाला है और हम सबका सौभाग्य रहा कि माननीय सोनिया जी ने इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पं० नारायण दत्त तिवारी जी को भेजा जोकि बहुत ही अनुभवी हैं। उनके आने के बाद हमारे सभी साथियों ने सहयोग दिया। मान्यवर, इस प्रदेश में बहुत सारी नई चीजों का सृजन हुआ, कोई विभाग ऐसा नहीं है जिस विभाग का ढांचा लगभग तैयार न हो गया हो। मान्यवर, उत्तर प्रदेश उत्तरांचल का विभाजन हो रहा था तो कर्मचारियों अधिकारियों का बँटवारा, भूमि का बँटवारा भी होना था और अब तक जो चीजें निलम्बित चल रहीं थी उन पर तेजी से काम हुआ है और आज हम फक्र के साथ कह सकते हैं कि यह प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा होने की स्थिति में आया है। ग्यारहवें वित्त आयोग के रूप में जो पैसा मिलना था वह नहीं मिला, बारहवाँ वित्त आयोग जब यहाँ आया तो माननीय मुख्यमंत्री जी सहित यहाँ के तमाम मंत्रीगण और यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी वह बात भी रखी कि ग्यारहवें वित्त आयोग का पैसा हमें मिलना चाहिए, क्योंकि जब इस प्रदेश का निर्माण हो रहा था तब पैसा नहीं मिला था। मान्यवर, उस वक्त हमारी नहीं सुनी गई पर अब आशा जागी है कि जब केन्द्र सरकार ग्यारहवें वित्त का पैसा भी हम को देगी तो हमने जो ऋण लिये हैं हम उनकी अदायगी कर सकेंगे।

*वक्ता ने भाषण में पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, जो हमारे विचार है कि इस प्रदेश को विकसित कर सकें तमाम रोजगार के साधन यहाँ उपलब्ध करा सकें। इन रोजगार के साधनों से हममें क्षमता आयेगी। शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो। आज इस प्रदेश में अनेक ऐसे महाविद्यालयों का सृजन हुआ है जिससे नई पीढ़ी को अच्छी शिक्षा दी जा सके, शिक्षा किसी भी प्रदेश के विकास के लिए उसकी मूलभूत आधार होता है। जब अच्छी शिक्षा हम देंगे तो निश्चित रूप से नई पीढ़ी अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए तैयार हो सकेंगी।

हम इस वक्त उत्तराखण्ड के शहीदों को और जिनकी उत्तराखण्ड को आजाद कराने में अहम भूमिका रही है उनको याद करना चाहते है। यह सरकार यह भी भरोसा दिलाना चाहती है प्रदेश की जनता को जोकि यह चाहती थी कि इस प्रदेश का नाम उत्तराखण्ड पड़े हमने इसका प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जो एक बार अस्वीकृत हुआ और पुनः हमारी प्रार्थना केन्द्र सरकार को गई है। उस दिन इस देश की जनता को प्रसन्नता होगी जब इस प्रदेश का नाम उत्तराखण्ड होगा। मान्यवर, हर व्यक्ति के मुँह से उत्तराखण्ड निकलता है न जाने किन परिस्थितियों में इसका नाम उत्तरांचल रखा गया। यह बात हमारे प्रदेश की जनता का मन कचोटती रही। इस प्रदेश का नाम उत्तराखण्ड होना चाहिए था क्योंकि इसकी माँग उत्तराखण्ड के नाम से ही की गई थी, जितने आन्दोलन हुए वह भी उत्तराखण्ड के नाम से हुए। हमारे वेदों में भी उत्तराखण्ड का जिक्र है।

मान्यवर, मैं बहुत फक्र के साथ कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने इस देश को आजाद कराया हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हम उनको क्या सम्मान दे सकते हैं, कभी कबार उनके पेंशन में वृद्धि करके सभी सार्वजनिक मंचों पर उनका स्वागत करके उनको सम्मान दे सकते हैं। मान्यवर, जो उनकी पेंशन है वह रु0 4171 प्रतिमाह से बढ़ाकर रु0 4314 प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है तथा केन्द्र की भाँति राजनीतिक पेंशनधारियों को एक अगस्त 2003 से 5 प्रतिशत मंहगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी भी सम्पादित कर दी गई है। मान्यवर, इस सरकार ने वर्ष 2002–2003 के लिए अनुमोदित धनराशि रु0 1534 करोड़ की वार्षिक योजना के सापेक्ष केन्द्रीय योजना आयोग से वर्ष 2003–2004 के लिए रु0 1607 करोड़ की वार्षिक योजना का अनुमोदन प्राप्त हुआ। वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिए हमारी सरकार द्वारा इस सत्र में वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। नव गठित योजना आयोग से भी परामर्श कर वर्ष 2004–2005 के केन्द्रीय बजट के प्रस्तावों व स्वीकृतियों के अनुरूप अनुपूरक कार्यवाही यथासमय सम्पन्न की जायेगी। मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि यहाँ पर हमने 2004–05 के लिए जो नया आयोग है हमने परामर्श भेजा है वह निश्चित रूप से हमारे प्रस्ताव को स्वीकारेंगे।

मान्यवर, 11वें वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर केन्द्र सरकार निश्चित रूप से हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेगी। माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री तथा माननीय उपाध्यक्ष योजना आयोग से पुनः अनुरोध किया गया है कि यथाशीघ्र केन्द्रीय सहायता के सम्बन्ध में निर्णय ले लिया जाए ताकि समय के अन्दर वार्षिक योजना के आकार के विषय में निर्णय हो सके। मान्यवर, राज्य सरकारें तो केन्द्र सरकार की तरफ ताकती रहती है कि कब केन्द्र सरकार हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश की प्रार्थना सुन ली जायेगी, ऐसा प्रतीत होता है। मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा नये राज्य के गठन से सम्बन्धित मामलों को उत्तर प्रदेश के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता की गयी और आज हमको इस प्रदेश में वन निगम, तराई बीज एवं विकास निगम, चीनी निगम, पॉवर

कारपोरेशन, जल विद्युत निगम, बीज प्रमाणीकरण, मण्डी परिषद् समाज एवं सैनिक कल्याण कोष, होमगार्ड कल्याण कोष, पुलिस एवं आर्म्स फोर्सेज सहायता कोष, मत्स्य विभाग की आस्तियाँ, पशुपालन विभाग, की हेमपुर स्थित भूमि तथा हरिद्वार स्थित सिंचाई विभाग की परिसम्पत्तियों का हस्तान्तरण सम्पन्न हुए हैं। कई अन्य प्रकरण अन्तिम चरणों में है और आशा की जाती है कि यथाशीघ्र इनका निर्णय हो जायेगा। सरकारी काम–काज में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के अतिरिक्त आधुनिक युग के परिप्रेक्ष्य में राज्य के युवा वर्ग को रोजगार प्रदान किये जाने के उद्देश्य शैक्षिक क्षमता एवं दक्षता के विकास हेतु महत्वाकांक्षी योजनाएं जैसे आरोही व शिखर प्रारम्भ की गयी है। इनटेल, सिस्को एवं आई०बी०एम० के साथ एम०ओ०यू० किये गये हैं। हिन्दी भाषा के विकास के लिए प्रदेश में प्रथम हिन्दी प्रयोगशाला तथा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एशिया की प्रथम आई०टी० अकादमी की स्थापना की गयी है और दूसरी अकादमी की स्थापना की जा रही हैं।

मान्यवर, प्रदेश के राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के महाविद्यालयों और इंजीनियरिंग कॉलेजों में उच्च स्तरीय नैटवर्किंग प्रोफेशनल पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु 10 अकादमियाँ स्थापित की गयी हैं। विश्व बैंक प्रयोजित ई–गवर्ननेन्स के क्रियान्वयन हेतु पी०एम०यू० परियोजना प्रबन्धन इकाई तथा देहरादून में सॉफ्टवेयर टैक्नोलॉजी की स्थापना की गयी है। जिससे हमारे युवा वर्ग को रोजगार प्राप्त करने तथा उनकी कार्य क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। मान्यवर, उत्तराखण्ड का उदय ही रोजगार की आशा के कारण ही हुआ है। हमारी सरकार द्वारा यह कहा गया था कि राज्य की नीतियों एवं प्रबन्धन व्यवस्था का एक मुख्य केन्द्र बिन्दु राज्य में अधिक से अधिक रोजगार एवं आय के स्रोतों का सृजन किया जा सके। इसके लिए विभिन्न दिशाओं में पहल की गयी है। सभी विभागों को यह निर्देश दिये हैं कि उनके कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्ध हो सकने वाले विभिन्न प्रकार के रोजगार अवसरों की समीक्षा इस प्रकार की जाए कि एक ओर राज्य में विद्यमान स्थिति की सही आंकलन हो सके तथा दूसरी ओर ऐसी योजनाएं चिन्हित की जाए जिनके माध्यम से सर्वाधिक रोजगार के अवसर सृजित हो सकें। तथा इसके क्रम में विकास के सार्थक प्रयास किये जा सके।

मान्यवर, सेवायोजन कार्यालयों को कैरियर गाइडेन्स एवं काउन्सिलिंग केन्द्रों के रूप में विकसित करने एवं विभिन्न माध्यमों से लगातार रोजगार के अवसरों की सूचना उपलब्ध कराने की संस्थागत व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में कार्यवाही भी प्रारम्भ की जा चुकी है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि रोजगार के मुख्यतः स्व–रोजगार एवं निजी सेक्टर निवेश के माध्यम से स्थापित आर्थिक गतिविधियों द्वारा ही प्राप्त हो सकेंगे। अतः मेरी सरकार का यह प्रयास है विभिन्न सेक्टरों में अधिक से अधिक ऐसी परियोजनाएं एवं योजनायें बनायी जायें, जिनसे राज्य के सकल घरेलू आय में वृद्धि के साथ–साथ राज्य में लोगों के रोजगार एवं आय के अवसरों में भी वृद्धि हो सके। इसी संदर्भ में संस्थागत वित्त पोषण, ऋण जमा अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि किये जाने पर विशेष बल दिया गया है। इस सम्बन्ध में कई उच्च स्तरीय बैठकें माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की गयी है और इनमें बैंकों के माध्यम से उत्पादक योजनाओं के लिए वित्त पोषण बढ़ाये जाने पर बल दिया गया है। इन प्रयासों के चलते आशा की जा सकती है कि इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति होगी।

मान्यवर, प्रदेश के 13 जनपदों के रोड मास्टर प्लान मूलभूत रूप में बना लिये गये है एवं इसे डिजिटाईज करने की कार्यवाही गतिमान है। प्रदेश की सड़क अवस्थापना के विस्तार पर सुदृढ़ीकरण हेतु बाह्य सहायता से ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से विशेष कन्सलटेन्ट के माध्यम से कोर नैटवर्क चिन्हीकरण किये जाने हेतु कार्य आवंटित कर दिया गया है। मान्यवर, जब इस राज्य का निर्माण हुआ तब पूरे देश की जनता सवाल पूछती थी कि आखिर इस प्रदेश का आधारभूत ढांचा कैसे बनेगा ? आपके पास धन कहाँ से आयेगा ? उत्तर प्रदेश के साथी भी पूछते थे।

मैं पूरे राज्य की जनता को बताना चाहता हूँ, उसके संज्ञान में यह लाना चाहता हूँ कि मेरी सरकार द्वारा राज्य में उपलब्ध विद्युत उत्पादन की सम्भावनाओं के दृष्टिगत 5 वर्षों में 3000 मेगावाट क्षमता की बिजली उत्पादन योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ करने का लक्ष्य रखा गया था। मुझे यह अवगत कराते हुए हर्ष है कि टिहरी बाँध परियोजना प्रथम एवं द्वितीय चरण, कोटेश्वर बाँध, धौली गंगा, मनेरी भाली–द्वितीय चरण तथा विष्णु प्रयाग एवं श्रीनगर आदि परियोजनाओं के माध्यम से 10वीं पंचवर्षीय योजनाकाल में 4170 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं का विकास कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त इस अवधि में कुल 3806 मेगावाट क्षमता के विकास पर भी कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु परियोजनाएं आवंटित की जा चुकी है। इस परियोजनाओं का विकास उत्तरांचल जल विद्युत निगम, विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे एन0टी0पी0सी0, एन0एच0पी0सी0 एवं टी0एच0डी0सी0 तथा निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से प्रस्तावित है। उत्तरांचल जल विद्युत निगम द्वारा वर्ष 2003–04 में पाला मनेरी परियोजना पर कार्य प्रारम्भ किया गया था। अब बवाला नन्दप्रयाग, आराकोट त्यूनी...

*श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, हमारे प्रतिपक्ष के साथी भी इससे सहमत होंगे कि माननीय नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार जो कुछ काम करने जा रही है, उसका लाभ हमारे साथियों को भी जा रहा है, उनके क्षेत्र में भी विकास को गति मिल रही है। मैं अपने क्षेत्र की बात कह सकता हूँ। एम्स जो हिन्दुस्तान में दिल्ली में था और कहीं नहीं था। एम्स की स्थापना मेरे क्षेत्र में हुई है, एम्स बनेगा, व्यक्ति को आशावान होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि जो इस दस्तावेज में है वह धरती पर उतरेगा, अगर विपक्षी साथियों को लगता है कि यह दस्तावेज धरती पर नहीं उतरेगा तो आप लोगों को भी इसके लिए प्रयास करना चाहिए। सम्भवतः यह संदेश जनता के बीच में जायगा कि जिन–जिन नीतियों का उल्लेख इसमें है वह सब पूर्ण होंगे और उन तक हमारे साथी इनको ले जायेंगे, कार्यों के माध्यम से। और सबसे बड़ी है जनता जनार्दन, मैं आपके माध्यम से उनको भी यह संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि यह सरकार, जिसे बहुत बार केन्द्र और राज्य में काम करने का अनुभव है उसी अनुभव के आधार पर नये प्रदेश में कार्य करना चाहती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने का मौका दिया।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान।)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री गणेश गोदियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, वरिष्ठ सदस्य श्री सजवाण जी द्वारा प्रस्तुत महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का आपने मुझे अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ...।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

मान्यवर, प्रस्ताव तो उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है और मैंने भी कहा कि मैं उनका समर्थन करता हूँ, और मैं समझ भी रहा हूँ इसलिए मैं अपेक्षा करता हूँ कि विपक्ष के साथी यदि कोई पहली बार बोल रहा हो, वैसे मैं तो तीसरी या चौथी बार बोल रहा हूँ, तो मैं विपक्ष से भी सहयोग की अपेक्षा करता हूँ, अगर आप रोकेंगे तो उसका भी जवाब मुझे देना पड़ेगा। (व्यवधान)

सर्वप्रथम उत्तरांचल राज्य के आन्दोलन के दौरान जो लोग शहीद हुए, उन शहीदों को आज प्रफुल्लित और पल्लवित हो रहे राज्य को देखते हुए हर्ष हो रहा होगा। उन शहीदों का मैं इस सदन के माध्यम से नमन करता हूँ और उन आन्दोलनकारियों को भी नमन करता हूँ। मान्यवर, निश्चित रूप से जो लोग आन्दोलन में शरीफ रहे होंगे, शहीदों की आत्माओं को और जो आन्दोलनकारी हैं वे भी इस राज्य के विकास को देखकर प्रफुल्लित हो रहे होंगे। अगर मैं नेता सदन की बड़ाई करू तो विपक्ष के लोगों को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं कि प्रतिपक्ष के लोग भी सरकार की आलोचना करते हैं और अन्तिम रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ाई भी करते हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस नवोदित राज्य उत्तरांचल में जिस तरह से विकास की गंगा को बहाया है, यह सदन उनको इसके लिए धन्यवाद देता है।

मान्यवर, जैसा कि सब लोगों को पता है कि इससे पहले मैं महाराष्ट्र में मुम्बई में रहता था, और व्यवहारिक बातों में ही कोई पूछ लेता था कि आप कहाँ के रहने वाले हैं तो हम कहते थे कि हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो वे कहते थे कि क्या तुम भैया हो, वहाँ के लोग पुरबिया लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को भैया कहते हैं।

मान्यवर, हम कहते थे कि नहीं, हम गढ़वाली हैं, तो वे कहते थे गढ़वाली क्या होते हैं क्या नेपाली हो ? मान्यवर, हमारी कोई पहचान ही नहीं थी। मुझे बहुत खुशी हुई, जब हमारा नया राज्य बना, मुझे लगा कि अब हमें यह पहचान मिलेगी कि हम उत्तराखण्डी हैं। लेकिन जब यह राज्य बना तो बहुत अफसोस हुआ कि पुराणों में भी जिसका नाम उत्तराखण्ड है, उसे उत्तराखण्ड को उत्तरांचल नाम दे दिया गया। मान्यवर, मेरा नाम गणेश गोदियाल हैं अगर कोई मुझे "ए थपलियाल" अथवा "ए ढौंडियाल" कहें तो मुझे लगता है कि यह ऐसा क्यों कह रहा है, मेरा नाम तो गोदियाल है। मान्यवर, जो पारम्परिक नाम होता है, वही उसकी पहचान होती है। यही हमारे राज्य के साथ भी है। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि हमारी सरकार ने इस राज्य का नाम उत्तराखण्ड किए जाने के सम्बन्ध में दोबारा प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। महामहिम राज्यपाल के जिस अभिभाषण के समर्थन में सत्ता पक्ष के लोग धन्यवाद प्रस्ताव रख रहे हैं, उसी अभिभाषण की प्रत्येक पंक्ति में इस राज्य का नाम उत्तरांचल ही लिखा है। सत्ता पक्ष के लोगों से आग्रह है कि अपनी बातों में सुधार करें और उत्तरांचल राज्य को उत्तरांचल ही कहें।

श्री गणेश गोदियाल–

मान्यवर, या तो हमारे माननीय साथी समझने में गलती कर रहे हैं, या हम समझा नही पा रहे हैं। मेरा कहना है कि हमारी सरकार ने यह प्रस्ताव केन्द्र को भेजा है, इसके लिए मैं अपनी सरकार को साधुवाद देता हूँ। सरकार ने संकल्प व्यक्त किया था कि इस प्रदेश का नाम उत्तराखण्ड करेंगे। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि सरकार ने अपना संकल्प पूरा करने के लिए यह प्रस्ताव केन्द्र को भेजा है। हमारी सरकार ने इस राज्य का नाम उत्तराखण्ड करने के लिए जो प्रयास किया है, हम उस प्रयास के लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं। मान्यवर, मेरा कहना यह था कि हमारी पहचान उत्तराखण्ड से है। सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र है कि उसने सही कदम उठाते हुए केन्द्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि केन्द्र सरकार से इसमें स्वीकृति मिल जाएगी। मान्यवर, जब हम विकास की बात करते हैं। अमूमन यह उत्तरांचल की कार्य प्रणाली का एक भाग हो गया है कि विकास के कार्यों को करने के लिए हमारे यहाँ की टीम हिमाचल जा रही है। जब मैंने हिमाचल के विकास को जानने की कोशिश की तो मैंने यह पाया कि हिमाचल आज जिस स्थिति में है, उस स्थिति में पहुँचने के लिए पूरी तौर पर वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री डा० परमार को श्रेय जाता है। मैं इसे सौभाग्य समझता हूँ कि पं० नारायण दत्त तिवारी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जब हमारा प्रदेश 10–15 साल की उम्र का हो जाएगा तो मुझे विश्वास है कि हमारे देश के अन्य प्रान्त उत्तराखण्ड को देखने के लिए आयेंगे और अपने यहाँ कहेंगे कि हमें उत्तराखण्ड को देखने के लिए जाना चाहिए। मान्यवर, बहुत से नवजात शिशु एक साथ जन्म लेते हैं, कोई बड़ा होकर समाज सेवक बनता है, कोई बड़ा नेता बनता है और कोई चोर–उचक्का बनता है। बहुत से माँ बाप, जिनका बेटा बड़ा होकर चोर–उचक्का बनता है, कहते हैं, कि यदि हमें पहले से पता होता कि यह बड़ा होकर चोर–उचक्का बनेगा तो हम इसे पहले ही सुधार देते लेकिन भविष्य के बारे में कोई पहले नहीं जान पाता।

मान्यवर, मेरा अटूट विश्वास है कि जो आज विकास के कार्यक्रम हमारी सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं उन कार्यक्रमों से यह हमारा उत्तरांचल राज्य एक विकास राज्य के रूप में जाना जायेगा। मान्यवर, अभी तो उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुए 3 वर्ष हुए हैं। हमने परिसम्पत्तियों के बँटवारे की कार्यवाही करीब–करीब पूरी कर ली है। अधिकांश परिसम्पत्तियों का बँटवारा हो चुका है कि जिन परिसम्पत्तियों का बँटवारा शेष है उनमें भी समय सीमा तय की गई है। मुझे आशा है कि भविष्य में परिसम्पत्तियों का बँटवारा बहुत ही त्वरित गति से हो जायेगा। इस काम के लिए मैं सरकार को साधुवाद देता हूँ।

मान्यवर, कई बार यहाँ पर सदन की कार्यवाही इस कारण भी रुक जाती है कि बहुत ही भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार का इल्जाम सरकार पर और विभागों पर भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लगता है। मान्यवर, मैं यहाँ पर एक बात का जिक्र कर रहा हूँ जो लोकायुक्त के सम्बन्ध में है इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है।

(कई माननीय सदस्यों ने कहा कि कोई आपत्ति नहीं है अपनी बात कहें)

मान्यवर, एक दिन एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा नहीं है। लोकायुक्त के पास मैंने उनसे कहा कि लोकायुक्त के पास कोई काम ही नहीं है। यदि कोई भ्रष्टाचार का मामला संज्ञान में आयेगा तभी तो वह लोकायुक्त के पास जायेगा। मान्यवर, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं निकला जिसने भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोई शिकायत लोकायुक्त से की है। हमारी सरकार ने लोकायुक्त की स्थापना की है, लोकायुक्त अस्तित्व में है। जिन लोगों की कहीं नहीं सुनी जाती उनकी सुनवाई लोकायुक्त के वहाँ सुनी जाती है तो मान्यवर, मैं कह सकता हूँ कि यह निश्चित रूप से सरकार की पारदर्शी प्रणाली का संकेत है।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में सूचना प्रौद्योगिकी का जिक्र आया है आज यदि दुनियाँ में कोई रोजगार परक क्षेत्र है तो वह सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो इस वक्त यहाँ पर नहीं है। हम लोगों ने बेसिक एजूकेशन में भी सूचना प्रौद्योगिकी को समाहित किया है। हमारी सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को समझा है और कम्प्यूटर उपलब्ध कराये हैं। हमारा प्रदेश अभी शैशव अवस्था में है अभी हमारे राज्य के लोग इतने स्पेशलिस्ट नहीं हुए हैं कि जैसी की माँग है विदेशों में और भारत के अन्य प्रदेशों में कम्प्यूटर विशेषज्ञों की। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि जो शुरूआत हमारी सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी में की है, वह आने वाले समय में मिल का पत्थर साबित होगी। इससे उत्तरांचल राज्य की जो बेरोजगारी की समस्या है वह काफी हद तक निकट भविष्य में हल होगी। मान्यवर, उत्तरांचल राज्य के गठन का मूल उद्देश्य यहाँ की जनता को रोजगार उपलब्ध कराना है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के साथ रहते हुए हमारी भावनाओं की अनदेखी की जा रही थी तो लोगों ने आन्दोलन किया जिसकी परिणति नये राज्य के रूप में हमारे सामने है। हमारा मानना है कि सरकार ने पूरी ईमानदारी के साथ इस पर विचार किया है, जो सिडकुल के रूप में हमारे सामने है। इस समय सरकार के पास 7500 करोड़ रु० का प्रस्ताव आया है। मैं समझता हूँ कि यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। निश्चित रूप से सरकार ने जो ये सिडकुल रूपी पौधा रोपा है, इनके फलों को खाने में हमें अभी दो-तीन साल लगेंगे। मान्यवर, सिडकुल की अपनी उपयोगिता है सिडकुल पन्तनगर तथा हरिद्वार में इण्डस्ट्रियल प्लाट आवंटित कर रहा है, जिसके लिए लोगों द्वारा फैक्स, ई-मेल आदि द्वारा आवेदन प्राप्त हुए हैं। मान्यवर, हम यहाँ इण्डस्ट्री लगाना चाहते हैं, इससे यह राज्य समृद्ध होगा। मान्यवर, परिवहन के क्षेत्र में भी हमने अच्छी उपलब्धि हासिल की है। हमने काफी नयी बसें हासिल की हैं, जिससे राज्य की जनता को काफी सुविधा हो रही है। मान्यवर, ऊर्जा के बारे में बताना चाहता हूँ इस क्षेत्र में भी हमने काफी तरक्की कर दी है। मान्यवर, ढाई वर्ष में अल्पकालीन समय में जिस तरह से हमने 100 मेगावाट, 200 मेगावाट छोटी-छोटी परियोजनाओं का कार्यान्वयन शुरू किया है। आज टिहरी परियोजना उत्पादन की स्थिति में है। मान्यवर, वह दिन दूर नहीं जब हमारा प्रदेश ऊर्जा प्रदेश बनेगा, यह हमारी प्राथमिकताओं में है। निश्चित रूप से इस क्षेत्र में और ध्यान दिया

जाना चाहिए। सभी जानते हैं कि ढाई साल पहले विद्युत वितरण की स्थिति क्या थी। मान्यवर, "हाथ कंगन को आरसी क्या।" ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ 08 से 09 घंटे तक बिजली रहती थी, वहाँ आज 16 से 17 घंटे तक बिजली रहती है। आने वाले समय में मान्यवर, हम इतनी प्रगति करेंगे कि खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकें। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी–छोटी हाइड्रो प्लांटों पर भी ध्यान दिया जाय।

मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्र में कई जगहों का चिन्हीकरण होना चाहिए और नई विद्युत योजना शुरू होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि विगत वर्षों में गाँवों का जो विद्युतीकरण हुआ वह भी स्वागतयोग्य कदम है। मान्यवर, सिंचाई के मामले में जो त्वरित सिंचाई परियोजना सरकार ने प्रारम्भ की है उसके माध्यम से क्षेत्रीय जोतों में काफी फायदा हुआ। तराई में नलकूपों के जरिये सिंचाई का कार्यक्रम चलाया गया और पहाड़ों में हाईड्रम, टैंक बनाकर यह कार्यक्रम चलाया गया, यह काफी सकारात्मक रहा, निश्चित रूप से इन योजनाओं को एक्सटेंशन मिलना चाहिए ताकि पहाड़ों को भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से बिखरी हुई जोतों को फायदा मिल सके। मान्यवर, सरकार ने पेयजल में काफी प्रयास किया है। गढ़वाल एवं कुमाऊँ जल संस्थान का संविलियन कर "उत्तरांचल जल संस्थान" एवं राज्य के लिए एक पृथक "उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम" का गठन किया है, यह स्वागतयोग्य कदम है। मान्यवर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तरांचल की विकट भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत रखते हुए हमारे दोनों मण्डलों में 2 मेडिकल कॉलेज बनने की राह पर है और श्रीनगर में भी बनने जा रहा है, हम अपेक्षा करते हैं कि निकट भविष्य में श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज बहुत जल्द ही शुरू होगा।

मान्यवर, आजकल जैविक कृषि एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है, मेरा मानना है कि जैविक कृषि के साथ रोजगार का बहुत ही नजदीकी रिश्ता है, इससे बड़ी संख्या में रोजगार दे सकते हैं। मान्यवर, पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्र में कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन शुरू है जिसमें से अधिकांश कोऑपरेटिव का गठन हो चुका है। मान्यवर, यह समाचार बहुत अच्छा है कि उत्तरांचल में एक करोड़ पच्चीस लाख पर्यटक अब तक आये। मान्यवर, मैंने स्वीजरलैण्ड के बारे में सुना है कि वहाँ की जनसंख्या जितनी है उससे 10 गुना पर्यटक वहाँ आते हैं।

मान्यवर, स्वीजरलैण्ड की जनसंख्या का 25 प्रतिशत या 50 प्रतिशत लोग पर्यटन व्यवसाय से लगे हुए हैं। इस तरह एक आदमी के पीछे 20 आदमी आते हैं। यह सुखद अनुभव है कि हम पर्यटन के क्षेत्र में आधार भूत विकास कर रहे है। निश्चित रूप से इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी ऐसा हमारा विश्वास है। मान्यवर, जो हमारे भगवान है जो हमारे चार धाम हैं इनके बारे में कहा जाता है कि यह लोगों को बुलाते हैं। मुझे माननीय चीमा जी को देखकर याद आया कि हमारा हेमकुण्ड धार्मिक स्थल है। हमारे पास इस तरह कई पिकनिक स्पाट हैं। मुझे एक पर्यटक मिला जब मैं गढ़वाल मण्डल विकास निगम का इन्सपेक्शन पर गया था तब उन्होंने कहा कि आपके पास लोगों के जेबों से

पैसा निकालने का साधन नहीं है। हमारे पर्यटन मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। हम पर्यटन का इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। हम इस तरह का माहौल बना रहे हैं कि पर्यटक यहाँ आये और दो–चार दिन यहाँ रहे। इसके लिए हमें समाज का जो सोचने का ढंग है उसे बदलना होगा। मान्यवर, आज हमारे साथियों ने मुझसे कहा कि आप क्या तैयारी कर रहे हैं मैंने उनसे कहा कि मैंने पक्ष में बोलना है उसकी तैयारी कर रहा हूँ। मान्यवर, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने जो सभी जनपदों में एक–एक महाविद्यालय को आदर्श महाविद्यालय का रूप दिया, वह स्वागत योग्य है। जैसाकि हम देख रहे हैं विभिन्न कॉलेजों में लगभग 6 हजार पदों पर नियुक्तियाँ की जा चुकी हैं इसके लिए पूरे सदन को इसका स्वागत करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ क्योंकि मान्यवर, माननीय नेता सदन भी अब सदन में आ गये हैं मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक गाँव में कुछ बच्चे थे जो एक स्थान में खेला करते थे। उस स्थान पर एक नाग था जो कि बच्चों को डराता रहता था। एक बार एक साधु वहाँ पर आए तो गाँववालों ने उस साधु से कहा कि यहाँ पर एक नाग है जो हमारे बच्चों को डराता रहता है और खेलने नहीं देता। साधु ने नाग भगवान को कहा कि आप बच्चों को डराना मत। उसके बाद योगी जी चले गये और कई वर्षों बाद जब वापस आए तो देखा कि नाग को कोई बच्चा पत्थर से मार रहा है तो कोई लकड़ी से। ऐसी दशा को देखकर साधु ने नाग देवता से कहा कि भई मैंने तुम्हें काटने के लिए नहीं कहा था, फुफकार तो मार ही सकते थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और यदि मेरी किसी बात से किसी माननीय सदस्य को पीड़ा पहुँची हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या 16 पर माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम पुकारे जाने पर)

वित्तीय वर्ष 2004–05 के बजट का प्रस्तुतीकरण

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस परम् सम्मानित सदन के सम्मुख वित्तीय वर्ष 2004–05 का बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ..... (बजट भाषण जारी रहा)

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं वर्ष 2004–05 का बजट प्रस्तुत करता हूँ। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष–

धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 9 सूचनाएं प्राप्त हुई है। जिनमें से अल्मोड़ा जिले के विकास खण्ड ताड़ीखेत के अन्तर्गत प्रेम विद्यालय ताड़ीखेत में पदों से सृजन

एवं वेतन भुगतान के सम्बन्ध में श्री अजय भट्ट जी की सूचना को नियम 51 के अन्तर्गत स्वीकार करता हूँ तथा विधान सभा क्षेत्र काशीपुर में इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टैक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड साइंस की वैधता के बारे में माननीय श्री हरभजन सिंह चीमा द्वारा दी गयी सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार की गयी ।

अब हम कल पूर्वान्ह 11.00 बजे तक के लिए उठते है।

(इसके बाद 6 बजकर 23 मिनट पर सदन की कार्यवाही बुधवार दिनांक 21 जुलाई, 2004 के दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून।

दिनांक: 20 जुलाई, 2004

महेश चन्द्र,

सचिव,

विधान सभा उत्तरांचल।

नत्थी "क"

(देखिए अता0 प्र0सं0 19 का उत्तर पीछे पृष्ठ 26 पर)

परिशिष्ट–'क'

प्रधानमंत्री ग्रामोदय आवास योजना के अन्तर्गत लाभान्वित कराये गये लाभार्थियों की सूची विकास खण्ड मटवाड़ी वर्ष 2003–04

क्र0 सं0	लाभार्थी का नाम व पिता का नाम	ग्राम	धनराशि
नये आवास			
1.	रजनी देवी पत्नी बनवारी लाल	गजोली	22000/–
2.	जयबीर सिंह पुत्र गंगासिंह	नाल्ड	22000/–
3.	सूरजमणी पुत्र विरेन्द्र सिंह	निसमौर	22000/–
4.	राजेन्द्र सिंह पुत्र सुरजन सिंह	पिंलग	22000/–
5.	मनबीर सिंह पुत्र गंगाराम	द्वारी	22000/–
6.	कृष्णा पत्नी जगमोहन	पगोरी	22000/–
7.	कृष्णा स्वरूप पुत्र लखणराम	भंगेली	22000/–
8.	प्रताप सिंह पुत्र जलम सिंह	वार्सू	22000/–
9.	महेन्द्री देवी पूर्ण सिंह	स्यावा	22000/–
10.	बचनी देवी प्रताप सिंह	गारी	22000/–
11.	शान्ति देवी विजेन्द्र सिंह	माण्डों	22000/–
12.	नागेन्द्र सिंह जीत सिंह	नौगाँव	22000/–
13.	मथुरा प्रसाद शान्ति प्रसाद	मटवाड़ी	22000/–
14.	दलबीर सिंह शूरवीर सिंह	सेकू	22000/–
15.	सुरजीदेवी रामचन्द्र सिंह	हीना	22000/–
16.	लक्ष्मण सिंह पंचराम सिंह	अलेथ	22000/–
17.	दिनेश प्रसाद विद्यादत्त	माण्डों	22000/–
18.	अयोध्यादेवी किशन सिंह	बोंगा	22000/–
19.	राकेश लाल बचन लाल	बोंगा	22000/–
20.	बचनदास रूकमदास	गजोली	22000/–
21.	तेगसिंह गंगासिंह	भिण्डा	22000/–
22.	देवेश्वरी रामानन्द	माण्डों	22000/–
स्तरोन्नयन			
1.	केदार सिंह देवराम	पिंलग	10000/–
2.	चैतराम कमल सिंह	निसमोर	10000/–
3.	भादर सिंह कलिराम	सिरोट	10000/–
4.	भरत सिंह कमल सिंह	द्वारी	10000/–
5.	पुष्पा देवी सब्बल सिंह	नौगाँव	10000/–
6.	मागयानदेई भक्तदर्शन	मंकोली	10000/–
7.	जीतसिंह इन्दरसिंह	करोली	10000/–
8.	जससिंह कलिराम	साड़ी	10000/–
9.	विजयपाल सिंह शंकर सिंह	कंकराड़ी	10000/–
10.	रमेशलाल पूरणदास	अलेथ	10000/–

विकास खण्ड–कुण्डा

क्र0सं0	लाभार्थी का नाम व पिता का नाम	ग्राम	धनराशि
नये आवास			
1.	रामकला जयेन्द्र सिंह	खूरमोला	22000/–
2.	मदनमोहन जगदीश प्रसाद	पुजारगाँव	22000/–
3.	गुड्डी देवी बलवीर	बौन	22000/–
4.	इन्द्रसिंह बन्या	कुमारकोट	22000/–
5.	मनवीर सिंह भूरिवासिंह	मड़ियासारी	22000/–
6.	रवीन्द्रसिंह चन्द्रसिंह	मालना	22000/–
7.	कुन्तादेवी चन्द्रमणि	पुजारगाँव	22000/–
8.	रूकमणी सूरजीत	बौन	22000/–
9.	सावित्री देवी खुशपाल सिंह	फोल्ड	22000/–
10.	विजमादेवी चेतूलाल	डुंगालगाँव	22000/–
11.	शिवनारायण बलिराम	पुजारगाँव	22000/–
12.	नकटीदेवी जयपाल सिंह	पटारा	22000/–
13.	चैतूलाल गैणू	पेंथर	22000/–
14.	मायादेवी रामनारायण	जेमर	22000/–
15.	शान्ति गैणू	कंदा	22000/–
16.	सन्तोषी शान्ति	कुराह	22000/–
17.	शूरवीर सिंह अमर सिंह	पंज्याला	22000/–
18.	उजलदास रतिदास	उपरीकोट	22000/–
19.	नैनदेई विजेन्द्र सिंह	पैणी भवान	22000/–
20.	रामनार्थ प्रसाद द्वारिका प्रसाद	फोल्ड	22000/–
21.	कादम्बरी देवी अलैल सिंह	नाकुरी	22000/–
22.	सूर्य प्रकाश देवी प्रसाद	मातली	22000/–
स्तरोनयन			
1.	तिजमा देवी अमरू	मैनोल	10000/–
2.	कुब्जादेवी सुखदेव	जखारी	10000/–
3.	मोरसिंह काल्यासिंह	पटारा	10000/–
4.	हुकमसिंह आलमसिंह	गेंवला	10000/–
5.	दर्मियानसिंह सुरेन्द्रसिंह	जुणगा	10000/–
6.	भारतदेई पूर्ण सिंह	भवाणा	10000/–
7.	आनन्दसिंह बुद्धिसिंह	बगसारी	10000/–
8.	सीतादेवी शंकर सिंह	सिरी	10000/–
9.	भागेन्द्रलाल वेजूलाल	पाव	10000/–
10.	रमेश रामनारायण	जसपुर मांडों	10000/–

विकास खण्ड—चिनियालीसौड़

क्र0सं0	लाभार्थी का नाम व पिता का नाम	ग्राम	धनराशि
नये आवास			
1.	विजेन्द्र सिंह सत्येसिंह	रमोली	22000/–
2.	रोशनीदेवी लाखी सिंह	सूरी	22000/–
3.	गंगीदेवी लीलानन्द	रौंतल	22000/–
4.	असमा देवी बिश्नसिंह	गढ़वालगाड़	22000/–
5.	गंगीदेवी मोहन सिंह	पुजारगाँव	22000/–
6.	प्रमिला देवी मुरारीलाल	चमियारी	22000/–
7.	वैष्णादेवी भगवानसिंह	अदनी	22000/–
8.	मोहनलाल जगदीश प्रसाद	जोगथ	22000/–
9.	उमेदसिंह मदनसिंह	हिटारा	22000/–
10.	सोबनसिंह इन्दरसिंह	मथोली	22000/–
11.	प्यारदेई निहालसिंह	तमणती	22000/–
12.	उत्तमसिंह बीरसिंह	टिपरी	22000/–
13.	कामेश्वर प्रसाद नारायणदत्त	रौतल	22000/–
14.	इलमसिंह बचनसिंह	कोट	22000/–
15.	अनीलाचन्द्र केदार चन्द	कमराड़	22000/–
16.	गुड्डी देवी बर्फियालाल	बैमणाती	22000/–
17.	चैता बिरजू	बडेथी	22000/–
18.	शिवदास शेरदास	बयाणगाँव	22000/–
स्तरोनयन			
1.	दलबीरसिंह प्रतापसिंह	जिब्या	10000/–
2.	चन्द्रमोहन हरिकृष्ण	पुजारगाँव	10000/–
3.	भागसिंह इन्द्रसिंह	कोडापेड़ी	10000/–
4.	भगवानसिंह घनश्यामसिंह	थान	10000/–
5.	दिनेश प्रसाद इन्द्रदेव	मोरगी	10000/–
6.	शूरबीरसिंह अमरसिंह	सूरी	10000/–
7.	घनानन्द मोल्याराम	टिपरी	10000/–
8.	भाजनदास विनिद्रयादास	अनोल	10000/–
9.	मोहनलाल इन्दपाल	श्रीकोट	10000/–

विकास खण्ड—नौगाँव

क्र0सं0	लाभार्थी का नाम व पिता का नाम	ग्राम	धनराशि
नये आवास			
1.	साधूराम अतरू	कण्डाऊ	22000/–
2.	राधादेवी बतरू	नन्दगाँव	22000/–
3.	सन्दीपलाल दयाराम	रिखाऊँ	22000/–
4.	मजा लाल मौमूलाल	बिंगसी	22000/–
5.	लाइवरसिंह पृथ्वीसिंह	कोटी	22000/–
6.	दिगपालसिंह अबलसिंह	पिसाऊ	22000/–
7.	पुरूषोत्तम मुरलीधर	उपराडी	22000/–
8.	भगतसिंह बचनसिंह	दाड़िया	22000/–
9.	घनश्याम सुरजन	देवल	22000/–
10.	दीपक रूपा	कोटला	22000/–
11.	जगदम्बादेवी सुरेश	खमुण्डी	22000/–
12.	प्रेमदास भादू	पलैठा	22000/–
13.	सकलचन्द्र कमलीसिंह	पलैठा	22000/–
14.	रमेशानन्द जीवानन्द	पलैठा	22000/–
15.	गजेन्द्र सिंह रामसिंह	डख्याटगाँव	22000/–
16.	अवतारसिंह इन्दरसिंह	स्यालना	22000/–
17.	रमेश महानन्द	डरोगी	22000/–
18.	राजेन्द्र सिंह हरिसिंह	पिंडकी	22000/–
19.	रमेशसिंह चैनसिह	मसू	22000/–
20.	विनोद राजेन्द्रलाल	बखरेटी	22000/–
21.	महियालाल साधूलाल	पौटी	22000/–
22.	जानकीदेवी केदारदत्त	धारी	22000/–
23.	पदमादेवी गजेन्द्रसिंह	मौती	22000/–
24.	सकलादेवी राजेन्द्रसिंह	बिंगसी	22000/–
स्तरोनयन			
1.	राजेश खल्या	थ्याली	10000/–
2.	पूरणसिंह कर्णसिंह	कुथननौर	10000/–
3.	अमीनसिंह सब्बलसिंह	मसालगाँव	10000/–
4.	रामसिंह खिमा	ईडक	10000/–
5.	रामसेवक वेणीप्रसाद	"	10000/–
6.	बाबूलाल तख्वारू	मुराड़ी	10000/–
7.	भगवान सिंह मलकराम	डख्याटगाँव	10000/–
8.	आशादेवी मोतीराम	भकौली	10000/–
9.	किताबसिंह मदरसिंह	कुथनौर	10000/–
10.	मुलकराम हीरादत्त	गैर	10000/–
11.	पूर्णसिंह श्यामसिंह	डंडालगाँव	10000/–

विकास खण्ड–पुरौला

क्र०सं०	लाभार्थी का नाम व पिता का नाम	ग्राम	धनराशि
नये आवास			
1.	मागीराम तुलसी	श्रीकोट	22000/–
2.	पुलमा सुरेन्द्र	खावली	22000/–
3.	शान्ति प्रेमचन्द	कंताड़ी	22000/–
4.	अनिल जयेन्द्र	कोटी	22000/–
5.	जोगेन्द्र सिंह नैन्दरसिंह	चन्देली	22000/–
6.	सूरी लाइबरसिंह	देवढुंग	22000/–
7.	धारा सिंह भजनसिंह	ढुंग	22000/–
8.	सारदा महादेव प्रसाद	हुडोली	22000/–
9.	रामेश्वर प्रसाद मनीराम	पुजेली	22000/–
10.	कमला मोहन प्रसाद	"	22000/–
स्तरोन्नयन			
1.	श्यामलाल धर्मानन्द	पौरा	10000/–
2.	चन्दन लाल पद्मू	स्यालुका	10000/–
3.	सुशीला चन्द्रमोहन	पुजेली	10000/–
4.	बलवीर सिंह गौरसिंह	नेत्री	10000/–
5.	रैपालसिंह लालसिंह	सुनाली	10000/–

विकास खण्ड–मोरी

नये आवास			
1.	सूर्यलाल कृपालू	बिंगसारी	22000/–
2.	विलेन्द्रसिंह शिवसिंह	कुमणाई	22000/–
3.	सूरवीरसिंह शिवसिंह	"	22000/–
4.	सबलसिंह हाकमसिंह	"	22000/–
5.	शैलेन्द्रसिंह शिवसिंह	"	22000/–
6.	दाताराम नैनसिंह	"	22000/–
7.	यदवीरसिंह दाताराम	"	22000/–
8.	सौवेन्द्रसिंह दाताराम	"	22000/–
9.	प्रतापसिंह टिकाराम	"	22000/–

10.	रामलाल हाकमसिंह	"	22000/-
11.	चन्दरसिंह हाकमसिंह	"	22000/-
12.	बलवीरसिंह विक्रमसिंह	"	22000/-
13.	विक्रमसिंह हाकमसिंह	"	22000/-
14.	मियरसिंह दाताराम	"	22000/-

<u>स्तरोनयन</u>

1.	पदू पूदू	गुराड़ी	10000/-
2.	विक्रम लाल सन्ता	पैंसर	10000/-
3.	जैपालिया जगत	विगसारी	10000/-
4.	विजयपाल सिंह लाखी राम	कुमणाई	10000/-
5.	तिलकचन्द गोपाल	"	10000/-
6.	मेम्बरसिंह गंगासिंह	"	10000/-

जिला विकास अधिकारी,
उत्तरकाशी।

नत्थी "ख"

(देखिए अता0 प्र0सं0 28 का उत्तर पीछे पृष्ठ 30 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2004 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री अजय भट्ट, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 28 के उत्तर का संलग्नक

उत्तरांचल में वर्ष 2002–2003–2004 में स्वीकृत पम्पिंग पेयजल योजनाओं का जिलेवार विवरण

क्र0 सं0	जनपद	योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	अनु0 लागत (रु0 लाख में)	टिप्पणी
1.	पौड़ी	दुगड्डा (पुनर्गठन) समूह पेयजल योजना	2002–03	113.05	त्वरित नागर कार्यक्रम के अन्तर्गत 50 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत राज्य द्वारा पोषित।
2.	पौड़ी	कड़ाकोट–कोटग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना	2003–04	357.20	त्वरित ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत 100 प्रतिशत केन्द्रपोषित।
3.	पौड़ी	कोटमल्ला ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना	2004–05	463.57	——तदैव——
4.	देहरादून	बुरांसखण्ड पम्पिंग पेयजल योजना	2003–04	427.00	——तदैव——
5.	बागेश्वर	बागेश्वर पुनर्गठन पम्पिंग पेयजल योजना	2002–03	311.00	त्वरित नागर कार्यक्रम के अन्तर्गत 50 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत राज्य द्वारा पोषित।
6.	अल्मोड़ा	द्वाराहाट पुनर्गठन पम्पिंग पेयजल योजना	2003–04	576.26	——तदैव——

नत्थी "ग"

(देखिए अता० प्र०सं० 79 का उत्तर पीछे पृष्ठ 49 पर)

वर्ष 2002–03 में राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत डूडा, देहरादून द्वारा नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का विवरण

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र०सं०	कार्य का विवरण	व्यय धनराशि
1.	विभिन्न मलिन बस्तियों में विद्युत पोलमय विद्युत कनेक्शन सहित संयोजन कार्य	5.21
2.	रेसकोर्स ब्लाक सी भाग–2 में मुख्य सड़क से दीवान सिंह पंवार के मकान से होते हुए सड़क/नाली निर्माण	1.16
3.	सिंगल मण्डी में शौचालय के समीप से पूरन धोबी के मकान तक सड़क व नाली निर्माण	5.27
4.	रेसकोर्स ब्लॉक सी भाग–2 (नई बस्ती) के मुख्य सड़क के अन्त में सी०सी० सड़क निर्माण	2.81
5.	रेसकोर्स में बहुउद्देशीय सामुदायिक केन्द्र निर्माण	2.00
6.	जटिया मौ० में सड़क/नाली व पुश्ता निर्माण	5.62
7.	पथरियापीर में खडन्जा निर्माण	1.36
8.	कांवली रोड गाँधी ग्राम में सड़क प्रो० स्टोर तक	3.29
9.	मद्राठी कालोनी में ओम सिंह के मकान से मन्दिर तक सी०सी० सड़क निर्माण	1.12
10.	डी०ए०बी० पब्लिक स्कूल में प्लास्टिक शैड निर्माण	0.12
11.	रेसकोर्स ब्लॉक सी भाग–2 (नई बस्ती) कोढ़ी खाने से सार्वजनिक शौचालय तक सी०सी० सड़क निर्माण	8.26
12.	विभिन्न बस्तियों में बच्चों को स्कूल ड्रैस, विधवाओं को धोती एवं गरीबों को कम्बलों का वितरण	5.49
13.	बृजलोक कालोनी में मुख्य सड़क की पुलिया की सुरक्षा हेतु एवं आशा नेगी व गोपाल सिंह सती के घर के पास पुश्ता निर्माण	1.65
14.	इन्दिरा कॉलोनी में रतन सिंह के मकान से नन्दलाल सोनकर के मकान तक सड़क निर्माण	0.93
15.	आर्यनगर नई बस्ती शिव मंदिर के पास मुद्दुलाल की दुकान के बराबर वाली गली से सड़क निर्माण	2.00
16.	नई बस्ती विजय कालोनी में श्री कुशलानन्द जोशी के मकान के पास से प्रकाशों के घर तक सड़क निर्माण	0.45
17.	मलिन बस्तियों में सी०डी०एस० के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण	1.66
		48.40

नत्थी "घ"

(देखिए अता0 प्र0सं0 80 का उत्तर पीछे पृष्ठ 49–50 पर)

सेक्टर रिफार्म परियोजना, हरिद्वार में

बैच–1 में चयनित ग्राम पंचायतों की सूची

क्र0सं0	ब्लॉक	ग्राम पंचायत	जनपद
1.		खेलपुर नसरूल्लापुर	हरिद्वार
2.		चुडियाला मोहनपुर	हरिद्वार
3.		कुन्हा बहादरपुर	हरिद्वार
4.		तेजपुर	हरिद्वार
5.		रुहालकी दयालपुर	हरिद्वार
6.		दरियापुर दयालपुर	हरिद्वार
7.		रायपुर	हरिद्वार
8.		सिकन्दरपुर भैंसवाल	हरिद्वार
9.		चोली शहाबुद्दीनपुर	हरिद्वार
10.	भगवानपुर	छापुरशेर अफगानपुर	हरिद्वार
11.		तेलपुरा	हरिद्वार
12.		बुड्ढा शाहीद	हरिद्वार
13.		दादा जलालपुरा	हरिद्वार
14.		दादा पट्टी	हरिद्वार
15.		अलावलपुर	हरिद्वार
16.		हसनपुर मदनपुर	हरिद्वार
17.		मुजाहिदपुर बन्दरजूट	हरिद्वार
18.		हरिपुर टोंगिया	हरिद्वार
19.		मुकरमपुर कालीवाले	हरिद्वार
20.		लालवाला खालसा	हरिद्वार
21.		सुभाषनगर	हरिद्वार
22.		अकोढाखुर्द	हरिद्वार
23.		सेठपुर	हरिद्वार
24.		मुबारिकपुर	हरिद्वार
25.		मोहम्मदपुर बुजुर्ग	हरिद्वार
26.		केहरा	हरिद्वार
27.		नगला खिताब	हरिद्वार

क्र0सं0	ब्लॉक	ग्राम पंचायत	जनपद
28.		खडंजा कुतुबपुर	हरिद्वार
29.		घडेकीदाना	हरिद्वार
30.	लक्सर	बहादरपुर खदार	हरिद्वार
31.		बाकपुर	हरिद्वार
32.		नेतावाला सैदाबाद	हरिद्वार
33.		झींवरेहडी	हरिद्वार
34.		निन्हान्दपुर	हरिद्वार
35.		हबीबपुरकुडी	हरिद्वार
36.		दरगाहपुर	हरिद्वार
37.		खेरीखुर्द	हरिद्वार
38.		खानपुर	हरिद्वार
39.		अलवालपुर	हरिद्वार
40.		अब्दुलरहीमपुर	हरिद्वार
41.	खानपुर	मुहम्मदपुर मैथाना	हरिद्वार
42.		गोवर्धपुर	हरिद्वार
43.		भक्तोवाली	हरिद्वार
44.		लथेरदेवा हन	हरिद्वार
45.		ठिठोला खेमपुर	हरिद्वार
46.		झबरेडी खाला	हरिद्वार
47.		मोहनपुर	हरिद्वार
48.		शिकारपुर हजारपुर	हरिद्वार
49.		सदोली सदोला	हरिद्वार
50.		बसुआखेडी	हरिद्वार
51.	नारसन	डंडेरा	हरिद्वार
52.		मुंडलेना	हरिद्वार
53.		मुंडेत	हरिद्वार
54.		लहबोली	हरिद्वार
55.		मकदूमपुर	हरिद्वार
56.		गंडावली	हरिद्वार
57.		नासिरपुर	हरिद्वार
58.		सिकंदरपुर	हरिद्वार

क्र0सं0	ब्लॉक	ग्राम पंचायत	जनपद
59.		दौलतपुर	हरिद्वार
60.		भदारपुर सैनी	हरिद्वार
61.		बघेरी राजपुतान	हरिद्वार
62.		रहमतपुर	हरिद्वार
63.		बेदपुर	हरिद्वार
64.		मुलसास	हरिद्वार
65.		माजरी भक्तोवाला	हरिद्वार
66.		महवार खुर्द	हरिद्वार
67.		मोहम्मदपुर पांडा	हरिद्वार
68.	रुड़की	इमलीखेड़ा	हरिद्वार
69.		सालियर	हरिद्वार
70.		खाताखेडी	हरिद्वार
71.		माधोपुर	हरिद्वार
72.		पुहाना	हरिद्वार
73.		सफरपुर	हरिद्वार
74.		सरकरा	हरिद्वार
75.		अकबरपुर फैजीपुर	हरिद्वार
76.		रसूलपुर	हरिद्वार
77.		हथियाथाल	हरिद्वार
78.		कमलानगर	हरिद्वार
79.		पुरुषोत्तम नगर	हरिद्वार
80.		कांगडी गाजीवाली	हरिद्वार
81.		शिवनगर	हरिद्वार
82.		साजनपुर पीली	हरिद्वार
83.		बनगंगा	हरिद्वार
84.		स्यामपुर	हरिद्वार
85.		कटारपुर अलीपुर	हरिद्वार
86.	बहादराबाद	फेरुपुर	हरिद्वार
87.		रानी माजरा	हरिद्वार
88.		जगजीतपुर	हरिद्वार

क्र0सं0	ब्लॉक	ग्राम पंचायत	जनपद
89.		नूरपुर पंजनहेडी	हरिद्वार
90.		अजीतपुर	हरिद्वार
91.		औरंगाबाद	हरिद्वार
92.		खेडी	हरिद्वार
93.		सांगीपुर	हरिद्वार
94.		अलवालपुर	हरिद्वार

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 28 विधान सभा/575–13–12–2007–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर/रीजियो।